लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

[खंड 58 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LVIII contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 15—शुक्रवार, 12 अगस्त, 1966/21 श्रावण, 1888 (शक)

No. 15— Friday, August 12, 1966 / Sravana 21, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या S. Q. Nos. : विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
420. मेसर्स अमीचन्द प्यारेलाल को कच्चे माल का नियतन	Allotment of Raw Materials to M/s Amin Chand Pyare Lal.	1-6
421. टायरों की कमी	Shortage of Tyres	6-8
422. नारियल का निर्यात	Export of Coconut	8-9
423 इस्पात के कारखाने	Steel Plants	9-11
424. स्टेशनों पर भोजन व्यवस्था	Catering at Railway Stations	11-12
425. कच्चे लोहे की कीमत	Price of Pig Iron	12-14
426. यूरोपीय साझा बाजार	E. C. M.	15-18
427. ऐल्यूमिनियम पिघलाने का कारखाना	Aluminium Smelting Plant	18-19
428. रेलवे जोन (खण्डों) में समन्वय का अभाव	Lack of Coordination among Railway Zones	19-20
अल्प-सूचना संख्या	**Short Notice Question Nos.**	
9. चाय पर निर्यात शुल्क	Export Duty on Tea	20-22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Question**	
तारांकित प्रश्न संख्या	**Starred Question Nos.**	
429. काम का मूल्यांकन	Job Evaluation	22
430. औद्योगिक क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाना	Full Utilization of Industrial Capacity	23
431 आयातित कच्चा माल	Imported Raw Materials	23
432. बिजली चालित करघों के लाइसेन्स देना	Licensing of Powerlooms	23-24
433. रुई का भाव	Price of Cotton	24

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
434.	रेलवे में पर्यवक्षी पदाधिकारियों को अधिकारों का दिया जाना	Delegation of Powers to Supervisory Officials on Railways	24-25
435.	राज्य व्यापार निगम द्वारा तम्बाकू की खरीद	Purchase of Tobacco by S. T. C.	25
436.	इंजनों में खराबी	Defect in Locomotives	25-26
437.	शाहदरा सहारनपुर लाइट रेलवे	Shahdara Saharanpur Light Railway	26
438.	हावड़ा दिल्ली ऐक्सप्रेस गाड़ी का कानपुर में रोक लिया जाना	Detention of Howrah Delhi Express Train at Kanpur	26-27
440.	तेल शोधक कारखाने के लिये उपकरणों का निर्माण	Manufacture of Equipment for Oil Refinery	27
441.	रेलवे का रखरखाव तथा देखभाल	Maintenance of Railways	27-28
442.	हावड़ा स्टेशन पर गुंडागर्दी	Goonda Activities at Howrah Station	28
443.	मोटर गाड़ियों के मूल्य	Prices of Automobiles	28-30
444.	अल्मोड़ा जिले में ताम्बे और सुर्मे के निक्षेप	Copper and Antimony Deposits in Almora District	30
445.	तेल के बैगनों में आग लग जाना	Fire in Oil Wagons	30-31
446.	मशीनों का आयात	Import of Machinery	31
447.	कच्चे माल का आयात	Import of Raw Materials	31-32
448.	लोहे और इस्पात पर से नियंत्रण हटाना	Decontrol of Steel and Iron	32
449.	झरिया कोयला खानों में आग लग जाना	Fire in Jharia Coal Mines	32
अतरांकित प्रश्न संख्या		**Unstarred Question Nos.**	
2104.	विदेशों में भारतीयों के होटल	Hotels Abroad owned by Indians	32-33
2105.	मेंढकों की टांगों का निर्यात	Export of Frog Legs	33
2106.	काजू उद्योग	Cashew Industry	33-34
2107.	बेगूसराय रेलवे स्टेशन	Begusarai Station	34
2108.	बछवारा रेलवे स्टेशन पर रेलवे लाइन पर ऊपरी पुल	Overbridge on Railway Lines at Bachhawara Station	34-35
2109.	अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति	All India Handloom Fabrics Marketing Co-operative Society	35
2110.	केरल में बडागारा में रेलवे फाटक (लेवल क्रासिंग) और ऊपरी पुल	Level Crossing and Over bridge in Badagara, Kerala	35

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
2111.	अधिक लिये गये विलम्ब शुल्क (डैमरेज) की वापसी	Refund of Excess Demurrage	36
2113.	वर्धा रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना	Accident at Wardha Station	36
2114.	ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात	Export of Textile to U. K.	36-37
2115.	केरल में उद्योग	Industries in Kerala	37
2116.	अल्वय स्टेशन पर ऊपरी पुल	Overbridge at Alwaye Station	37
2117.	मालाबार तट का भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological Survey of Malabar Coast	38
2118.	राब का निर्यात	Export of Molasses	38
2119.	निर्यातकों का सार्थ संघ	Consortia of Exporters	38-39
2120.	कर्मचारियों के लिये विशेष गाड़ियों का देर से चलना	Late Running of Workmen's Specials	39
2121.	कर्मचारियों के लिये विशेष गाड़ियां	Workmen' s Specials	39-40
2122.	दिल्ली में यमुना के ऊपर रेलवे पुल	Railway Bridge across Jamuna in Delhi	40
2123.	भरुच सामनी दहेज सैक्शन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Broach-Samni Section into Broad Gauge	40
2124.	पुडुप्पनम (केरल) में चौकीदार सेवित रेलवे फाटक	Manned Level Crossing at Puduppanom (Kerala)	40-41
2125.	मद्रास बम्बई तथा कलकत्ता स्टेशनों पर विश्राम कक्ष	Retiring Rooms at Madras, Bombay and Calcutta Stations	41
2126.	फोर्ड डाज तथा बेडफोर्ड गाड़ियां	Ford, Dodge and Bedford Vehicles	41
2127.	नारियल उद्योग	Coconut Industries	42
2128.	नारियल का निर्यात	Export of Coconut	42
2129.	विनयनगर शकूरबस्ती शटल रेलगाड़ी	Vinay Nagar Shakurbasti Shuttle	42-43
2130.	कच्ची फिल्में	Raw Films	43
2131.	इलायची बोर्ड	Cardamom Board	43
2132.	कच्ची फिल्म उद्योग	Raw Film Industry	43-44
2133.	काफी तथा चाय का निर्यात	Export of Coffee and Tea	44
2134.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के कारखाने	H. M. T. Factories	45
2135.	मिलों को कच्चे पटसन की सप्लाई	Supply of Raw Jute to Mills	45

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
2136.	रेलवे कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग	Pay Commission for Railway Employees	46
2137.	रेलवे कर्मचारियों के काम करने के घंटे कम करना	Reduction in Working Hours of Railwaymen	46
2138.	कोयले और चूने के पत्थर की कीमतें	Prices of Coal and Limestone	46-47
2139.	कच्चे लोहे का निर्यात	Export of Pig Iron	47
2140.	लोको शैड स्टोर, इलाहाबाद	Loco Shed Store, Allahabad	47-48
2141.	कलकत्ता-बम्बई मेल के भोजन यान (डाइनिंग कार) में आग लग जाना	Fire in Dining Car of Calcutta-Bombay Mail	48
2142.	जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड	Jessop and Company, Limited	48-49
2143.	सिंगरेनी कोयला खानों में कोयले का जमा हो जाना	Accumulation of Coal in Singareni Collieries	49
2144.	ईराक से खजूरों का आयात	Import of Dates from Iraq	49-50
2145.	सीमेंट निगम	Cement Corporation	50-51
2146.	कपड़े का निर्यात	Export of Textiles	51
2147.	नकली रेशमी कपड़े का निर्यात और आयात	Export and Import of Art Silk Fabrics	51-52
2148.	नकली रेशम निर्यात संवर्धन योजना	Art Silk Export Promotion Scheme	52
2149.	पाइप लाइन बनाने का कारखाना रूरकेला	Pipe Line Manufacturing Works, Rourkela	52-53
2150.	इस्पात की उत्पादन लागत	Cost of Production of Steel	53-54
2151.	अलौह धातु और अन्य कच्चा माल	Non-Ferrous Metals and other Raw Materials	54-55
2152.	बिहार में धातुमिश्रित इस्पात का कारखाना	Alloy Steel Plant in Bihar	55
2153.	किउल रेलवे कुली सहकारी समिति	Kiul Railway Porter Cooperative Society	55
2154.	भारत श्रीलंका चाय आयोग	Indo-Ceylon Tea Commission	55-56
2155.	बिजौरिया स्टेशन पर डाकुओं का आक्रमण	Raid by Dacoits on Bijauria Railway Station	56
2156.	कैम्बे तथा सायन के बीच रेल की पटरी पर गड़बड़ करना	Tampering with Rail Track between Cambay and Sayana	56-57

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
2157.	मिस्र में इलैक्ट्रोनिक कारखाना	Electronic Factory in Egypt	57
2158.	कच्चे माल का अभाव	Scarcity of Raw Materials	57-58
2159.	अमरीका को तलवारों का निर्यात	Export of Swords to U.S.A.	58
2160.	निर्यात	Exports	58-59
2161.	मोजेंगा और नामतिआली स्टेशनों के बीच मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Goods Train between Mozenga and Namitali	59
2162.	जबलपुर रेलवे स्टेशन पर घटना	Incident at Jabalpur Railway Station	59
2163.	पूना में कागज बनाने का कारखाना	Paper Factory in Poona	59
2164.	आसफपुर स्टेशन पर एक व्यक्ति का रेलगाड़ी के नीचे आ जाना	Man run over by Train at Asafpur Station	59-60
2165.	पोलैण्ड को चाय का निर्यात	Export of Tea to Poland	60
2166.	रेलवे पुलिस द्वारा डाकुओं का मारा जाना	Killing of Dacoits by Railway Police	60
2167.	रेलवे के कार्यालयों और वर्कशापों में काम के घंटे	Working Hours in Railway Offices and Workshops	60-61
2168.	कोरबा में एल्यूमीनियम का कारखाना	Aluminium Plant at Korba	61-62
2169.	ब्रिटेन से कपड़ा बनाने की मशीनों का आयात	Import of Textile Machinery from U. K.	62
2170.	जापान से कपड़ा बनाने की मशीनों का आयात	Import of Textile Machinery from Japan	62-63
2171.	रेलवे मंत्रियों द्वारा सरकारी कार्य के लिये की गई यात्रा	Official Journeys performed by Railway Ministers	63
2172.	रूस से रासायनिक उर्वरक	Chemical Fertilizers from U. S. S. R.	63-64
2173.	हावड़ा बर्दवान बिजली चालित रेलवे लाइन	Howrah Burdwan Electric Railway line	64
2174.	दिल्ली मुख्य रेलवे स्टेशन पर टेलीफोन	Telephone at Delhi Main Railway	64-65
2175.	रुपये के अवमूल्यन का चाय उद्योग पर प्रभाव	Effect of Devaluation on Tea Industry	65

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
2176.	उदार आयात नीति	Liberalised Import Policy	65
2177.	रेलवे विद्युतिकरण परियोजना में छंटनी	Retrenchment in Railway Electricfication Project	65-66
2178.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने की दवाइयां	Medicines belonging to Durgapur Steel Works	66
2179.	देसी रुई का मूल्य	Price of Indigenous Cotton	66-67
2180.	झंझरपुर के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment near Jhanjharpur	67
2181.	पूर्वी रेलवे पर चलती रेलगाड़ी से गिर जाने की घटना	Falling Incident from a Running Train on the Eastern Rly.	67
2182.	दूध का पाउडर बनाने का कारखाना	Milk Powder Factory	67-68
2183.	बम्बई काशी ऐक्सप्रेस रेलगाड़ी में आग लग जाना	Fire in Bombay-Kashi Express Train	68
2184.	कच्चे पटसन के मूल्य	Prices of Raw Jute	68
2185.	महेश्वरी देवी जूट मिल्स, कानपुर	Maheswari Devi Jute Mills, Kanpur	68-69
2186.	दस्तकारी की वस्तुओं के उत्पादन केन्द्र	Handicrafts Production Centres	69
2187.	भदभू के निकट ट्रक तथा रेलगाड़ी की टक्कर	Truck Train Collision Near Bhadbhun	69
2188.	बम्बई हावड़ा मेल को रोक लिया जाना	Detention of Bombay Howrah Mail	69-70
2189.	बाढ़ों के कारण रेलवे सम्पत्ति का नुकसान	Loss of Railway Property by Floods	70
2190.	फिल्म सलाहकार समिति	Film Advisory Committee	70-71
2191.	एरणाकुलम में स्टार्च का कारखाना	Starch Factory at Ernakulam	71
2192.	केरल में अखबारी कागज का कारखाना	Newsprint Factory in Kerala	71
2193.	श्रीलंका के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with Ceylon	72
2194.	रबड़ विपणन सहकारी समितियां	Rubber Marketing Co-operative Societies	72-73

प्र० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
2195.	रेलवे के कल पुर्जों का निर्माण Production of Railway Spares and Components	73
2196.	दक्षिण मध्य क्षेत्र के (जोन) South Central Zone	73-74
2197.	सरकारी क्षेत्र के उद्योग Public Sector Industries	74
2199.	केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण व्यवस्था C.T.C. System	74-75
2200.	आउट स्टेशन एजेंसियां Out Station Agencies	75
2201.	रेलवे के पहले दर्जे के पास लेने वाले व्यक्ति Ist Class Railway Pass Holders	75
2202.	लखनऊ और बाराबंकी के बीच रेलवे लाइन का उखड़ जाना Disruption of Railway Line between Lucknow and Barabanki	
2203.	केरल में सरकारी औद्योगिक उपक्रम Government owned Industrial Concerns in Kerala	75-76
2204.	केरल में सरकारी कम्पनियां Government owned Companies in Kerala	76
2206.	रेलवे के नैमित्तिक कर्मचारी Casual Railway Workers	76
2207.	दिल्ली डिवीजन में श्रेणी तीन और चार के कर्मचारी Class III & IV Staff in Delhi Division	76-77
2208.	चाय का निर्यात Export of Tea	77
2209.	दुगदा कोल वाशरी में गड़बड़ी Trouble in Dugda Coal Washery	77
2210.	रूस तथा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार Trade with Russia and East European Countries	78
2211.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में तोड़फोड़ की घटनायें Sobotage Incidents on North. East Frontier Railway	78
2212.	पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का भूतत्वीय सर्वेक्षण Geological Survey of Punjab Hill Areas	78-79
2213.	कोयला वैगनों का नियतन Allotment of Coal Wagons	79-80
2214.	चार पहियों वाले वैगन Four Wheeler Wagons	80
2215.	रेलवे द्वारा खरीदे गए कोयले पर विक्री कर Sales Tax on coal purchased by Railways	80-81

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
2216.	कोयले का निर्यात Export of Coal	81
2217.	एक्सरे की प्लेटों की कमी Shortage of X-Ray Plates	81-82
2218.	पंजाब में समाज विरोधी तत्वों की गिरफ्तारी Arrest of Anti-Social Elements in Punjab	82
2219.	उत्तर रेलवे के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन Demonstration by Northern Railway Employees	82
2220.	नियमावलियों तथा प्रपत्रों का हिन्दी में अनुवाद Translation of Manuals and forms in Hindi	82-83
2221.	पंजाब के लिए जस्ता चढ़ी नालीदार चादरें G.C. Sheets for Punjab	83
2222.	मध्य रेलवे में रेल सेवाओं का अस्त व्यवस्त हो जाना Dislocation of Train Services on Central Rly.	83-84
2223.	रेलवे सुरक्षा सप्ताह Railway Safety Week	84
2224.	कोयला परिषद् की संसाधन निर्धारण समिति Assessment of Resources Committee of the Coal Council	85
2225.	तेनाली और रेपल्ली के बीच रेलवे लाइन Rail Link between Tenali and Repalle	85-86
2226.	टसर रेशम जांच समिति Tasar Silk Enquiry Committee	86
2227.	नई बड़ी (ब्राडगेज) रेलवे लाइनें New Broad Gauge Railway Line	86-87
2228.	रेलवे में मितव्ययिता Economy on Railways	87
2229.	घुबुलिया रेलवे स्टेशन पर हाथापाई की घटना Clash at Dhubulia Railway Station	87-88
2230.	रेलवे लेखा विभाग में तबादले के लिये अधिमान (प्रिफ्रेंस) रजिस्टर Perference registers for Transfer in the Railway Accounts Department	88
2231.	उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में अर्द्धकुशल कर्मचारी Semi Skilled Workers in Allahabad Division of Northern Railway	88
2232.	डभोड़ा स्टेशन के निकट रेलगाड़ी का रोक लिया जाना Stoppage of Train near Dabhoda Station	88-89

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
2233.	मद्रास के निकट चेतपुट स्टेशन पर दुर्घटना / Accident at Chetput Station near Madras	89
2234.	त्रिपुरा में उद्योग / Industries in Tripura	89
2235.	धर्मनगर तथा अगरतला के बीच रेलवे लाइन / Rail Communication between Dharmanagar and Agartala	89-90 . 90
2236.	सहकारी औद्योगिक वस्तियां / Co-operative Industrial Estates	
2237.	त्रिपुरा के लिए लोहे की नालीदार चादरें / Corrugated Iron Sheets for Tripura	90-91
2238.	फोरमैन और चार्जमैन के वेतन क्रम / Grades of Pay of Foremen and Chargemen	91
2239.	विदेशी व्यापार में कमी / Decline in Foreign Trade	
2240.	कंक्रीट के स्लीपर / Concrete Sleepers	91
2241.	चौथी योजना में केरल में नई रेलवे लाइनें / New Railway Lines in Kerala in Fourth Plan	92
2242.	मंडिल स्टेशन पर जलपान की व्यवस्था / Refreshments at Chandil Station	92
2243.	ओलवक्कोड डिवीजन के रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाना / Electrification in Olavakkot Division	92-93
2244.	पालघाट में सूक्ष्म औजार बनाने का कारखाना / Precison Tool Manufacturing Plant at Palghat	93
2245.	परलि स्टेशन पर ऊपरी पुल / Overbridge at Parli Station	93-94
2246	आयात तथा निर्यात विनियम / Import and Export Regulation	94
2247.	व्यापार सन्तुलन / Balance of Trade	94
2248.	व्यापार प्रतिनिधि मंडल / Trade Delegations	95
2249.	रेशम का आयात / Import of Silk	95
2250.	राजस्थान में औद्योगिक सहकारी समितियां / Industrial Co-operative Societies in Rajasthan	95
2251.	भिलाई इस्पात कारखाने के अराजपत्रित कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति / Termination of Services of non-Gazetted Staff of Bhilai Steel Plant	.95-96
2252.	भिलाई इस्पात कारखाने के राजपत्रित अधिकारी / Gazetted Employees of Bhilai Steel Plant	96

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
2253.	रेलवे बोर्ड के क्लर्क	Clerks in the Railway Board	96-97
2254.	बड़ी लाइनें	Broad Gauge Lines	97
2255.	रेलवे में गैंगमैन	Gangmen on the Railways	97-98
2256.	कच्चे लोहे का जमा हो जाना	Piling up of Pig Iron	98
2257.	रेलवे कुली	Railway Coolies	98-99
2258.	मध्य प्रदेश में उद्योग	Industries in Madhya Pradesh	99
2259.	मुनाफाखोरों की गिरफ्तारी	Arrest of Profiteers	99
2260.	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली	Khadi Gramudyog Bhawan, New Delhi	99-100
	वित्त मन्त्री के विरुद्ध श्री मधु लिमये के विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege by Shri Madhu Limaye Against the Minister of Finance	
	बिहार के मुख्य मन्त्री तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध विशेषाधिकार के बारे में	Re. Question of Privilege against the Chief Minister of Bihar and Others	
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	
	लोक लेखा समिति के पचासवें तथा पचपनवें प्रतिवेदनों के सम्बन्ध से साक्ष्य तथा दस्तावेज	Evidence and Documents relating to Fiftieth and Fifty-fifth Reports of P.A.C.	
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	**Re: Motion for Adjourment (Query)**	
	सभा का कार्य	Business of the House	
	भारतीय खान ब्यूरों को भारतीय भूतवीय सर्वेक्षण के साथ मिलाने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 899 के उत्तर की शुद्धि	Correction of Answer to S.Q.No. 899 re. Merger of Indian Bureau of Mines with Geological Survey of India	
	सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुनः स्थापित किया गया	Customs (Amendment) Bill-Introducel	
	सीमा शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1966 के बारे में वक्तव्य	Statement re. Customs (Amendment) Ordinance, 1966.	

अ० प्र० सं०
U. Q. Nos. विषय SUBJECT पृष्ठ/Pages

देश के वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव — Motion Re. Present Economic Situation in the country

श्रीशचीन्द्र चौधरी — Shri Sachindra Chaudhuri

हाल की रेल दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव — Motion Re. Recent Railway Accidents

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी — Dr. L.M. Singhvi

स्थगन प्रस्ताव के बारे में — Re: Motion for Adjournment

आसाम की स्थिति — situation in Assam

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति — Comittee on Private Members Bills and Resolutions

क्या बयानवेंवां प्रतिवेदन — Ninety Second Report

संविधान (संशोधन) विधेयक—पुन: स्थापित (अनुच्छेद 35-क का हटाया जाना) श्री दी० चं० शर्मा का — Constitution (Amendment) Bill-Introduced (Omission of Article35A) by Shri D. C. Sharma

अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद विधेयक—**वापिस लिया गया** — All India Ayurvedic Medical Council Bill—**Withdrawn**

श्री अ० त्रि० शर्मा — by Shri A. T. Sarma

विचार करने का प्रस्ताव — Motion to Consider

श्री रघुनाथ सिंह — Shri Raghunath Singh

श्री दी० चं० शर्मा — Shri D. C. Sharma

श्री चन्द्रमणि लाल चौधरी — Shri Chandramani Lal Chaudhry

श्री अ० सिं० सहगल — Shri A.S. Saigal

श्री रणंज्य सिंह — Shri Rananjai Singh

श्री कमल नयन बजाज — Shri Kamalnayan Bajaj

डा० सुशीला नायर — Shrimati Sushila Nayar

श्री अ० त्रि० शर्मा — Shri A. T. Sarma

संविधान (संशोधन) विधेयक (सप्तम अनुसूची का संशोधन) डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी का — Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Seventh Schedule) by Dr. L.M. Singhvi

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
	परिचालित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत हुआ	Motion to Circulate —(adopted)	
	डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	Dr. L.M. Singhvi	
	श्री मु० क० चागला	Shri M.C. Chagla	
	श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी	Shri J.P. Jyotishi	
	श्री दी० चं० शर्मा	Shri D.C. Sharma	
	श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N.C. Chatterjee	
	श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	
	श्री विश्वनाथ पाण्डेय	Shri Vishwa Nath Pandey	
	श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	
	श्री गौरी शंकर कक्कड़	Shri Gauri Shankar Kakkar	
	श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	
	श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	
	श्री वारियर	Shri Warior	
	श्री रंगा	Shri Ranga	
	डा० मा० श्री अणे	Dr. M.S. Aney	
	संविधान (संशोधन) विधेयक	Constitution (Amendment) Bill	
	(अनुच्छेद 352 का संशोधन)	(Amendment of Article 352)	
	श्री हरि विष्णु कामत का	by Shri Hari Vishnu Kamath	
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
	श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	
	मन्त्री महोदय द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Minister	
	श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 12 **अगस्त**, 1966 / 21, **श्रावण**, 1888 (**शक**)

Friday, August 12, 1966 / Sravana 21, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मेसर्स अमीचन्द प्यारेलाल को कच्चे माल का नियतन

*420. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **लोहा और इस्पात** मन्त्री 13 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1669 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अधिकारियों तथा मेसर्स अमीचन्द प्यारेलाल के विरुद्ध लगे आरोपों के बारे में जाँच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

लोहा और इस्पात मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) संभवत: प्रश्न में जिन आरोपों का जिक्र किया गया है वे कठुआ में मिट्टी के बर्तन के कारखाने के लिए जम्मू और काश्मीर सरकार को दी गई नालीदार जस्ती चादरों के अभिकथित दुरुपयोग के बारे में है । लगभग 2 महीने पहले जम्मू और काश्मीर सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी । यह खेद की बात है कि स्मरण-पत्र देने पर भी अभी तक आवश्यक सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है । सूचना प्राप्त होने पर मैं इसे यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दूंगा ।

Shri Yashpal Singh: By what time this enquiry will be completed ?

Shri Sethi : The Kashmir Government has been requested several times in this regard; recently a telegram was also sent to them, it is expected that information in this regard will soon be available.

Shri Yashpal Singh: In case the Kashmir Government makes a delay in this matter,

cannot the Intelligence Bureau of the Government do anything when the House is anxious to know as to the extent to which the misuse was there.

Shri P.C. Sethi: It is our duty firstly to obtain the information through the State Government. If they make delay in that, there are another methods also which we will consider.

Shri Maurya: For how long these investigations are going on? Have Government given attention to the fact that 20 years back this firm did not have even one lakh rupees, while today it has property of the value of Rs. 10 crores. From where they have accumulated this wealth, since the amount of income-tax paid by them does not warrant the property of Rs. 10 crores? In view of all this, the enquiry should not be further delayed as there is danger of necessary documents being destroyed.

Shri P. C. Sethi : The question was raised here on 13th May, 1966 and since then the matter is constantly under correspondence with the Government of Jammu and Kashmir and keeping in view the time from May upto now much delay has not been made in this matter.

Shri Maurya: My question has not been answered. My question is whether Government have considered that if this matter is further delayed there is danger of the important document being removed from the files which will make it difficult to punish the offenders. Therefore expeditious steps should be taken through Intelligence Bureau. When the embezzlement was detected why the enquiry was not immediately held?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh): I would like to tell that we are taking constructive steps in this matter. In the project concerned the Kashmir Government is also one of the proprietors therefore we hope the papers will be intact.

Shri Sheo Narain: May I know whether this ceramic factory is functioning or not, if not, since when?

Shri T. N. Singh : I want notice for this.

Shri Bhagwat Jha Azad: Many big persons are under the influence of M/S Amin Chand Pyare Lal. If even after repeated reminders the Kashmir Government is feeling difficulties, we would like to know as to what those difficulties are and if they cannot overcome those difficulties why do the Central Government not take the matter in its own hands?

Shri T. N. Singh : We will consider the suggestion of the hon. Member. I have asked the Minister of the Kashmir Government twice on the phone and the assurance given by him must be relied upon.

श्री स्वैल : इस फर्म के विरुद्ध कई और आरोप हैं और इसमें कई अधिकारी भी शामिल हैं। उस फर्म ने बिना किसी आयात लाइसेंस के देश में माल आयात किया था और बाद में उस फर्म को लोहा और इस्पात नियन्त्रक, कलकत्ता के अधिकारियों द्वारा स्वीकृति के परमिट दे दिये गये थे। क्या इन आरोपों की कोई जांच की गई है।

श्री त्रि० ना० सिंह : इस प्रश्न का सम्बन्ध जम्मू और काश्मीर के एक विशिष्ट कारखाने से है.....

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : जी नहीं। यह प्रश्न तारांकित प्रश्न संख्या 1669 के उत्तर से उत्पन्न होता है जिसमें बहुत सी चीजें शामिल हैं केवल जम्मू और काश्मीर का एक कारखाना ही नहीं।

श्री त्रि० ना० सिंह : इसीलिये मैं कह रहा था कि यह समझा जाता है कि आरोप.....

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आप कुछ भी समझ सकते हैं।

श्री त्रि० ना० सिंह : मैंने ऐसा समझा है। हम प्रश्नों का उत्तर देने के लिये उसी के

आधार पर तैयार हो कर आये हैं। सामान्य रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो भी किया जा सकता है किया जा रहा है। मैं भी आश्वासन दे सकता हूँ।

श्रीमती सावित्री निगम : माननीय मन्त्री द्वारा दिये गये उत्तरों से यह स्पष्ट है कि कई बार कहने के बावजूद भी जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने अपेक्षित जानकारी नहीं दी है। मैं जानना चाहती हूँ कि केन्द्रीय सरकार की क्या उपपत्तियां हैं और क्या इन उपपत्तियों के आधार पर इन व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार की कोई जिम्मेदारी निश्चित की गई है या नहीं।

श्री त्रि० ना० सिंह : हमें और तथ्य मिल जाने के बाद ही यह मामला उठ सकता है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि मेसर्स अमीचन्द प्यारे लाल के साथ सरकार बहुत पक्षपात करती है क्योंकि इसने कुछ कांग्रेसियों के चुनावों के लिये मोटी रकमे दी हैं.....

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री हेम बरुआ : यदि यह लोग इन्कार करते हैं तो मैं उनके नाम बताता हूँ। श्री सुब्रह्मयम से पहले जो इस्पात मंत्री थे विशेष रूप से उनकी चुनाव निधि में इस फर्म द्वारा 7 लाख रु० का अंशदान दिया गया था। और यदि यह सच है तो क्या सरकार 1953 से लेकर आजतक के सारे मामलों की जांच करेगी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : जहाँ तक लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, जांच के लिये लोक लेखा समिति की सिफारिशों से सहमत होते हुए हमने अपने प्रस्ताव दिये हैं। जहाँ तक आरोपों का सम्बन्ध है मैं नहीं समझता कि ऐसे आरोप लगाने जाने चाहिये। सारा मामला पहले से ही लोक लेखा समिति के सामने है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या फर्म के सारे मामलों की जांच की जायेगी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : लोक लेखा समिति के 50वें प्रतिवेदन में जो कुछ भी दिया गया है उन सब बातों की जांच की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या सारे आरोपों की जांच की जायेगी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : जी हां।

श्री हेम बरुआ : मैंने एक विशिष्ट आरोप लगाया है कि एक विशिष्ट मंत्री की चुनाव निधि में उस फर्म ने 7 लाख रु० का अंशदान दिया है। इसको ध्यान में रखा जाना चाहिये।

श्री भागवत झा आजाद : उसने सभी राजनीतिक दलों को अंशदान दिया है। प्रजा समाजवादी दल भी लेता है (**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : बिना सिर पैर के आरोप लगाने का कोई फायदा नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : यह आप कैसे कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब एक ओर से आरोप लगाये जाते हैं तो दूसरी ओर से उनका विरोध किया जाता है। यह कहा गया है कि सभी आरोपों की जो लगाये गये हैं जांच की जायेगी। जांच के पूरा होने तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रजा समाजवादी दल की निधि में भी मेसर्स अमीचन्द प्यारेलाल ने अंशदान दिया है। इसका लोक लेखा समिति की जांच से कोई सम्बन्ध नहीं है। या तो उनको इसका सत्यापन करना चाहिये या इस आरोप को वापस लेना चाहिये। यह झूठा आरोप है, यह एक असदभावपूर्ण वक्तव्य है..... (**व्यवधान**)

श्री भागवत झा आजाद : उनको भी, कांग्रेस दल के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है उसको वापस लेना चाहिए। उन्हें भी वापस लेना चाहिए (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे इसकी जांच करनी चाहिए, अर्थात् श्री हेम बरुआ का, उन्होंने जो कुछ उन्होंने कहा है उसका सत्यापन करना चाहिये। जब तक मैं उनको सत्यापन के लिए नहीं कहता मैं दूसरे पक्ष को, उसने जो कुछ कहा है उसका सत्यापन करने के लिए कैसे कह सकता हूं ? (**व्यवधान**) अब इसको यहीं समाप्त करना चाहिये।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : एक गलतफहमी है। श्री हेम बरुआ का प्रश्न एक विशिष्ट फर्म के साथ सौदों के सम्बन्ध में था और उससे मन्त्री का सम्बन्ध था। श्री हेम बरुआ का प्रश्न था कि क्या वह विशिष्ट मन्त्री उसमें अन्तर्ग्रस्त था और क्या सारे मामले की जांच की जायेगी ? श्री आजाद की टिप्पणियों का प्रश्न के उस पहलू से कोई सम्बन्ध नहीं था ; यह एक बिलकुल पृथक प्रश्न था जो एक फर्म द्वारा एक विशिष्ट राजनीतिक दल को अंशदान दिये जाने के बारे में था।

श्री भागवत झा आजाद : उन्होंने कांग्रेस दल और कांग्रेस के मन्त्री पर आरोप लगाया। मैंने भी उनके दल पर आरोप लगाया। (**व्यवधान**)

श्री मनुभाई शाह : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

Sir Maurya : Sir, I rise on a point of order. The question of Shri Hem Barua was " whether it is a fact that the contribution by that firm was made towards the election fund of the then Steel Minister or towards any other election". This is on the point of information and he has every right to ask for that. On that he cannot be asked to subtantiate.

Mr. Speaker : On should not take the attitude that whatever he says is right and what other says is wrong There is no point of order in that.

श्री स्वैल : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री हेम बरुआ द्वारा श्री स्वर्ण सिंह के विरुद्ध एक बहुत ही गम्भीर आरोप लगाया गया है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले क्या यह उचित नहीं होगा कि आप श्री स्वर्ण सिंह से इसका उत्तर देने के लिए कहें कि या तो वह उनके विरुद्ध जो आरोप लगाया गया है उसको स्वीकार करें या उसका खण्डन करें ?

अध्यक्ष महोदय : इसका खंडन करना सरकार का काम है न कि मेरा।

Sri Madhu Limaye : Yesterday night, I received a letter regarding M/S Amin Chand Pyare Lal Group saying :—

" The Hindustan Acronotics Ltd. Bombay, have taken office space on highly disadvantageous terms at Steelcrete House, Bombay, the building owned by Amin Chand Pyarelal Group. The terms are ;

(a) Lease for three years ;

(b) Rs 3.50 per sq. ft. rent; three years rent to be paid in advance ; and

(c) The total amount paid as deposit is Rs. 6 lakhs. ''

The terms also empowered them to terminate the agreement.

They wanted to terminate it after one year. Now I want to know whether M/S Amin Chand Pyare Lal Group have refused to repay the deposit of Rs. 6 lakhs.

श्री त्रि० ना० सिंह : सम्भव है हिन्दुस्तान एयरोनारिक्स ने ऐसा किया हो । मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है मैं इसके बारे में कुछ भी कैसे कह सकता हूं ।

Shri Madhu Limaye : Sir, I do not insist that the answer should be given just now. But they must assure to give the answer later on as it is a question of wide import .

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं हिन्दुस्तान एयरोनारिक्स के बारे में कुछ नहीं जानता । मुझे इसके बारे में किसी भी बात का कैसे पता हो सकता है ? मैं इसके बारे में कुछ कैसे कह सकता हूं ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह प्रश्न लोहा और इस्पात मंत्रालय के लिए नहीं था ; यह सम्भरण, तकनीकी विकास और सामग्री आयोजन मन्त्रालय के लिये है ।

अध्यक्ष महोदय : वह उनको भेज दिया गया था । मेरी प्रति में इसकी शुद्धि कर दी गई है ।

श्री राम सहाय पांडेय : माननीय मन्त्री ने बताया कि जांच चल रही है । क्या सरकार काश्मीर सरकार द्वारा जांच पूरी करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करने की बात सोच रही है ताकि हमें पता लग सके कि उसकी आपत्तियां क्या हैं ? मेसर्स अमीचन्द प्यारे लाल को अब तक कितनी बार काली सूची में रखा गया है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : यह बात सुज्ञात हैं । चोर बाजारी का उल्लेख लोक लेखा समिति के पचासवें प्रतिवेदन में पहले से ही किया गया है यह सर्व विदित है । हाल ही तक वे काली सूची में थे, परन्तु अब वे अदालत में चले गये हैं और काली सूची में दर्ज किये जाने के विरुद्ध उन्होंने न्यायालय से आदेश ले लिया है । चूंकि मामला उच्च न्यायालय के सामने है, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा ।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know the total amouut paid by Hindustan Steel Limited to M/S Amin Chand Pyare Lal Group of firms as penality so for in several suits filed by the later against the former because in one case only they have paid Rs. 40 lakhs.

श्री प्र० चं० सेठी : मुझे इस प्रश्न के लिए सूचना चाहिये ।

श्री दी० चं० शर्मा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मेसर्स अमीचन्द प्यारे लाल की फर्मों का जाल सारे भारतवर्ष में फैला हुआ है, वह जम्मू तथा काश्मीर में है पंजाब में हैं दिल्ली में हैं । क्या सरकार के लिये इस मामले को एक स्वतन्त्र अभिकरण को सौंपना सम्भव नहीं है ताकि हम कम से कम समय में ठोस और निश्चित निष्कर्षों पर पहुंच सके ? इस

प्रश्न को जितनी अधिक देर के लिये अनिर्णीत रखा जायेगा इतनी ही अधिक गड़बड़ी इस सभा में होगी ।

श्री त्रि० ना सिंह हम अच्छी तरह समझते हैं कि हमें तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये; और हम कार्यवाही कर रहे हैं ; मै सभा के इस सम्बन्ध में आश्वासन दे सकता हूं ; प्रशासनिक अभिकरण के द्वारा प्रशासनिक रूप से हम जो भी जांच कर सकते हैं कर रहे हैं ।

मामला लोक लेखा समिति की जानकारी में भी है । हमने उसके विचारों और कार्य प्रणाली को स्वीकार कर लिया है ।

टायरों की कमी

*421. **श्री मौर्य :** **श्री भागवत झा आजाद :**

डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री सोनावने :**

श्री किशन पटनायक : **श्री रघुनाथ सिंह :**

श्री राम सेवक यादव : **श्री यु० द० सिंह :**

श्री मधु लिमये : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री काशीराम गुप्त :**

क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में मोटरगाड़ियों के टायरों की अत्यधिक कमी की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार की दिल्ली के मोटर गाड़ी मालिक संघ से इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो टायरों की उनकी जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभूधेन्द्र मिश्र): (क) **और** (ख) : जी, हां ।

(ग) कमी की शिकायत अन्य किस्म के टायरों के बारे में न होकर खास तौर पर नाइलोन की डोरी वाले टायरों के बारे में की गई है । नाइलोन की डोरी का सीमित आयात होने के कारण इस किस्म के टायरों का उत्पादन बहुत कम हुआ है । दिल्ली के मोटर गाड़ी मालिक संघ तथा टायर निर्माता इस बात पर सहमत हो गये हैं कि कोई ऐसी काम चलाऊ व्यवस्था की जाय जिससे उपयोक्ताओं को मन चाही राहत मिल सके ।

Shri Maurya: May I know whether any action has been taken against some very big persons who have brought tyres into India through Air India International despite importe restrictions on them and Customs authorities also objecting to that.

श्री विभूधेन्द्र मिश्र : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता; केवल सीमा शुल्क वाले ही इसका उत्तर दे सकते हैं । मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

Shri Maurya: What is the demand and supply ratio of tyres; what is the quantum of shortage and in what time this shortage is sought to be met ?

श्री विभूधेन्द्र मिश्र : वास्तव में इस समय देश में टायरों की कोई कमी नहीं है। उत्पादन मांग से अधिक है, और टायरों का निर्यात भी हुआ है।

उद्योग मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : 1965 में 25.9 लाख टायर तैयार किये गये थे जब कि मांग 25 लाख टायरों की थी। 1965-66 में हमने 80,730 टायरों का निर्यात किया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मन्त्री की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूँ कि उपभोक्ताओं द्वारा अब भी कठिनाई अनुभव की जा रही है।

श्री संजीव रेड्डी : यह सच है कि उत्पादन फालतू होते हुए भी शिकायतें हैं। इन शिकायतों की जांच की गई है। 4 अगस्त 1966 को हमारे मन्त्रालय में निर्माताओं और उपभोक्ताओं के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया था। उन्होंने कोई व्यवस्था निकाली है। एक या दो महीने तक हम स्थिति का अवलोकन करेंगे; यदि इसमें सुधार नहीं होता तो हमें कुछ अन्य उपाय करने होंगे क्योंकि फालतू होने पर भी यदि मिलने में कठिनाई होती है तो यह एक गम्भीर मामला है।

Shri Bhagwat Jha Azad: Hon. Minister has said that the production of Tyres have increased and our exports are also more. He has called the meeting of producers and users. In view of all this may I know as to why despite all the laudable steps enunciated by the hon. Minister, the tyres are not available in the market and if at all they are available why at higher rates and why the Government is still having control on their distribution? What sort of difficulties are in the way of the Government; whether they are of distribution or corruption or lack integrity?

श्री संजीवैया : कठिनाइयों का कारण यह है कि व्यापारियों ने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया है। यही कारण है कि हाल ही में हुई बैठक में यह सहमति प्रकट की गई कि व्यापारियों को उनके पास उपलब्ध टायरों की जानकारी व्यापारियों की संख्या को देनी होगी। यांग के बारे में चालक संघ व्यापारी संस्था को सूचना देगा और व्यक्तिगत चालक को टायर लेने के लिये विशिष्ट व्यापारियों के पास भेजा जायेगा। एक या दो महीने तक इस स्थिति का अवलोकन किया जायेगा और यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो हमें कुछ और उपाय करने होंगे।

Shri Raghunath Singh: The reply of the hon. Minister is excellent. But the position is that if you go to get a tyre in Delhi, you will have to pay black-market price for the same. I have also purchased a jeep from Defence and wanted to purchase tyre for that. But for me even the prices quoted were one and a half times more. Therefore I want that something should be done so that consumers may get these at reasonable rates.

Mr. Speaker: This question has already been replied.

Shri Onkar Lal Berwa: By how much the price of a tyre has gone up after devaluation and by how much our export earnings by the export of tyres has gone down after devaluation?

श्री संजीवैया : अवमूल्यन के बाद टायर की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : अवमूल्यन के कारण हमारे टायरों के निर्यात में हमें कितना घाटा रहा है ?

श्री संजीवैया : यह मैं नहीं बता सकूंगा ।

वाणिज्य मंत्री (श्री मनु भाई शाह) : उसका निर्यात बढ़ेगा ।

Shri M.L. Dwivedi: Is it a fact that the import quota of rubber used in tyre manufacture has been reduced by 40 percent consequent upon which the work in factories has been dislocated resulting in the shortage of tyres and if so, what is the impediment in restoring the quota of rubbers?

Shri Manubhai Shah: The rubber quota has not at all been reduced; it has rather been given the status of an industry in the liberalised import policy. There is no shortage of raw material. There are pockets of scarcity as availability of tyres is concerned which my hon. friend is looking into. We shall further look into it so that the local problem is solved.

Shri Gulshan: When the price of tyre has gone up and the production has also gone up then how it is that it is not available on normal rates in the market.

Mr. Speaker: This has already been replied.

\+ **नारियल का निर्यात**

*422. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री रा० बरुआ :**

श्री लीलाधर कटकी :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में हरे नारियल की बड़े पैमाने पर खपत भारत के लिये "अत्यधिक हानिकारक" है क्योंकि इससे निर्यात आय में बहुत कमी हो जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ब्राज़ील जैसे बहुत से अन्य देशों की तरह हरे नारियल काटने पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनु भाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) हमारे पास ब्राजील तथा अन्य देशों के बारे में कोई सूचना नहीं है । अभी सरकार का ऐसी कटाई पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई इरादा नहीं है, यद्यपि यह सत्य है कि यह एक अवांछनीय रिवाज है ।

Shri Yashpal Singh: On what basis the hon. Minister can say in a secular state like India that it is an undesirable practice, when on ceremony in our own house is performed here with a coconut?

Shri Manubhai Shah : I have replied to what the hon. Member has asked. I replied that even though we consider it to be undesirable, we are not banning it.

Shri Yashpal Singh: We can meet the shortage by whatever foreign exchange we can get through export even after the coconut is ripe.

Mr. Speaker : That is suggestion, but what is the information which he wants?

Shri Yashpal Singh: What amount of foreign exchange did we earn last year?

Shri Manubhai Shah: We have rather lost. When their is shortage of it, then we can neither become self-suffiicent without import nor we can export.

Shrimati Ram Dulari Sinha : Is it a fact that water from green coconut is prescribed in many diseases and if we ban the cutting of green coconut then we have to incurr much expenditure over its administration.

Mr. Speaker : They have said everything.

श्रीवारियर : भारत से कितनी मात्रा में नारियल निर्यात किया जाता है ?

श्री मनुभाई शाह : कोई नहीं। एक छोटी सी संख्या को छोड़ कर हम हरा नारियल बिल्कुल निर्यात नहीं कर रहे हैं।

इस्पात के कारखाने

*423. **श्री लिंग रेड्डी :** **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री पं० वेंकटासुब्बया :**

श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

श्री धुलेश्वर मीना : **श्री मे० क० कुमारन :**

क्या **लोहा और इस्पात** मन्त्री 22 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1283 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस्पात के कितने कारखाने हैं तथा वे इस समय किस प्रक्रम में काम कर रहे हैं ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस्पात के कितने कारखाने खोलने का विचार है तथा उन पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) वर्तमान इस्पात कारखानों का विस्तार करने का क्या कार्यक्रम है तथा उन पर अनुमानत; कितनी लागत आयेगी; और

(घ) क्या इस्पात का तीसरी योजना का निर्धारित लक्ष्य पूरा हो चुका है ?

लोहा और इस्पात मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 6761/66]

श्री हू० चा० लिंग रेड्डी : विवरण में जिन प्रारम्भिक कार्यों का उल्लेख किया गया है क्या उनका सम्बन्ध पांचवें और छठें इस्पात संयंत्रों से है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जी हां, जिस प्रारम्भिक कार्य का उल्लेख किया गया है उसका सम्बन्ध पांचवें और छठे इस्पात सन्यन्त्रों से है।

श्री हू० चा० लिंग रेड्डी : क्या सरकार ने इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिये होस्पेट के नाम पर विचार किया है जहां कि प्रचुर मात्रा में लोहे अयस्क तथा सस्ती बिजली उपलब्ध है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जी हां, अवसर आने पर सभी संभव स्थानों पर विचार किया जायेगा ।

श्री प्र० चं० बरुआ : भारतीय इस्पात की ऊंची लागत का एक कारण जैसा कि महताब समिति ने अनुमान लगाया यह है कि उन के अनुसार एक मजदूर इस समय एक वर्ष में 55 पिंड तैयार करता है जब कि प्रतिव्यक्ति इस उत्पादन को बढ़ा कर 125 पिंड किया जा सकता है । मजदूरों से अधिक काम लेने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ताकि महताब समिति ने जो लक्ष्य रखा है उसको प्राप्त किया जा सके ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह प्रश्न चतुर्थ योजना के लक्ष्यों और इस्पात संयंत्रों की वर्तमान क्षमता के बारे में है । महताब समिति का प्रतिवेदन और उस पर विचार इससे उत्पन्न नहीं होता ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : अब चूंकि जापानी दल ने संलक इस्पात संयंत्र की व्यावहार्यता के बारे में अपना प्रतिवेदन दे दिया है, इस संयंत्र को चतुर्थ योजना में शामिल करने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : जापानी समिति का प्रतिवेदन हिन्दुस्तान स्टील के तकनीकी विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है । वह इसकी जांच कर रहा है । हमने योजना आयोग को सुझाव दिया है जैसा कि इस सभा में पहले बताया जा चुका है कि चतुर्थ योजना में इसके लिये 5 करोड़ रु० का उपलब्ध किया जाये । योजना आवंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या सरकार भविष्य में इस्पात संयंत्र स्थापित करते समय इस बात को ध्यान में रखेगी कि उनके लिये ऐसे स्थान चुने जहां लौह अयस्क और अन्य सामग्री सुलभ हो ?

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव है ।

Shri Rameshwaranand: To what extent the proposed plants will contribute to the rise in prices because since 1947 prices are rising continously.

Mr. Speaker. It is difficult to say. Nobody can tell it.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या विभिन्न इस्पात संयंत्रों के विस्तार के सम्बन्ध में सरकार की कोई निश्चित नीति है ? कुछ कारखानों में तो यह काम विभाग द्वारा ही किया जाता है और दूसरों में ठेकेदारों से करवाया जाता है । क्या ठेकेदारों को काम देते समय मजदूरों को मजूरी देने के लिये ठेकेदारों की कोई जिम्मेदारी निश्चित की जाती है और क्या कोई ऐसा भी खण्ड है कि ठेके को रद्द कर दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : एक अनुपूरक प्रश्न में नीति सम्बन्धी मामलों का उत्तर देना कठिन है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ : क्या विस्तार कार्य विभाग द्वारा किया जाता है या ठेकेदारों द्वारों कराया जाता है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हम दोनों तरीकों का प्रयोग करते हैं—विभाग द्वारा तथा ठेकेदारों द्वारा । मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में कोई सख्त नीति अपनाई जानी चाहिये । ये सब, स्थिति तथा एक विशिष्ट संयंत्र की आवश्यकता पर निर्भर करता है ।

श्री सरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मजदूरों की मजूरी के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं समझता हूँ कि यह एक अच्छी व्यवस्था है। यदि किसी और नीति का सुझाव दिया जाता है तो मैं निश्चय ही उसकी जांच करूंगा।

Shri A.S. Saigal: Is it a fact that Madhya Pradesh Government have selected Bastar as a site for the steel plant in the Fourth Plan and the reports too regarding that site are very favourable if so, whether Government have taken any decision in this regard and if not, the reasons

Shri P. C. Sethi: Many State Governments have selected sites in their States for the steel plant. Bailadilla in Madhya Pradesh, Hospet in Mysore and Vishakhapatnam in Andhra are amongst those sites.

Shri Onkar Lal Berwa: What is the foreign exchange component involved in the establishment of these plants and at present how many foreign engineers are working in them?

Shri P. C. Sethi: Regarding the foreign engineers I cannot tell off hand, but as regards foreign exchange component apart from is Rs 488.1 crores for the new projects in the Fourth Plan there will be a spill over amount of Rs 52.5 crores for the steel projects. Thus the total foreign exchange compoment for the Fourth Plan will be of the order of Rs. 540.6 crores.

Shri S. P. Jyotishi: May I know whether a comparative study has been made of the proposals received from the State Governments with a view to ascertaining as to in which State it would be feasible and more profitable to put up the Iron and Steel Plant, if so, whether a decision has been taken in this regard?

Shri P. C. Sethi : Earlier Project Report had been obtained from M/s Dastur and Company on behalf of Hindustan Steel and later the report of Anglo American Consortium was also obtained and that report is now under consideration.

\+ **Catering at Railway Stations**

*424. **Shri Bibhuti Mishra:** **Shri K. N. Tiwary:**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that he had given an assurance that persons belonging to a particular region would be appointed in class IV service on the Railways and that these local persons would get licences to run hotels, restaurants and tea-stalls at Railway stations in that particular region ; and

(b) if so, the extent to which the concerned authorities have implemented the above assurance?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) **and** (b) It is not clear what assurance the Hon'ble Members have in mind. However, recruitment to Class IV is normally confined to the region where the vacancies occur, and naturally attracts the residents of the local area to get themselves recruited.

According to extant instructions, contracts for tea-stalls and vending are allotted to local persons. As far as possible, refreshment room contracts are given to local persons not necessarily of that town but of that area. Contracts for restaurants are given to hoteliers or catering firms of repute having sufficient experience of Western style catering. In all cases the ability to provide service of a high standard is the primary consideration.

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister just now stated the contracts of restaurants etc. are given to hoteliers or catering firms specialized in western style catering. May I know separately this number of Westerners and the Indians who take refreshments in the trains?

Dr. Ram Subhag Singh: Alongside Western style catering there is the Indian style

catering too and it is not that the western dishes are liked by only the Westerners, the Indians have also started taking them.

Shri Bibhuti Mishra: I think it would be better to have local persons for the class IV posts and similarly it is desirable that petty vending contracts like the vending of **Sattu** and **Bhuja** should be given to the local persons. In this regard I had also written a letter to which the hon. Minister replied that that would be taken into consideration. May I know the extent to which this has been put into practice?

Dr. Ram Subhag Singh: Regarding the contracts of **Sattu** and **Bhuja** I want to tell that the contracts of these commodities to any one wants to have them.

Shri K. N. Tiwary: Has the attention of the Government been drawn to the fact that although a committee is set up for the recruitment of class IV staff, yet the vacancies are not given proper publicity and that the frequent constitution of the committees results in irregular recruitment, if so, do Government contemplate to appoint a permanent Committee entrusted with the work of recruitment and publicity?

Dr. Ram Subhag Singh: The permanent Committee has got its own merits and demerits. If certain defects are noticed in the working those defects can be rectified by making suitable changes and therefore it has been laid down that a committee shoud be formed of the two Divisional or District Officers of the Railways and one head master or Principal of the local school or High School whose name is recommended by the State Government. If the pubicity is not enough it will be further intensified. The local people will be given preference by the committee in filling the posts of class IV staff in the District Headquarters.

\+ **Price of Pig Iron**

*425. **Shri M. L. Dwivedi:** **Shri S.C. Samanta:**
Shri Subodh Hansda: **Shri Bhagwat Jha Azad:**

Will the Minister of **Iron and Steel** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the price of pig iron has gone up by 14 percent since 1962 and that the policy of Government regarding the control of prices in the private sector has failed with the result that the prices of articles made of iron have gone up considerably and are expected to rise still further; and

(b) whether the control over production in the private sector has not been successful and the producers in the private sector disregard Government orders and if so, the reasons for not nationalising the private sector industries?

लोहा और इस्पात मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 1962 के बाद कच्चे लोहे के मूल्यों में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके कई कारण हैं जैसे कि उत्पादन शुल्क और रेलभाड़ा में वृद्धि, उत्पादकों द्वारा पर्याप्त मुनाफे की मांग, मजूरी बोर्ड द्वारा लोहे अयस्क और डोलोमाइट खानों के मजदूरों को ऊंची मजूरी का दिया जाना, कोयला आदि की लागत में वृद्धि ऐसा सरकार की नीति की किसी विफलता के कारण नहीं है ।

(ख) उत्पादन पर नियन्त्रण असफल नहीं रहा है और निजी क्षेत्र द्वारा सरकारी आदेशों की कोई अवहेलना नहीं हुई है। तथापि, 20 अगस्त, 1965 से सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के इस्पात संयन्त्रों द्वारा उत्पादित कच्चे लोहे पर मूल्य नियन्त्रण में उदारता लाई गई है। गैर-सरकारी क्षेत्र के इस उद्योग का राष्ट्रीकरण करना आवश्यक या व्यावहार्य नहीं समझा जाता।

Shri M. L. Dwivedi. Have Government taken any decision on the reports given by Khadilkar Committee and the suggestions made by other persons, or are still considering them.

Shri P. C. Sethi: In the main answer I have stated that pig iron has been decontrolled with effect from 20th August, 1965.

Shri M. L. Dwivedi : Regarding private sector it has been stated that they are adhering to the orders of the Government while it is manifest that they have defied the orders of the Government regarding production. If the Government cannot nationalise it, what are the reasons for not putting any restriction on the private sector?

Shri P. C. Sethi: So far as the production of pig iron is concerned there has been no defiance. The production of pig iron is going on according to expectations.

Shri Bhagwat Jha Azad: The Government says that success has been achieved in the working of the priviate sector and that the control of the Governmet is quite alright. Is it not a fact that while not a single Public Sector Plant has made a demand to increase the price, the Private Sector Plants has demanded to increase its prices and they have raised the price also, and if the Government admits that the Private Sector Plants have failed, the reasons for not nationalising them expeditiously?

Shri P. C. Sethi: So far as pig iron is concerned, its prices have been allowed to be increased as and when required both in the public sector in private sector and the factories of the Hindustan Steel Limited have also increased its prices.

Shri Bhagwat Jha Azad: Mr. Speaker, I have not asked whether Government has allowed to increase the prices or not. I want to know that since factories in public sector have never asked for an increase in the prices and only the private sector has all along been asking for an increase in the prices, why Government do not nationalise these factories?

The Minister of Iron and Steel: So far as prices are concerned, mostly we have to go to the Tariff Commission where the prices are fixed. It is, however, correct that the case of main producers is settled simultaneously and that of small producers separately by the Tariff Commission. It will have to be agreed that when our? cost of production increased, we the main producers went to the Tariff Commission asked them to adjust our prices. So far as pig iron is concerned, its price has been decontrolled and there has been an increase in its prices. A number of years ago, licences were given to small factorise on the advice of this House. These factories have been set up in every State in view of regional considerations and they are the private sector. This is their case.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार ने अपनी इस गलती को महसूल किया है कि वह इस्पात के उत्पादन की एक एकीकृत योजना बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने में बिल्कुल असफल रही हैं जिसके फलस्वरूप कुछ किस्म के इस्पात का फालतू उत्पादन हुआ है और कुछ किस्म के इस्पात के उत्पादन में भारी कमी हुई है तथा मूल्यों में भी वृद्धि हुई है ? इस्पात के उत्पादन की एक एकीकृत योजना बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : उत्पादन की यह एक एकीकृत योजना है । माननीय महिला सदस्य यह मानेंगी कि इस्पात कारखानों में उत्पादन के ढङ्ग को एक दम नहीं बदला जा सकता । केवल फ्लैट उत्पादों में कमी है । हमने चौथी योजना में बोकारों में तथा दुर्गापुर और राउरकेला के विस्तार के अन्तर्गत यह ध्यान रखा है कि कमी को ठीक किया जाय ।

Shri Prakash Vir Shastri: May I know the total amount of money invested in

the steel plants set up by Government in the variousparts of India and whether Government is satisfied with the returns,therefor?

Shri T.N. Singh . I want notice for this.

श्री रघुनाथ सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकारी क्षेत्र में हमारे नये कारखानें हैं और आस्ट्रेलिया में तथा अन्यस्थानों पर पुराने कारखाने हैं, क्या मैं यह जान सकता हूँ कि हमारे मूल्यों की तुलना में उनके मूल्य कम क्यों हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये गये इस्पात कारखानों में बहुत अधिक धन लगाया गया है। उदाहरणार्थ इण्डियन आयरन में 1100 रुपये प्रति टन के हिसाब से धन लगा हुआ है जबकि हिन्दुस्तान इस्पात परियोजनाओं में यह लगभग 2400 रुपये है।

श्री रघुनाथ सिंह : जब हमारे कारखाने नये हैं तो आस्ट्रेलिया में और अन्य स्थानों पर जो मूल्य हैं वे हमारे मूल्यों की तुलना में कम क्यों हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : यह एक नये प्रकार का उद्योग है जो भारत में एक बड़े पैमाने पर चालू किया गया है और मुझे यह कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि हमारे रास्ते में कई बाधाएं हैं। हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और मैं सभा को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा अनुभव बहुत मूल्यवान रहा है। मेरे विचार में, कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी हमारे लोगों ने कुल मिलाकर एक अच्छा कार्य कर दिखाया है।

Shri Bhagwat Jha Azad: Have Tatas repaid the loan?

श्री त्रि० ना० सिंह : जी, हां।

श्री शिव नारायण : कच्चा लोहा देश के लिये एक महत्वपूर्ण चीज है। इसका राष्ट्रीयकरण करने में सरकार को क्या आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल में इतने बड़े प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता।

Shri Achal Singh : In view of the fact that pig iron is surphus in the country at present, whether Government propose to reduce its price so that there is reduction in prices of other articles also?

Shri P. C. Sethi : It is correct that we have got surplus pig iron but its rates are fixed by the Joint Plant Committee. Moreover there is no price control over it.

Shri M. L. Verma: When prices are enhanced either by the public sector or the private sector, do Government go into the reasons as to why prices are being enhanced and whether Government will allow the public sector to increase the prices at their own sweet will and to loot the public?

Shri T. N. Singh: I do not accept this that public sector is looting the public.

Shri Rameshwaranand: Our Government is producing iron of differenct types and in spite of that it is said that iron is being imported from outside also. May I know the quantity of iron and iron goods which are imported as well as which are exported?

Shri T. N. Singh: This question relates to pig iron. I do not have figures relating to iron at present?

\+ **यूरोपीय साझा बाजार**

*426. **श्री वारियर :** **श्री दे० द० पुरी :**

श्री दाजी : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन के प्रवेश के कारण ब्रिटेन के साथ भारत के व्यापार सम्बन्धों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया है ;

(ख) क्या सरकार ने साझा बाजार में ब्रिटेन द्वारा प्रवेश करने पर भारतीय व्यापार के हितों के संरक्षण के लिये ब्रिटेन से कोई आश्वासन मांगा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्रिटेन की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : जून, 1962 में लन्दन में हुए राष्ट्रमंडलीय व्यापार मंत्रियों के सम्मेलन के पश्चात जारी की गई विज्ञप्ति (जिसका एक उद्धरण सभा-पटल पर रखा जाता है) में यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन की महामहिम महारानी की सरकार की नीति तथा ब्रिटिश सरकार के प्रवक्ता द्वारा राष्ट्रमंडलीय देशों को दिया गया आश्वासन दिया गया है ।

उद्धरण

ब्रिटिश व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष ने बैठक में एफटा तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय से ब्रिटेन के सम्बन्धों के विकास तथा ब्रिटिश सरकार की यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सदस्य इस शर्त पर बनने की तत्परता का उल्लेख किया कि ब्रिटेन तथा राष्ट्रमंडलीय देशों के अत्यावश्यक हितों की सुरक्षा की जाये । "उन्होंने बताया कि ब्रिटिश सरकार यूरोपीय आर्थिक समुदाय से समन्वेषणात्मक बातचीत में प्रगति के बारे में राष्ट्रमंडलीय सरकारों को यथासम्भव अधिकतम जानकरी देगी तथा वह किसी बातचीत के सभी प्रक्रमों के बारे में अन्य राष्ट्रमंडलीय सरकारों से पूरी तरह से सलाह करेगी" । व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दिये गये आश्वासनों का स्वागत करते हुए अन्य मंत्रियों ने समन्वेषणात्मक बातचीत, वादविवाद तथा सन्धिवार्ता के सभी प्रक्रमों के बारे में विचार विमर्श पर बल दिया ।

श्री वारियर : क्या राष्ट्रमंडलीय व्यापार मंत्रियों के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधियों ने कोई विशिष्ट मांग की थी कि यूरोपीय साझा बाजार के साथ हमारे व्यापार की रक्षा की जाये ?

श्री मनुभाई शाह : जी, हां । हमने महामहिम महारानी की सरकार से एक विशिष्ट मांग की थी कि बिना हामारी सलाह लिये ब्रिटेन द्वारा एकपक्षीय रूप से किसी रियायत का उस समय तक त्याग नहीं किया जाये जब तक यूरोपीय साझा बाजार के देशों से हमारे लिये प्रतिकरात्मक लाभ प्राप्त नहीं किये जाते ।

श्री वारियर : उस सम्मेलन में, जैसा कि मैं विवरण से समझ पाया हूँ, ब्रिटेन ने बचन दिया था कि यूरोपीय साझा बाजार के देशों के साथ अपनी बात चीत की प्रत्येक अवस्था के बारे में

वे राष्ट्रमंडलीय देशों से सलाह लेंगे और उन्हें इन अवस्थाओं तथा बातचीत में हुई प्रगति से अवगत करेंगे। क्या ऐसा किया गया है और क्या भारत सरकार यह जानती है कि वे बातचीत की किस अवस्था तक पहुंचे हैं ?

श्री मनुभाई शाह : ये शब्द हैं जो ब्रिटिश व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष श्री डग्लस जे ने प्रयोग किये थे। उन्होंने कहा था कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ समन्वेषणात्मक बातचीत की प्रगति के बारे में ब्रिटिश सरकार राष्ट्रमंडलीय देशों को यथा सम्भव अधिकतम जानकारी उपलब्ध करेगी तथा वहाँ बातचीत की सभी अवस्थाओं के बारे में अन्य राष्ट्रमंडलीय सरकारों से सलाह करेगी।

श्री वारियर : मेरा प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने ऐसा किया भी है।

श्री मनुभाई शाह : जी, हां, वे ऐसा निरंतर रूप से कर रहे हैं और वे हमें जानकारी भेजते रहते हैं।

Shri Yashpal Singh : It has not been made clear whether our export trade will increase or decrease as a result of Britain's entry in the E. C. M.?

Shri Manubhai Shah: At present, nothing can be said about it. When we come to know about the terms under which Britain will be allowed to join ECM, only then we will be able to say as to whether our exports will increase or not.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि विस्तारपूर्वक बातचीत करने से पूर्व, जो कि कुछ समय पश्चात की जायेगी चाय और कुछ अन्य वस्तुओं पर कर न लेने की वर्तमान रियायत को जारी रखे जाने के बारे में यूरोपीय साझा बाजार को एक अनौपचारिक आश्वासन दिया गया है; और यदि हां, तो यह रियायत कब तक दी जाती रहेगी ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक यूरोपीय साझा बाजार का सम्बन्ध है; साझा बाजार के अध्यक्ष ने कहा है कि "शून्य सीमा शुल्क" केवल एक और वर्ष तक रहेगा। परन्तु जहां तक राष्ट्रमंडलीय अधिमान का सम्बन्ध है, यह स्थायी आधार पर है।

Shri Bhagwat Jha Azad: It is not clear from the extract read and laid on the Table of the House by the hon. Minister that Britain will not join ECM against the interests of the Commonwealth countries. Can the hon. Minister tell this House on the basis of his experience in the Conference or on ithe basis of the stand taken by British Government so far that if it is againstthe interests of our country, Britain will not join E.C.M.

श्री मनुभाई शाह : मैं सभा में यह आश्वासन दे सकता हूँ कि जब तक उनके साझा बाज़ार में शामिल होने से हमारे अधिमानों की पूरी तरह रक्षा नहीं की जाती अथवा प्रतिकर नहीं दिया जाता, तब तक भारत महामहिम महारानी की सरकार के साझा बाजार में शामिल होने की बात कभी भी स्वीकार नहीं करेगा चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हों।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि यूरोपीय साझा बाजार बन जाने से एशियाई साझा बाजार, अफ्रीकी साझा बाजार तथा अरब साझा बाजार बनाये जाने के प्रस्ताव रखे गये हैं और यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय स्थिति का सही निर्धारण करने के पश्चात सभा को बता

सकते हैं कि एशियाई अथवा अफ्रीकी साझा बाजार सम्बन्धी ये प्रस्ताव विश्व व्यापार के लिये कहां तक प्रतिकारात्मक अथवा पूरक होंगे ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक एशियाई साझा बाजार का सम्बन्ध है, यह अभी बहुत ही अस्पष्ट तथा अपरिपकव अवस्था में है। हमारा मत यह है कि साझा बाजार से केवल उन देशों को लाभ हो सकता है जहां साझा आर्थिक आधार है और जो कुछ परिमाण में प्रगति कर चुके हैं। एशिया में देशों का राजनैतिक ढांचा इतना भारी भरकम और अर्थव्यवस्था का इतनी कम विकास हुआ है कि शायद साझे बाजार का कोई लाभ नहीं होगा।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : कुछ वर्ष पूर्व, जब ब्रिटेन के साझा बाजार में शामिल होने का प्रश्न उठा था तो, हमारी समझ के अनुसार, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के हितों को ध्यान में रखते हुए बातचीत टूट गई थी। इस बातचीत में भारत और अन्य एशियाई देशों का इतना उल्लेख नहीं किया गया था। क्या माननीय मंत्री के पास यह कहने का कोई आधार है कि इस बार भारत तथा अन्य एशियाई देशों का पूरा ध्यान रखा जायेगा ? क्या परिस्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ है ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय महिला सदस्या की पहली अभिधारणा, यदि मुझे ऐसा कहने दिया जाय, बिल्कुल गलत है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : यह समाचारपत्रों में भी छपा था।

श्री मनुभाई शाह : मैं यह स्पष्ट कर दूं कि ब्रिटेन को शामिल न करने का कारण कनाडा तथा आस्ट्रेलिया के हित नहीं थे परन्तु इसका कारण यह था कि कृषि तथा मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में इनकी नीतियां रोम ट्रीटी के अन्तर्गत देशों की इसी प्रकार की नीतियों से मेल नहीं खाती अत: यूरोपीय साझा बाजार इसे शामिल करने के लिये तैयार नहीं है अत. मूल प्रश्न कनाडा अथवा भारत के हितों का न हो कर साझा बाजार के देशों के हितों का प्रश्न है कि क्या ब्रिटेन के शामिल हो जाने से उनको पारस्परिक लाभ होगा अथवा नहीं। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, हमारे मामले में यह सच है कि ब्रिटिश सरकार की ओर से ब्रिटिश व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा हमें स्पष्ट शब्दों में यह आश्वासन दिया गया है कि यदि ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई ऐसी कार्यवाही की जाती है, जो उन अधिमानों पर प्रभाव डालेगी जो अब हमें ब्रिटेन में कई वस्तुओं में प्राप्त हैं, तो या तो इनके लिये प्रतिकर दिया जायेगा अथवा इनकी पूरी रक्षा की जायेगी।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि एशियाई साझा बाजार के मामले में बहुत ही दिलचस्पी ले रहा है ? यदि हमारी सरकार इस बारे में सतर्क न रही तो इस बीच चीन चुपके से इसका सदस्य बन जायेगा और इस प्रकार हमारे से आगे बाजी ले जायेगा ?

श्री मनुभाई शाह : चूंकि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं हैं अत: वह साझा बाजार का सदस्य नहीं बन सकता है।

श्री हेम बरुआ : चीन कुछ समय से ऐसा प्रस्ताव रखता रहा है।

श्री मनुभाई शाह : एशियाई साझा बाजार अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत एक कानूनी चीज है। एशियाई साझा बाजार के बारे में जितनी बार बातचीत हुई है, उनमें चीन ने कभी भाग नहीं लिया है।

श्री हेम बरुआ : चीन भाग लेता रहा है।

श्री मनुभाई शाह : बिना किसी कानूनी आधार के वह साझा बाजार में कैसे शामिल हो सकता है ?

श्री दी० च० शर्मा : ब्रिटेन के साथ राष्ट्रमंडलीय देशों के सम्बन्ध दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत अथवा अफ्रीकी देशों जैसे राष्ट्रमंडलीय देशों की तुलना में जहां के निवासी ब्रिटेन मूलक नहीं हैं ब्रिटेन ऐसे राष्ट्रमंडलीय देशों में अधिक दिलचस्पी लेता है जहां लोग ब्रिटेन के मूलक हैं। यदि हां, तो हमारे मंत्री यह कैसे सोचते हैं कि जब तक हमारे हितों की रक्षा नहीं की जाती तब तक ब्रिटेन साझा बाजार में शामिल नहीं होगा।

श्री मनुभाई शाह : हम सब इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि लन्दन सम्मेलन में 22 देशों ने सर्वसम्मति से यह इच्छा तथा चिंता की भावना व्यत की थी कि ब्रिटेन को राष्ट्रमंडल के देशों के चाहे इन देशों में गोरे रंग के लोग रहते हों अथवा काले रंग के रहते हों, हितों के विरूद्ध साझा बाजार में शामिल नहीं होना चाहिये, दूसरा कारण यह है कि ब्रिटिश व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष ने हमें आश्वासन दिया कि यदि वे अधिमानों के रूप में हमारे हितों की रक्षा नहीं करते हैं तो उनकी अपनी समस्यायें और अधिक जटिल हो जायेंगी और हमारे रास्ते में और अधिक बाधाएं आयेंगी। इन दो कारणों के संदर्भ में हम महसूस करते हैं कि उनके शब्दों पर विश्वास करना बिल्कुल सम्भव है कि वे हमारे से सलाह करते रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे मुख्य हितों की सुरक्षा की जाये।

ऐल्यूमिनियम पिघलाने का कारखाना

+

*427. **श्री विश्वनाथ पान्डेय :** क्या खान तथा धातु मंत्री 15 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1131 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में ऐल्यूमिनियम पिघलाने का एक कारखाना लगाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ; और

(ग) कारखाने पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी तथा उसकी क्षमता कितनी होगी ?

खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सैं० अ० मेहदी) : (क) एक एल्यूमिना प्लांट स्थापित करने के लिये गुजरात खनिज विकास निगम से एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। गैर-सरकारी क्षेत्र की एक फर्म ने ऐल्यूमिना प्रद्रावक निर्माण करने के लिये लाइसेंस मांगा है।

(ख) नहीं, महोदय।

(ग) लागत का अनुमान प्राप्त नहीं है, प्रस्तावत क्षमताए हैं :—

(1) 2,00,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष ऐल्यूमिना ।

(2) 50,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष ऐल्यूमीनियम धातु ।

Shri Vishwa Nath Pandey: May I know whether substantial quantities of aluminium are available in Gujarat on account of which Government proposes to set up a plant there?

Shri S. A. Mehdi: It has been found that about 6 million tons bauxite is available there and an aluminium plant with a capacity of one lakh ton is likely to be set up there.

Shri Vishwa Nath Pandey: May I known whether foreign collaboration will be sought for this plant?

Shri S. A. Mehdi: The Gujarat Government has been asked to take a decision in this connection and their report has not yet come.

+ रेलवे ज़ोन (खण्डों) में समन्वय का अभाव

*428 **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक तथा नीति निर्धारक स्तरों पर जोन (खण्डों) के अन्तर्सम्बन्धों में समन्वय तथा ताल-मेल नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली तथा जोधपुर के बीच रींगस से होकर एक अधिक तेज रेलगाड़ी आरम्भ करने का प्रस्ताव केवल इसलिये छोड़ना पड़ा था कि पश्चिम रेलवे ज़ोन उत्तर रेलवे ज़ोन के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं था; और

(ग) आपस में अधिक अच्छा तथा निकट समन्वय स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । वर्तमान दिल्ली-जोधपुर डाक गाड़ी को रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा कार्ड लाइन के रास्ते चलाने का प्रस्ताव था न कि दिल्ली और जोधपुर के बीच रींगस के रास्ते एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने का । यह प्रस्ताव इसलिए नामंजूर नहीं किया गया कि पश्चिम और उत्तर रेलों के बीच समन्वय में किसी तरह की कमी थी, बल्कि इसका कारण यह था कि ये गाड़ियां रेवाड़ी-रतनगढ़-डेगाना खण्ड से आने जाने वाले सारभूत यातायात का वहन करती हैं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : माननीय सदस्य एक ऐसी बात से इन्कार कर रहे हैं, जो सुविदित है और जिसको लगभग सभी रेलवे अधिकारी मानते हैं कि रेलवे खण्डों के अन्तर्सम्बन्धों में समन्वय नहीं है । क्या यह सच नहीं है कि खण्डों के बीच समन्वय न होने के उदाहरण मंत्री महोदय के ध्यान में समय समय पर आते रहते हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : इसकी ओर हमारा कभी ध्यान नहीं दिलाया गया है । हो सकता है यह सुविदित हो जैसा कि प्रश्न कर्त्ता कहते हैं परन्तु मैं इसे नहीं मानता हूं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या खण्डों के बीच अधिक अच्छा तथा निकट समन्वय स्थापित करने हेतु कोई विशिष्ट उपाय किये गये हैं और यदि हां, तो जब उनके बीच पूरा समन्वय है, जैसा कि मंत्री महोदय ने दावा किया है तो ऐसे अधिक निकट समन्वय की क्यों आवश्यकता पड़ी है ?

डा० राम सुभग सिंह : ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो रेलवे मंत्रालय करना चाहता है और जो किसी खण्ड द्वारा नहीं की जा सकती । सभी खण्डों के बीच पूरा समन्वय है ।

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

चाय पर निर्यात शुल्क

+

*9 **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जुलाई, 1966 के 'अमृत बाजार पत्रिका' और दिनांक 17 जुलाई, 1966 के 'फाईनैन्सियल एक्सप्रेस' में प्रकाशित क्रमश: 'टी प्लान्टर्स एसोसियेशन, जलपैगुरी' और 'बंगाल नेशनल चैम्बर्स आफ कामर्स' के वक्तव्यों की ओर गया है जिनमें यह मांग की गई है कि चाय पर समान दरों वाले निर्यात शुल्क के स्थान पर मूल्यानुसार शुल्क लगाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) और (ख) हां श्रीमान् विशेष शुल्क के स्थान पर मूल्यानुसार शुल्क लगाने में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं । इसलिये सरकार ने कोई परिवर्तन न करने का निश्चय किया है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार समझती है कि यदि निर्यात की गई चाय पर चुंगी की वापसी तथा कर-समंजन पत्रों के पुन:स्थापना करने की स्वीकृति नहीं दी जाती, जैसी कि दूसरे निर्यात उद्योगों को दी जाती है तो उससे अवमूल्यन के कारण जो अवसर मिला है उससे हम कोई लाभ नहीं उठा सकेंगे जिससे भारत अब तक निर्यात की गई चाय से और अधिक मात्रा में विदेशों को चाय निर्यात कर सके ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : माननीय सदस्य जानते हैं कि अवमूल्यन के समय 2 रु० प्रति कि० ग्रा० का शुल्क लगा हुआ था, जो सबसे घटिया किस्म की चाय पर 35 प्रतिशत के करीब आता है । यदि उद्योग के लिये 22 प्रतिशत लाभ छोड़ दिया जाये, तो मैं आशा करता हूं कि वह मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि यह कर समन्जन तथा चुंगी वापसी से भी अधिक होगा ।

श्री प्र० चं० बरुआ : चाय उद्योग में लाभ धीरे-धीरे कम होता जा रहा है । यह 1954 में 9 प्रतिशत था जो 1964 में 3 प्रतिशत हो गया तथा बोनस अधिनियम एवं 'वेज बोर्ड एवार्ड' के लागू होने से लाभ किसी भी क्षण समाप्त हो जायेगा । इन परिस्थितियों में सरकार इस उद्योग से उत्पादन तथा तदनुसार निर्यात बढ़ाने की आशा कैसे कर सकती है, यदि दूसरे उद्योगों की तरह इसे भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता ?

श्री मनुभाई शाह : चाय बागान समिति ने इस मामले पर विचार किया है तथा इसका

प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा दिया गया था । मैं नहीं मानता कि माननीय सदस्य ने लाभ कि कमी के रूप में जो बताया है यह ठीक है किन्तु यदि यह उद्योग अभी भी उत्पादन बढ़ाने के लिये और अधिक रियायतों मांगे तो हम इस पर विचार करेंगे । यदि वे शुक्ल में कुछ कमी या कोई और रियायत चाहते हों तो उन्हें यह सब वित्तमन्त्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय के समक्ष न्याय संगत ठहराना होगा तथा तदन्तर ही हम उन्हें कुछ सहायता दे सकते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय सदस्य के प्रश्नों से तथा मन्त्री महोदय के उत्तरों से यह प्रकट होता है कि चाय बागानों के मालिक 'बोनस अधिनियम' तथा 'वेज बोर्ड एवार्ड' की कार्यान्वित के नाम पर रियायतें मांगते जा रहे हैं । यह समझते हुए कि उनके विचार में इन रियायतों के विना चाय उद्योग चल ही नहीं सकता, क्या सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण करने या अपने हाथ में लेने का कोई निश्चय किया है ।

श्री मनुभाई शाह : इसका राष्ट्रीयकरण करने या अपने हाथ में लेने का सरकार का कोई विचार नहीं है । हम नहीं समझते कि यह कार्य अविलम्बनीय होगा तथा यह भी नहीं समझते कि सभी कार्य हमारे द्वारा हो सकते हैं । किन्तु हम मामले पर विचार करेंगे । जहाँ कहीं भी रियायत राष्ट्रीय हित में तथा न्याय संगत होती है, हमको माननी पड़ती है । हम पहिले भी रियायतें देते आये हैं । अभ्यावेदन आये हैं कि उद्योग की लाभकारिता जितनी होनी चाहिये उतनी नहीं है । इस विषय में हमारा स्पष्ट विचार है । यदि वे साबित करें कि कुछ रियायतें देना आवश्यक है तो हम इस पर विचार करने के लिये तैयार हैं ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान चाय बागान मालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के वक्तव्यों की ओर गया है जिनमें उन्होंने कहा है कि अवमूल्यन, जिससे कि निर्यात बढ़ने की अपेक्षा की गई थी, चाय के निर्यात पर कई कारणों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यदि हां, तो क्या सरकार ने सम्बन्धित स्रोतों से पता किया है कि अवमूल्यन से चाय का निर्यात क्यों नहीं बढ़ रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : बागान मालिकों के इस तर्क में कुछ बल अवश्य है कि चाय के विक्रय मूल्य पर बिना ध्यान दिये दो रु० प्रतिकिलो का शुल्क लगाने ठीक नहीं है । हमने इस त्रुटि को मान लिया है और इसीलिये हमने उनसे प्रकम व्यवस्था को स्वीकार करने के लिये कहा है विशिष्ट शुल्क में तदर्थ शुल्क की अपेक्षा लाभ होता है क्योंकि नीलाम मूल्य अलग-अलग होते हैं । इसलिये हमने तदर्थ शुल्क की व्यवस्था नहीं अपनायी है । अब हमने सुझाव मांगे हैं । यदि चाय की कुछ किस्मों के निर्यात में कठिनाई होती है तथा 2 रु० स्थानीय मूल्य की तुलना में अधिक हैं, तो हम इस पर विचार करने को तैयार हैं ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : यदि चाय बागान मालिकों को निर्यात शुल्क में रियायत दी जाती है तो क्या उनकी ओर से कर्मचारी वर्ग को कोई लाभ पहुँचाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो किस प्रकार से लाभ पहुंचाने जाने का विचार है ?

श्री मनुभाई शाह : वेतन बोर्ड, जिसका प्रतिवेदन उन्होंने स्वीकार किया है तथा कार्यान्वित कर रहे हैं, की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप उन्होंने बड़ी उदार रियायतें दी हैं । मैं

समझता हूं कर्मचारी वर्ग को, चाय बागानों के मालिकों के सर्व सम्मत निर्णय पर पहुंचने के लिये कृतज्ञ होना चाहिये । इसका शुल्क से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री नारायण दाण्डेकर : कुछ देर पहिले मन्त्री महोदय ने चाय उद्योग को और अधिक रियायतें देने के बारे में बताया है । प्रश्न रियायतें देने का नहीं बल्कि हाल ही में सरकार द्वारा उत्पन्न की गई बाधा को दूर करने का है । प्रश्न वास्तव में यह है कि उन्होंने निर्यात के मामले में चाय उद्योग के मार्ग में इतनी गम्भीर अड़चनें क्यों पैदा की हैं ? क्या वह इस दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य जानते हैं कि अवमूल्यन से चाय उद्योग को 57·5 प्रतिशत का लाभ हुआ । सरकार उसमें से 35 % लेती है और शेष 22.5 % उनके लिये छोड़ती है । माननीय सदस्य सहमत होंगे कि हमने उन पर कोई भार नहीं डाला । यदि कम मूल्य की चाय की किस्म पर भार अधिक समझा जाये, तो हम इस सम्बन्ध में खुले दिमाग से विचार करके शुल्क में हेरफेर कर परिवर्तन करने को तैयार हैं

Shri Bhagwat Jha Azad: Have Government considered that by imposing export duty and valorem instead of flat rates, in addition to administrative difficulties it would adversely affect the production and the export as well.

Shri Manubhai Shah: We think that export cannot be inceased unless we allow some benefit to the exporting industries. We acted upon this principle. If there are mistakes, we are inviting suggestions whether there is any such variety which is adversely affected by the imposition of this duty.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

काम का मूल्यांकन

*429. **श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**

श्री किशन पटनायक :

क्या **रेलवे** मंन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका जैसे विकसित औद्योगिक देशों में काम के मूल्यांकन के आधुनिक तरीकों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) रेलवे वर्कशापों तथा अन्य विभागों में इस प्रकार का मूल्यांकन अथवा वर्गीकरण अन्तिम बार कब किया गया था ;

(ग) क्या इस कार्य को करने के लिये सरकार का विचार एक समिति अथवा बोर्ड स्थापित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो रेलवे में काम का वैज्ञानिक ढंग से मूल्यांकन न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

औद्योगिक क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाना

*430. **श्री श्रीनारायण दास :** **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अधिष्ठापित की गई औद्योगिक क्षमता का पूरा पूरा उपयोग उठाना कहां तक संभव हुआ है, जिस पर भारत-पाकिस्तान संघर्ष तथा कुछ देशों द्वारा आर्थिक सहायता और कच्चे माल तथा कल पुर्जों की सप्लाई बन्द कर दिये जाने के कारण बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा; और

(ख) इस क्षमता का इस समय कितना उपयोग किया जा रहा है ?

उद्योग मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) **और** (ख) यद्यपि सरकार ने देश में विभिन्न औद्योगिक एककों की बेकार पड़ी क्षमता का अनुमान नहीं लगाया है फिर भी बड़े और मध्यम क्षेत्रों में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के कारण बाद को विदेशों द्वारा आर्थिक सहायता रोक दिये जाने के बावजूद औद्योगिक क्षमता के कम उपयोग किये जाने के बारे में कोई भी सूचना नहीं मिली है। लघु क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान संघर्ष का प्रभाव अधिकतर उन्हीं एककों पर पड़ा था जो पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित थे। अब स्थिति पर काबू पा लिया गया है तथा एकक सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं।

आयातित कच्चा माल

*431. **श्री भागवत झा आजाद :** **श्री सुबोध हंसदा :**

श्री म० ल० द्विवेदी : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वास्तविक उपभोक्ताओं को आयातित कच्चे माल की उनकी वास्तविक आवश्यकता पूरी करने के लिये अग्रिम लाइसेंस जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने मूल्य के लाइसेंस दिये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनु भाई शाह) : (क) **और** (ख) अवमूल्यन के पश्चात अधिक उदार आयात नीति की घोषणा के बाद इससे सम्बन्धित लाइसेंसों को वापस लेने की व्यवस्था करने से पूर्व, मुख्यतः लघु उद्योग क्षेत्र में वास्तविक उपभोक्ताओं को कुल 4.4 लाख रुपये के लाइसेंस जारी किये गये थे।

Licensing of Powerlooms

*432. **Shri Kindar Lal :** **Shri Raghunath Singh :**

Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the **Minister of Commerce** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 915 on the 1st April, 1966 and state:

(a) whether the report regarding the system of licensing of powerlooms has since been finally considered; and

(b) if so, the result thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shrii Shafi Qureshi) : (a) Yes, Sir.

(b) Government decisions on Powerloom Committee's report are contained in the Resolution dated 2nd June 1966, which has already been placed on the Table of the House. This resolution contains Government policy on all aspects of power-loom industry.

रुई का भाव

*433. **श्री रा० बरुआ .** **श्री रघुनाथ सिंह :**

श्री हुकम चन्द कछवाय:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रुई का यथार्थ समर्थन मूल्य निर्धारित करने तथा उस मूल्य पर रुई खरीदने के लिये अपेक्षित संस्था बनाने का है, और

(ख) क्या वार्षिक रुई लाइसेंस जारी करने को पद्धति के स्थान पर स्थायी लाइसेंस देने की पद्धति आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) आगामी मौसम, सितम्बर 1966 अगस्त 1967 के लिये भारतीय रुई की निम्नतम कीमतों को पहले ही बढ़ा दिया गया है जिससे रुई उत्पादकों को विभिन्न कृषि उत्पादों को कीमतों और देश की सामान्य कीमतों के सम्पूर्ण संदर्भ में उचित निम्नतम कीमतें मिल सकें ।

यदि आवश्यक हुआ तो राज्य व्यापार निगम निम्नतम कीमतों की टेकबन्दी के उद्देश्य से रुई की खरीद के लिये बाजार में प्रवेश करेगा ।

(ख) जी, हां ।

रेलवे में पर्यवेक्षी पदाधिकारियों को अधिकारों का दिया जाना

*434. **श्री नबियार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन ने राजपत्रित अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य पर्यवेक्षी पदाधिकारियों को समान प्रक्रिया के रूप में रेलवे कर्मचारियों को ड्यूटी से निलम्बित करने और दंड देने के अधिकार दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) क्या यह प्रक्रिया अनुशासन और अपील नियमों के अन्तर्गत पहले निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत है ; और

(घ) 12 लाख रेलवे कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्य-वाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) अधिकारों के

प्रत्यायोजन में एकरूपता 30-4-1957 को शुरू की गयी थी। लेकिन 18- 6 -1963 से अधिकारों में बहुत मामूली-सी वृद्धि हुई है।

(ग) इसमें अनुशासन और अपील प्रक्रिया के विपरीत कोई बात नहीं है।

(घ) अनुशासन और अपील प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करना होता है और सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह स्वत: पर्याप्त बचाव है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा तम्बाकू की खरीद

* 435. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**

श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने मूल्य समर्थन के उद्देश्य से 1965 में बड़ी मात्रा में तम्बाकू खरीदा था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस स्टाक में से थोड़ा माल ही निर्यात किया गया है ; और

(ग) क्या इसकी मांग न होने के कारण सारा माल निर्यात नहीं किया जा सका और यदि हां, तो पुराना स्टाक अब तक क्यों जमा रखा हुआ है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) अधिकांश विदेशी खरीदारों द्वारा 1964 की फसल में से एफ० सी० वी० तम्बाकू की अपनी आवश्यकताओं की पहले से ही पूर्ति कर लेने के पश्चात् भी उत्पादकों और व्यापारियों के पास काफी स्टाक बच गया था। उन्हें राहत देने के लिये राज्य व्यापार निगम ने बाजार में प्रवेश किया और लगभग 38,000 गांठें खरीदीं। 1965 की फसल के कुछ वर्गों की भी कम कीमतें होने के कारण भरसक प्रयत्न करने के बावजूद उस स्टाक में से केवल 3436 गांठों का ही निर्यात किया जा सका। परन्तु शेष स्टाक में से 26054 गांठें आन्तरिक बिक्री के लिये बचनबद्ध हैं।

इंजनों में खराबी

*436. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखा की स्थिति के कारण क्षारीय पानी से बायलरों के खराब हो जाने के फलस्वरूप कई रेलवे इंजन काम नहीं कर सकने के समाचार मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे में इस प्रकार की घटना अक्सर होती रहती है ; और

(ग) उपयुक्त रसायन का इस्तेमाल करके पानी के भारीपन को न रोक सकने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ग) जी हां, लेकिन पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व रेलों में कलकत्ता क्षेत्र में और खड़गपुर तक केवल भाप इंजनों में यह कठिनाई पायी गयी है।

(ख) इस मामले में उपाय करने में कोई चूक नहीं हुई है। बायलरों को दिये जाने वाले पानी के भारीपन पर नियंत्रण रखने के लिए सभी रेलें नियमित रूप से पानी में रसायन मिलाती हैं और प्रधानतया इसी निरोधात्मक कार्रवाई के कारण कुल मिलाकर रेलों पर भारी पानी की समस्या पर अच्छी तरह से नियंत्रण रखा जा सका है। लेकिन इस वर्ष गर्मियों में कलकत्ता क्षेत्र में खड़गपुर तक खास तौर पर भयंकर सूखे की स्थिति पैदा हो गयी। इससे पानी में खारापन अभूतपूर्व स्तर पर पहुँच गया और रसायन मिलाने पर भी इस पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं किया जा सका। लेकिन यह स्थिति केवल अस्थायी तौर पर रही।

शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे

*437. **श्री बूटा सिंह :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

श्री बड़े : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे ने हाल ही में काम बन्द करने की घोषणा कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों पर कुप्रभाव पड़ेगा और क्या सरकार का विचार उन्हें रेलवे में रोजगार देने का है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता।

हावड़ा-दिल्ली ऐक्सप्रेस गाड़ी का कानपुर में रोक लिया जाना

* 438. **डा० मा० श्री० अणे :** **श्री म० मो० बनर्जी :**

श्री विभूति मिश्र : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जून, 1966 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि 6 जून, 1966 की रात को हावड़ा-दिल्ली ऐक्सप्रेस गाड़ी कानपुर में दो घंटे के लिये रोक ली गई थी, क्योंकि भूतपूर्व राज्यपाल बनाये जाने वाले पहली श्रेणी के किसी यात्री ने, उसके दल के दो व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से वातानुकूलित डिब्बे में कब्जे में की गई दो सीटों को उन दो व्यक्तियों के लिये खाली करने से इन्कार कर दिया था जिन के लिये वे सीट कानपुर में विधिवत आरक्षित की गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो उस भूतपूर्व राज्यपाल का नाम क्या हैं तथा उसके द्वारा ऐक्सप्रेस गाड़ी को रुकवाने और गाड़ी में बैठे हुए सभी यात्रियों को अत्यधिक परेशानी में डालने के कारण उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख) जी हां। 6-6-1966 को, जब 11 अप हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस कानपुर स्टेशन पर पहुँची, तो पंजाब के भूतपूर्व राज्यपाल,

श्री सी० पी० एन० सिंह ने, जो अपने परिवार के साथ उस गाड़ी से यात्रा कर रहे थे, काफी अनुनय के बावजूद, उन दो वातानुकूल शायिकाओं को खाली करने में असमर्थता प्रगट की, जो कानपुर से दो अन्य यात्रियों के नाम नियत की गयी थीं। जिन यात्रियों के नाम ये दो वातानुकूल शायिकाएं नियत की गयी थीं, उन्होंने गाड़ी को जब तक आगे नहीं जाने दिया, जब तक कि एक अन्य पार्टी ने उनके लिए अपनी वातानुकूल शायिकाएं खालीं नहीं कर दीं। इसके कारण गाड़ी दो घंटे से भी अधिक समय तक रुकी रही।

चूंकि जिन यात्रियों के लिए कानपुर से दो वातानुकूल शायिकाओं का आरक्षण किया गया था, उन्हें उपर्युक्त तरीके से स्थान दे दिया गया, इसलिए इस बारे में मौके पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्रवाई की जाय, इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

तेल शोधक कारखाने के लिये उपकरणों का निर्माण

* 440. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **उद्योग** मंत्री 22 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1298 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल शोधक कारखाने के उपकरण बनाने की परियोजना आरम्भ करने के सम्बन्ध में तकनीकी प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) प्राप्त रिपोर्ट और पूरक आंकड़ों की अभी जांच की जा रही है। अन्तिम निर्णय अभी किया जाना है।

रेलवे का रखरखाव तथा देखभाल

*441. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की बहुत सी शिकायतें जिनमें कुछ शिकायतें संसद् सदस्यों की भी हैं, मिली हैं कि रेलवे का रखरखाव तथा देखभाल, चाहे वे यात्री डिब्बे हों, रेलवे सम्पत्ति हो अथवा यांत्रिक और औजार तथा उपकरणों की हो, बिल्कुल ही नहीं होती और अधिकारी लोग संधारण (मैंटेनेंस) कर्मचारियों से अनुशासन से काम लेने में असफल हो गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि डिब्बों से फालतूपुर्जे तथा अन्य साज सामान (फिटिंग्स) चुरा लिये जाते हैं और उन्हें बाहर ऊंचे मूल्यों पर बेचा जाता है और चोरी के मामले तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गये हैं ;

(ग) क्या दोषपूर्ण रखरखाव तथा देख-भाल के कारण ही हाल में अधिक रेलवे दुर्घटनाएं हुई हैं ; और

(घ) देख-भाल तथा रख-रखाव के स्तर में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेल उपस्करों के अनुरक्षण

के काम में भारी गिरावट आने और अधिकारियों द्वारा अनुरक्षण कर्मचारियों पर अनुशासन लागू न कर सकने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है लेकिन कुछ डिब्बों में सफाई न होने और डिब्बों की फ़िटिंग जैसे दर्पण, नल की टूंटी, पंखे, बत्तियों आदि में खराबी होने या उनमें कमी होने की शिकायतें मिली हैं। इन निश्चित शिकायतों की जांच की गयी है और जहां कर्मचारियों को दोषी पाया गया, उनपर अनुशासन की कार्रवाई की गयी है।

(ख) यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि डिब्बों में फ़िट किये गये सामान चुराये जाते हैं और बाज़ार में बेचे जाते हैं, लेकिन उठाईगिरी के मामलों की संख्या में सभी रेलों में काफ़ी कमी हुई है। 1959-60 में ऐसे मामलों की संख्या 68,471 थी जो 1664-65 में घटकर 33,286 रह गयी।

(ग) कुल मिलाकर दुर्घटनाओं की संख्या कम हुई है। अनुरक्षण में त्रुटि की वजह से दुर्घटनाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(घ) अनुरक्षण का उच्च स्तर बनाये रखने की आवश्यकता के प्रति सरकार पूरी तरह सजग है और समय समय पर कार्य-प्रणाली पर पुनर्विचार करके एवं उपस्कर का नवीकरण करके सुधार करने के लिए लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं।

हावड़ा स्टेशन पर गुंडागर्दी

442. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित दैनिक समाचार 'युगान्तर' दिनांक, 29 जून, 1966 में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि हावड़ा स्टेशन पर गुंडे लोग यात्रियों से उनका सामान छीन लेते हैं और छुरे बाजी करते हैं तथा यात्रियों को गोली भी मार देते हैं और इस प्रकार उन्होंने वहां ऊधम मचा रखा है;

(ख) स्टेशन के प्रबन्ध में इतनी गिरावट आ जाने तथा गुंडागर्दी को रोकने में रेलवे पुलिस के असफल रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) यात्रियों की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे के प्रबन्ध में इस तरह की न तो कोई गिरावट आयी है और न सरकारी रेलवे पुलिस असफल रही है।

(ग) अपराधियों की गति विधियों की रोक-थाम के लिए सरकारी रेलवे पुलिस, ज़िला पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से छापा मारने का काम किया जा रहा हैं। रेलवे सुरक्षा दल के अधिकारियों और हावड़ा-स्थित रेलवे पुलिस के अधीक्षक के बीच एक समन्वय-बैठक का भी आयोंजन किया गया, जिसमें निरोधात्मक उपायों के बारे में निर्णय करके उन पर अमल किया गया।

मोटर गाड़ियों के मूल्य

443. **श्री सेझियान** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम सेवक यादव :
डा० श्रीनिवासन :

श्री द्वारका दास मंत्री : श्री रा० बरुआ :

श्री प्र० क० देव : श्री नी० रं० लास्कर :

श्री मे० क० कुमारन : श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

श्री नरसिम्हा रेड्डी : श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री यशपाल सिंह : श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्रीमती मैमूना सुल्तान : श्री बड़े :

श्री च० का० भट्टाचार्य : श्री सोनावने :

श्री मधु लिमये : श्री यु० द० सिंह :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अवमूल्यन के कारण मोटरगाड़ियों के मूल्य बढ़ाने की अनुमतिदेने का है ; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में कितनी वृद्धि करने की अनुमति दी गई है अथवा देने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) अवमूल्यन के फलस्वरूप आयातित पुर्जों का मूल्य बढ़ जाने तथा रायल्टी और विदेशी मुद्रा में तकनीकी ज्ञान शुल्क का भुगतान किए जाने के कारण मोटर गाड़ियों के मूल्य बढ़ाने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। विभिन्न किस्मों की गाड़ियों के लिए अब तक जिस वास्तविक वृद्धि के लिये अनुमति दी गई है, वह निम्न प्रकार है :—

गाड़ियां	वृद्धि की स्वीकृत राशि
कारें	रु०
हिन्दुस्तान अम्बासेडर	294
फियट	328
स्टैंडर्ड हैराल्ड	825
व्यापारिक गाड़ियां	
स्टैन्डर्ड 1-टन	1159
मोटर साइकिलें	
रायल एन्फील्ड 350 सी०सी०	338
जावा 250 सी० सी०	297
स्कूटर	
वेस्पा 150 सी० सी०	145
वेस्पा 175 सी० सी० तीन पहिए वाला	342

अन्य किस्मों की गाड़ियों के बारे में इसी प्रकार मूल्य बढ़ाने के दावों की भी जांच की जा रही है ।

आयातित कच्चे माल तथा देश में खरीदे गये ऐसे पुर्जों के मूल्य में, जिनमें कुछ अंश आयातित होता है, इसी प्रकार कितनी वृद्धि करने की अनुमति दी जानी चाहिये इस प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है ।

Copper and Antimony Deposits in Almora District.

*444. **Shri Onkar Lal Berwa:** **Shri Dighe:**

Shri Vishwa Nath Pandey: **Shri Lakhmu Bhawani:**

Will the **Minister of Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that copper and antimony deposits are likely to be found in Almora district of Uttar Pradesh;

(b) if so, whether Government have conducted a survey for this purpose; and

(c) the result thereof?

The Minister of Mines and Metals (Shri S. K. Dey): (a) to (c) The Geological Survey of India commenced reconnaissance surveys of mineralised areas of Almora district in 1941-42 and since then detailed exploratory large scale mapping and geochemical prospecting has been carried out. While these investigations have revealed occurrences of copper at several places, no workable deposits have been located.

No occurrence of antimony ore has been recorded.

तेल के वैगनों में आग लग जाना

*445. **श्री पन्नालाल :** **श्री बड़े :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री युद्धवीर सिंह :**

श्री ब्रज वासी लाल : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

श्री राम हरख यादव : **श्री ओंकार सिंह :**

श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 जुलाई, 1966 को, पूर्व रेलवे के मधुपुर रेलवे स्टेशन पर पैट्रोल से भरी हुई मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण पेट्रोल से भरे हुए 28 से अधिक वैगनों में आग लग गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) इसमें जान और माल की कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शाम नाथ):(क) मदनकट्टा ब्लाक हट और करमाटांड़ स्टेशनों के बीच जो दुर्घटना हुई उसमें पेट्रौल से लदे 25 टैंक माल-डिब्बों और एक खाली टैंक माल-डिब्बे में आग लगी थी ।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही हैं ।

(ग) किसी की मृत्यु नहीं हुई। अनुमान है कि रेल-सम्पत्ति को लगभग 3,15,000 रुपये की हानि हुई।

मशीनों का आयात

*446. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ देश, जिनके साथ भारत का व्यापार रुपयों में होता है, दूसरे देशों से मशीनें आयात करके भारत को अधिक मूल्यों पर निर्यात करते हैं और प्रामण पत्र यह देते हैं कि वे मशीनें उनके देश की बनी हुई है; और

(ख) सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करती है कि वस्तुविनिमय के अन्तर्गत दिये गये अधिक मूल्य उचित है तथा भारत के लिये अहितकर नहीं है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) इस प्रकार के रिवाज की सरकार को कोई जानकारी नहीं हैं। परन्तु कभी कभी जब पूर्ण संयंत्र के उपकरण का कोई अंश किसी तीसरे देश से आयात करना पड़ता है तो उस समय खरीद रुपया भुगतान के माध्यम से की जाती है । फिर भी, मूलदेश के नाम का स्पष्ट उल्लेख होता है और सरकार द्वारा पूर्व अनुमति भी दी जाती है।

(ख) इन देशों के साथ किये गए व्यापार तथा भुगतान करारों में इस आशय की एक धारा सम्मिलित होती है कि समस्त खरीदारियों की शर्त यह है कि कीमतें अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी हों। ऐसी खरीदारियों के पूर्व राज्य व्यापार निगम तथा अन्य संगठन रुपया भुगतान वाले देशों से प्राप्त वैसी ही मशीनों के पुराने भावों के साथ साथ मुक्त मुद्रा वाले देशों के कीमत-ढांचे से भी नये भावों की तुलना करते हैं। इसी तरह सरकारी विभाग भी अपनी खरीदारियों की सुरक्षा करते हैं।

कच्चे माल का आयात

*447. **श्री व० बा० गांधी** ;

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डालर और स्टर्लिंग देशों से कच्चे माल, कलपुर्जों, फालतू पुर्जों तथा मशीनों का आयात करने के लिये प्रायः लाइसेंस नहीं दिये जाते हैं तथा जब विदेशी मुद्रा की स्थिति इतनी खराब नहीं थी तब भी आयात कर्त्ताओं को रुपयों में भुगतान किये जाने वाले देशों से आवश्कता का सामान खरीदने के लिये कहा जाता था ;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि रुपयों में भुगतान वाले देश मूल्यों तथा सामान की मात्रा के बारे में अपनी शर्तें रखते हैं जो भारत के हित के विरुद्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :

(क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। रुपये में भुगतान वाले देशों के साथ द्विपाक्षिक वर्तमान समझौतों के अनुसार सब खरीद खरीददार की इच्छानुसार होती है तथा मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के अनुसार होते हैं।

लोहे और इस्पात पर से नियंत्रण हटाना

*448. **श्री राम हरख यादव :** **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस्पात और लोहे पर से नियंत्रण हटाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) नियंत्रण हटाने से बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): (क) से (ग) लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय संगठन, ढांचे तथा कार्यपद्धति की जांच करने के लिए मई, 1965 में श्री आर० के० खाडिलकर, संसद सदस्य, की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया था। अध्ययन दल ने 13 मई, 1966 को रिपोर्ट का प्रथम भाग प्रस्तुत कर दिया है जिसमें उन्होंने सिफारिश की है कि सभी प्रकार के इस्पात के मूल्य और वितरण पर से परिनियत नियंत्रण हटा दिये जायें। सरकार अध्ययन दल की सिफारिशें पर विचार कर रही है। शीघ्र ही अन्तिम निर्णय किया जाएगा। लोहे और इस्पात पर से नियंत्रण हटाने के प्रश्न पर निर्णय करते समय विनियन्त्रण से होने वाले सभी प्रकार के सम्भव प्रभावों को ध्यान में रखा जाएगा।

Fire in Jharia Coal Mines.

*449. **Shri Bibhuti Mishra:** **Shri K. N. Tiwary:**

Will the **Minister of Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a fire in the Jharia Coal Mines is continuing for a long time;

(b) if so, the quantity of coal damaged by the fire so far; and

(c) the efforts made to extinguish the fire and the result thereof?

The Minister of Mines and Metals (Shri S. K. Dey) : (a) Yes, Sir.

(b) 7.5 million tonnes (approximately).

(c) The Jharia fire area was extensively blanketed. The fire has been under control for many years now and from surface indications it appears that the fire is either dead or harmlessly dormant.

Hotels Abroad owned by Indians

2104. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the **Minister of Commerce** be pleased to state:

(a) whether Indians own any hotels abroad and if so, the names of places where they are situated;

(b) whether Government have provided any assistance for running them; and

(c) whether any foreign exchange is also earned thereby, and if so, the amount earned during the last five years?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) to (c) According to the information received so far from the Indian Missions abroad, the particulars of hotels/restaurants opened by Indians who are resident abroad are indicated as below:—

Beirut (Lebanon)		2 restaurants
New York		1 restaurant
Murree, Lahore, Rawalpindi, Peshawar	(West Pakistan)	1 hotel each
Geneva	...	1 restaurant
Kaula Lumpur	...	2 restaurants
Tokyo	...	2 restaurants
Bonn(West Germany)	...	3 hotels/restaurants

Information from Reserve Bank and some more Indian Missions abroad is awaited.

Government of India have not provided any assistance for running of these hotels/restaurants.

No information is available regarding any foreign exchange earned thereby and remittanees to India out of the proceeds.

मेंढकों की टांगों का निर्यात

2105. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में केरल से मेंढकों की टांगों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई है ;

(ख) क्या मेंढक उद्योग का विकास करने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यकी के महानिदेशालय द्वारा राज्यवार निर्यात के आंकड़े नहीं रखे जाते। फिर भी 1965-66 में निर्यात की गयी मेंढ़क की टांगों का कुल मूल्य 38 लाख रु० था।

(ख) तथा (ग) मेंढक संसाधनों के योजनाबद्ध विकास की सम्भावनाओं की जांच की जा रही है और मेंढक संसाधनों के अनुसन्धान, विकास तथा सम्यक उपयोग के लिये योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इन योजनाओं के ब्यौरों को अब तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

काजू उद्योग

2206. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुपये के अवमूल्यन के कारण काजू उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा है ?

(ख) क्या यह भी सच है कि रुपये का अवमूल्यन हो जाने के कारण केरल में उद्योगपतियों को आयात किये गये काजूओं के लिये 50 प्रतिशत अधिक मूल्य देना पड़ेगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उद्योगपतियों की सहायता करने के हेतु कोई कार्यवाही करने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां। उद्योग पर इसका कुछ विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि काजू की 70 प्रतिशत आवश्यकता आयात से पूरी की जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) अधिक मात्रा में काजू प्राप्त करने तथा आयात किये गये काजू पर निर्भरता में कमी करने के लिए सरकार द्वारा सघन खेती करने और नये क्षेत्रों में काजू पैदा करने के लिए सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं।

Begusarai Station

2107. Shri Utiya: Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Begu Sarai Station on the North Eastern Railway, which is at present the Sub-Divisional Head-quarter, is going to be Headquarter of a District;

(b) whether any complaint has been received from the citizens or any organisation regarding the non-existence of platforms, shed and facilities like water and flush latrines in waiting halls at that station ;

(c) whether it is a fact that the Notified Area Committee of Begusarai is prepared to supply tap water to the station but the Railway has not availed of the facility so far; and

(d) if so, the steps being taken to remove those complaints?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes.

(d) The Notified Area Committee had agreed to supply water to the station but the terms and conditions offered were not acceptable to the Railway. Railway is, however, going to have its own watering arrangements and, therefore, question of obtaining water from Notified Area Committee does not arise.

The work of providing cover over platform has been sanctioned and the steel fabrication work is in progress. Work of providing sanitised bathrooms in the waiting room has been included in the works programme for 1966-67.

Overbridge on Railway Lines at Bachhawara Station

2108. **Shri Utiya: Shri Madhu Limaye:**

Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether he has received a Memorandum from the residents of Bachhawara (N. E. Railway) for extending the Railway over-bridge at that station ;

(b) whether it is a fact that the people of that place are ready to share responsibility for the construction of a new road after filling the pit outside the station (towards the West) by putting in voluntary labour ;

(c) if so, Government's reaction thereto and the time likely to be taken to complete this work ; and

(d) whether the proposal for the supply of electricty from Bachhawara village to the station is also under consideration and if so, when the work is likely to be completed?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :

(a) No. There have however been some representations in this regard in the past.

(b) There has been no offer from the public for sharing responsibility for construction of the new road after filling the pits by putting in voluntary labour.

(c) As a level crossing is already available which can conveniently be used by the public, extension of the foot over-bridge is not considered necessary.

(d) The matter is already under negotiation with the Bihar Government. No target date of completion of the work can be fixed at this stage.

अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति

2109. **श्री इम्बीचिबावा :** **श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति से कोई ज्ञापन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन में क्या मुख्य मांगें की गई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग) अभी हाल ही में कोई ज्ञापन नहीं मिला है। समिति ने एक ज्ञापन अप्रैल 1966 में परिचालित किया था जिसका निपटान यथोचित ढंग से कर दिया गया था। उसका ब्यौरा भी 6 मई, 1966 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4944 के उत्तर में सदन को दे दिया गया था।

केरल में बडागरा में रेलवे फाटक (लेवल क्रासिंग) और ऊपरी पुल

2110. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बडागरा नगरपालिक से नगरपालिका क्षेत्र में एक रेलवे फाटक और एक ऊपरी पुल बनाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किये गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख)

(1) विकास समिति, बडगरा ने 1957 में बडगरा स्टेशन के उत्तरी सिरे के वर्तमान समपार की जगह एक ऊपरी सड़क-पुल बनाने के लिए कहा था। इस योजना पर आगे कार्रवाई नहीं हो सकी क्योंकि राज्य सरकार/सम्बन्धित प्राधिकारी ने अभी तक इस बारे में अन्तिम निर्णय की सूचना नहीं दी है कि इस काम को कितनी अग्रता दी जाये और वर्तमान नियमों के अनुसार, प्रस्तावित ऊपरी सड़क-पुल बनाने में सड़क प्राधिकारी के हिस्से की लागत के रूप में देय आवश्यक रकम को वे कब जुटा सकेंगे।

(11) बडगरा नगरपालिका के आयुक्त ने बडगरा स्टेशन के दक्षिणी सिरे की ओर किलोमीटर 709/4-5 पर चौकीदार वाला एक अतिरिक्त समपार बनाने के लिए कहा था। इस प्रस्ताव की जांच की गयी और इसे व्यावहारिक पाया गया। नियमों के अनुसार जो प्राधिकारी यह सुविधा चाहते हैं, उन्हें इस तरह के अतिरिक्त काम की पूरी लागत (प्रारम्भिक और वार्षिक आवर्ती दोनों) देनी पड़ती है। इस समपार की लागत वहन करने के सम्बन्ध में नगरपालिका की स्वीकृति अभी नहीं मिली है।

अधिक लिये गये विलम्ब-शुल्क (डैमरेज) की वापसी

2111. **श्री अ० ब० राघवन** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक वसूल किये गये विलम्ब शुल्क की वापसी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1966 तक की अवधि में दक्षिण रेलवे के विभिन्न डिवीजनों में कितने मामले विचाराधीन थे;

(ख) इन मामलों को निपटाने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) अधिक वसूल की गई धनराशि की वापसी के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) 31-3-1956 को तिरुच्चिरापल्लि डिवीजन में तीन महीने से पुराना केवल एक मामला बाकी था। लेकिन यह बात इस प्रकल्पना पर आधारित है कि "अधिक विलम्बशुल्क" का आशय वह बिलम्बशुल्क है जो गलती से, नियमानुसार लगने वाले शुल्क से अधिक वसूल किया गया हो।

(ख) और (ग) यह दावा 6-9-1965 को पेश किया गया और 4-5-1966 को इसका अन्तिम निबटारा कर दिया गया। देरी का कारण यह था कि स्टेशन ने मामले का अधूरा ब्यौरा दिया था और उसके लिए पिछला हवाला तथा स्पष्टीकरण कितना जरूरी था।

वर्धा रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना

2113. **श्री राम हरख यादव** :
श्री काशी राम गुप्त :
श्री बसुमतारी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 जून, 1966 को मध्य रेलवे में वर्धा रेलवे स्टेशन पर एक भयंकर दुर्घटना उस समय होते-होते बच गई जब मद्रास-दिल्ली जनता एक्सप्रेस वहां पहुँची और दो इंजिन उसी पटरी पर खड़े थे जिससे होकर इस एक्सप्रेस को गुजरना था;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) 19-6-66 को 18 अप दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रेस गाड़ी वर्धा स्टेशन की लाइन नं० 3 में दाखिल हुई जिस पर पहले से जुडवां खाली इंजन खड़े थे।

(ग) इसकी जांच की गयी। दुर्घटना रेल-कर्मचारियों की गलती से हुई थी।

ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात

2114. **श्री राम हरख यादव** : **क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ब्रिटेन को सूती कपड़ा और सूती धागा निर्यात करने के लिये फिर से लाइसेंस देने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार का विचार लाइसेंस-नीति में कुछ परिवर्तन करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इन परिवर्तनों तथा कपड़े के निर्यात के लिये विचाराधीन करारों का ब्यौरा क्या है ;

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग) ब्रिटेन को सूती कपड़ा और सूत निर्यात करने के लिये 21 जून, 1966 से फिर लाइसेंस दिये जाने लगे हैं। लाइसेंस-नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद निर्यातकों से ऐच्छिक आधार पर निम्न प्रकार से आवंटन फीस लेती है : —कोरे सूती कपड़ों पर 12 पैसे प्रति वर्ग गज, धुले हुए सूती कपड़ों पर 10 पैसे प्रति वर्ग गज, सूति कपड़े पर 5 पैसे प्रति वर्ग गज इकहरे और गुण्डियों पर लिपटे हुये सूत पर 10 पैसे प्रति पौंड। शेष संविदाओं के बारे में परिषद ने निर्यातकों को यह सूचित कर दिया है कि वे कोरे और धुले हुये कपड़े के थानों के मुल्य के 50 प्रतिशत भाग और परिष्कृत सूती कपड़े तथा धुले हुये और परिष्कृत सूत के मुल्य के $47\frac{1}{2}$ प्रतिशत भाग में से आवंटन फीस निकाल कर निर्यातकों द्वारा मिलों से माल उठाने पर शेष रकम की अदायगी सम्बद्ध मिलों को कर दें।

केरल में उद्योग

2115. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रमों को बिजली में कटौती किये जाने के कारण बहुत अधिक नुकसान हुआ है ;

(ख) क्या इस नुकसान का कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) जी, हां। 15 नवम्बर, 1965 से लेकर 18 जून, 1966 तक आंशिक रूप से बिजली में कटौती हो जाने के कारण केरल में सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्र के बड़े और मध्यम उद्योगों को अनुमानत: 20.5 करोड़ रु० की हानि हुई थी। लघु और घरेलू उद्योगों को हुई हानि का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

अल्वाय स्टेशन पर ऊपरी पुल

2116. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **रेलवे** मंत्री 3 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न सं० 1400 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अल्वाय स्टेशन पर तीसरी उपरी पुल बनाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

मालाबार तट का भूतत्वीय सेर्वेक्षण

2117. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने मालाबार तट का हाल में सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे०) : (क) हां, महोदय। भारतीय भौमिकी विभाग द्वारा पालघाट कोजी कोडी तथा कैनूर के जिलों में भौमिकी मान-चित्रण तथा प्रारम्भिक खनिज सर्वेक्षण किये गए। कोजी कोडी में कच्चे लोहे के, मैसूर में चीनी मिट्टी के और कोजी कोडी निलगिरि जिलों में सोने के विस्तृत अनुसंधान किए गए।

(ख) स्फोदिज की एक अच्छी श्रेणी का कैनूर में कुनवासन के पास पाया गया है। कोजी कोडी के समीप निम्नश्रेणी के लोहे अयस्क के 200 मिलियन मीटरी टन के संचयों का अनुमान किया गया है। कैनूर और पतायनगदी के पास लिगनाइट के संचय पाए गए हैं जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है।

राब का निर्यात

2118. **श्री धर्मलिंगम :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में राब का कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का निर्यात किया गया ;

(ख) क्या सारा का सारा निर्यात एक ही कम्पनी अर्थात् मेसर्ज़ इंडियन मोलासेस कम्पनी ने किया था ; और

(ग) क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि इस कम्पनी को निर्यात से मिलने वाले मूल्य राब के अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मूल्यों के बराबर हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6762/66]

(ख) जी, नहीं।

(ग) निर्यात करने की पूरी-पूरी इजाज़त है। निर्यात से मिलने वाले मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में रहने वाले मूल्यों के लगभग होते हैं।

निर्यातकों का सार्थ-संघ

2119. **श्री धर्मलिंगम :** क्या वाणिज्य मंत्री 22 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1291 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्यातकों के उन सार्थ-संघों के नाम व पते क्या हैं जिनको अब तक विशेष सुविधाएं दी गई हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): 22 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1291 के उत्तर में उल्लिखित निर्यातकों के सार्थ-संघों जिनको विशिष्ट सुविधाएं दी गई हैं, के नाम तथा पते निम्न प्रकार हैं :—

1. वेस्योर ऐसोसियेट्स, सेसिल कोर्ट, (चौथी मंजिल) ; 26, लैंसडाउन रोड, बम्बई—1
2. कंसोर्टियम फार एक्सपोर्ट आफ ट्रांसमिशन लाइन इक्विपमेंट, द्वारा क्राम्पटन इंजीनियरिंग कम्पनी (मद्रास) लि०, 49/51, सैकेंड लाइन बीच, पोस्ट आफिस बाक्स नं० 205, मद्रास-1
3. मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, 18 रबीन्द्र सरणि, कलकत्ता-1
4. स्टील एक्सपोर्ट्स एसोसियेशन, 18 रवीन्द्र सरणि, कलकत्ता-1

कर्मचारियों के लिये विशेष गाड़ियों का देर से चलना

2120. **श्री रामसेवक यादव :** **श्री मधु लिमये :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि मुंगेर, सुल्तानगंज तथा कजरा से जमालपुर जाने वाली कर्मचारी-गाड़ियां समय-सूची के अनुसार तथा समय पर चलती हैं परन्तु जमालपुर से जाने वाली कर्मचारी-गाड़ियां बहुत अनियमित रूप से तथा समय पर नहीं चलती हैं ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों को विशेषकर शनिवार के दिन होने वाली असुविधा को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों को कोई मुआवजा देने या शनिवार के दिन उनके लिये मुफ्त भोजन (लंच) की व्यवस्था करने का है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख) समय पालन की दृष्टि से जमालपुर से चलने वाली स्टाफ-ट्रेनों का काम संतोषजनक है। इनके चालन में अधिक सुधार लाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है ।

(ग) जी नहीं।

कर्मचारियों के लिये विशेष गाड़ियां

2121. **श्री रामसेवक यादव :** **श्री मधु लिमये:**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

क्या सरकार का ध्यान जमालपुर (पूर्व रेलवे) को जाने तथा वहां से आने वाली कर्मचारी-गाड़ियों की खराब दशा की ओर गया है ; और

(ख) उनकी मरम्मत करने तथा खिड़कियों तथा शटरों आदि को ठीक हालत में बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) ये पूर्णतयः विभागीय गाड़ियां हैं और इनमें लगाये जाने वाले डिब्बे अपेक्षा-कृत पुराने हैं। फिर भी जब आवश्यकता होती है तो इन डिब्बों के फ़िटिंग्स के काम को करने के लिए सवारी डिब्बा अनुरक्षण कर्मचारी तैनात किये जाते हैं। रेलवे भी इस बात को समझती है कि जो डिब्बे खराब हालत

में हैं, उन्हें बदलने की आवश्यकता है और अब तक 30 में से 16 सवारी-डिब्बे बदले जा चुके हैं। बाकी डिब्बों को भी उत्तरोत्तर बदला जायेगा।

दिल्ली में यमुना के ऊपर रेलवे पुल

2122. **श्री लखमू भवानी** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में यमुना के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण कार्य इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जायेगा; और

(ख) इन पुलों का निर्माण-कार्य पूरा होने की अवधि कितनी है ?

रेलवे मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) 'गाज़ियाबाद और तुगलकाबाद के बीच माल परिहार लाइन प्रायोजना" के एक भाग के रूप में दिल्ली में यमुना के ऊपर केवल एक नया रेल पुल (दूसरा यमुना पुल) बनाया जा रहा है। यह पुल लगभग तैयार हो चुका है लेकिन, इसे माल परिहार लाइनों के साथ इस वर्ष के अन्त तक चालू किया जायेगा।

भरुच-सामनी-दहेज सैक्शन को बड़ी लाइन में बदलना

2123. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के भरुच-सामनी-दहेज छोटी लाइन सैक्शन को बड़ी लाइन में बदलने का विचार है ;

(ख) क्या यह परिवर्तन केवल 64 किलोमीटर के लिये ही आवश्यक है जिससे सामान तेजी से लाया ले जाया जा सकेगा; और

(ग) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) भरुच से सामनी और सामनी से दहेज तक की कुल दूरी 62 किलोमीटर है और अभी इस लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने का कोई औचित्य नहीं है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

पुडुप्पनम (केरल) में चौकीदार सेवित रेलवे फाटक

2124. **श्री पोट्टेकाट्ट** : **श्री मुहम्मद कोया** :

श्री अ० ब० राघवन : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बड़ागरा नगरपालिका क्षेत्र में 'पुडुप्पनम' में चौकीदार सेवित फाटक की व्यवस्था किये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) इस कार्य को शीघ्रतापूर्वक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शामनाथ) : (क) जी हां।

(ख) बडगरा नगरपालिका ने बडगरा स्टेशन के दक्षिण की ओर कि० मी० 709/4-5 पर

प्रस्तावित समपार बनाने के लिये कहा था। इस प्रस्ताव की जांच की गयी और इसे व्यावहारिक पाया गया।

(ग) सड़क-यातायात में वृद्धि के फलस्वरूप प्रस्तावित समपार एक अतिरिक्त सुविधा होगी। जो प्राधिकारी इस तरह की सुविधा चाहते हैं, नियमानुसार उन्हें उसकी पूरी (प्रारंभिक तथा वार्षिक आवर्ती, दोनों) लागत स्वयं जुटानी होगी। इस समपार का खर्च देने के संबन्ध में नगरपालिका की स्वीकृति अभी नहीं मिली है।

मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता स्टेशनों पर विश्राम-कक्ष

2125. **श्री पोट्टेकाट्ट :** **श्री मुम्हमद कोया :**

श्री अ० व० राघवन :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड को मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता स्टेशनों पर अतिरिक्त विश्राम-कक्ष बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) बम्बई सेंट्रल स्टेशन पर चार विस्तरों वाले दो अतिरिक्त शयन कक्षों और दो विस्तरों वाले दो अतिरिक्त विश्रामालयों को बनाने तथा मद्रास सेंट्रल स्टेशन पर दो विस्तरों वाले दो विश्रामालयों और एक विस्तर वाले तीन विश्रामालयों को बनाने की योजनाएं अभी विचाराधीन हैं। जहां तक कलकत्ता स्टेशन का सम्बन्ध है, वहां, दो विस्तरों वाले दो और 6 विस्तरों वाला एक अतिरिक्त शयन कक्ष बनाए जा चुके हैं। आशा है इन्हें शीघ्र खोल दिया जायेगा।

(ख) अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

फोर्ड, डाज तथा बेडफोर्ड गाड़ियाँ

2126. **श्री ज० रा० मेहता :** क्या **सम्भरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन** मन्त्री 13 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5559 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फोर्ड डाज तथा बेडफोर्ड गाड़ियों के लिये अपेक्षित रेडियेटर एस्सी, पार्ट नम्बर सी 39-ए-8005 के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों का दर ठेका मूल्य (रेट कांटैक्ट प्राइस) क्या था, और

(ख) इस मूल्य पर अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ा है ?

सम्भरण तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मन्त्री (श्री कोत्ता रघुरमैया) : (क) रेडियेटर एसेम्बली पार्ट नम्बर सी 39-ए-8005 केवल फोर्ड गाड़ियों में इस्तेमाल होता है और इसके लिये ठेका नहीं है। 30-3-1963 के बाद इस मद के लिये कोई ठेका नहीं दिया गया।

(ख) रुपये को अवमूल्यन के पश्चात् रेडियेटर एसेम्बली की खरीद नहीं की गई अतः इसके मूल्य पर अवमूल्यन के प्रभाव की जानकारी नहीं है।

नारियल उद्योग

2127. **श्री वै० तेवर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मद्रास राज्य के तंजाबूर जिले में भारी मात्रा में उपलब्ध नारियल के कच्चे माल का उपयोग करने के उद्देश्य से सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में नारियल के सहायक नये उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) मद्रास राज्य सरकार ने हाल ही में कुम्भकोनम्, जिला थांजबूर, मद्रास में एक सेवा औद्योगिक सहकारी समिति की स्थापना के लिये एक योजना का अनुमोदन किया है, ताकि इस क्षेत्र में उपलब्ध नारियल की जटाओं का उपयोग किया जा सके ।

(ख) नारियल की जटा का उपयोग मिश्रित रेशे तथा चटाइयाँ के उत्पादन के लिये किया जायगा । यह कार्य कुम्भकोनम् में एक केन्द्रीय सेवा समिति की स्थापना द्वारा किया जायगा जो 20 निर्माता एकक चलायेगी । इस योजना पर कुछ कर्मचारियों के अलावा भूमि, भवन तथा मशीनों पर 3 लाख रु० का अनावर्ती व्यय, हिस्सा पूंजी के लिये 10,000 रुपये और सुरक्षित निधि का अनुदान 5000 रुपये होगा ।

नारियल का निर्यात

2128. **श्री वै० तेवर** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों को नारियल का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या नारियल का निर्यात करने के लिये नारियल उत्पादकों को लाइसेंस देने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव है ताकि मद्रास की स्थानीय मण्डियों में इस वस्तु के मूल्य में हो रही कमी की प्रवृत्ति को रोका जा सके ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) **तथा** (ख) नारियल के निर्यात पर कोई नियंत्रण नहीं है और इसके निर्यात के लिये लाइसेंसों की आवश्यकता नहीं होती । फिर भी, केवल नगण्य मात्रा का निर्यात किया जाता है क्योंकि भारत में स्वयं नारियल की कमी है और उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त मात्रा में खोपड़े का आयात करना पड़ता है । अतः इस समय नारियल के निर्यात को बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

विनयनगर शकूरबस्ती शटल रेलगाड़ी

2129. **श्री लखमू भवानी** : **श्री राम हरख यादव** :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विनय नगर-शकूरबस्ती शटल गाड़ी के ड्राइवर ने 30 जुलाई, 1966 को किशनगंज स्टेशन से शकूरबस्ती स्टेशन तक गाड़ी को चलाने से इस आधार पर इन्कार कर दिया था कि उसका काम करने का समय पूरा हो चुका था और वह समयोपरि काम नहीं करेगा; और

(ख) इस मामले में अधिकारियों ने ड्राइवर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, लेकिन यह घटना 29 जुलाई, 1966 को हुई ।

(ख) ड्राइवर के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्रवाई शुरू की गयी है ।

कच्ची फिल्में

2130. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ठीक ढंग से तथा समय पर कच्ची फिल्में आवंटित न किये जाने के कारण फिल्म उद्योग को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जहाँ तक अरंजित फिल्मों का प्रश्न है, कोई कठिनाई नहीं है । फिर भी रंगीन फिल्मों के सम्बन्ध में अवमूल्यन के बाद निर्यात सम्वर्द्धन योजना की समाप्ति पर अग्रिम लाइसेंस देना बन्द हो जाने के कारण फिल्म उद्योग कुछ समय से थोड़ी कठिनाई का अनुभव कर रहा है ।

(ख) भारतीय चल-चित्र निर्यात निगम को किये गये विदेशी मुद्रा के आवंटनों में से रंगीन फिल्मों के लिये पुन: अग्रिम लाइसेंस देने के लिये अब प्रबन्ध किया गया है । इस निगम को एक सामूहिक लाइसेंस भी दिया गया है जिससे वह कच्ची फिल्मों का स्टाक रख सके जिसमें से वह उधार एवं बदले के आधार पर उत्पादकों की तात्कालिक आवश्यकताओं को तब तक पूर्ण करेगा जब तक कि स्वयं उत्पादकों को दिये गये लाइसेंस पर माल नहीं आ जायगा ।

इलायची बोर्ड

2131. **श्री लिंग रेड्डी** : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची बोर्ड का पुनर्गठन किया जा चुका है तथा क्या उसे कोई धन-राशि दी गई है; और

(ख) बोर्ड द्वारा भारत से अब तक कितना निर्यात किया गया है तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) इलायची बोर्ड अभी हाल में 15 अप्रैल, 1966 को स्थापित किया गया है । इसके सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिये हैं और इस लिये इसका पुनर्गठन 1969 में होगा । बोर्ड को आवश्यक निधि दे दी गई है ।

(ख) बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से इलायची का निर्यात नहीं करता । 1965-66 में सामान्य व्यापार साधनों द्वारा किये गये निर्यात से उपार्जित विदेशी मुद्रा की राशि 4.39 करोड़ रु० रही ।

कच्ची फिल्म उद्योग

2132. **श्री लिंग रेड्डी** : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सब योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत इस समय भारत में कितनी कच्ची फिल्म औद्योगिक उपक्रम हैं;

(ख) चौथी योजना में कच्ची फिल्म के उद्योगों का कार्यक्रम क्या है ;

(ग) इस समय कच्ची फिल्मों के आयात पर कितनी राशि खर्च की जाती है ; और

(घ) इस उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) अभी तक किसी भी कारखाने में उत्पादन नहीं हो रहा है।

(ख) अभी निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) 1963-64, 1964-65 तथा 1665-66 के वर्षों में निम्नलिखित आयात किये गए :

	1963-64	1964-65	1965-66
	रु०	रु०	रु०
(1) फोटेग्राफी की सुग्राही--			
कृत कच्ची फिल्में :	28'64,000	41,62,000	59,09,000
(2) सिनेमा के बिना धुली			
फिल्में :	188,13,000	119,34,000	252,11,000

(घ) सरकारी क्षेत्र के एक कारखाने (मैसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी) को कच्ची फिल्म बनाने के लिये लाइसेंस दिया गया है। इस कारखाने में 1966 की अन्तिम तिमाही तक उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है तथा चौथी योजना के दूसरे वर्ष के अन्त तक आशा की जाती है कि इससे देश की कच्ची फिल्मों की सम्पूर्ण आवश्यकता पूरी हो सकेगी।

काफी तथा चाय का निर्यात

2133. **श्री लिंग रेड्डी :** **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों को काफी तथा चाय का निर्यात करने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) देश में काफी तथा चाय को बड़े पैमाने पर उगाने के लिये क्या योजनाएं आरम्भ की गई हैं और क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) देश में काफी तथा चाय का उत्पादन बढ़ाने के हेतु विस्तार कार्यक्रमों के लिये काफी तथा चाय बोर्डों को कितनी-कितनी राशि दी गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6763/66]

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के कारखाने

2134. **श्री लिंग रेड्डी :** **श्री लखमू भवानी :**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के अनेक भागों में खोले गये हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के कारखानों में 1965-66 में कुल कितना लाभ हुआ ;

(ख) इस समय इस कम्पनी के कितने कारखाने हैं और प्रत्येक राज्य में एक कारखाने के हिसाब से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के कितने कारखाने खोले जायेंगे तथा उन पर अनुमानित लागत क्या होगी ; और

(ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के कारखानों के प्रसार कार्य क्रम क्या हैं तथा उनकी अनुमानित लागत क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) वर्ष 1965-66 का लेखा अभी अन्तिम रूप से निश्चय होना है ।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० के इस समय पांच मशीनी औजार कारखाने हैं जिनमें से दो बंगलौर में तथा एक-एक पिंजौर, कलामासरी तथा हैदराबाद में है । इसके अतिरिक्त घड़ियों का एक कारखाना बंगलौर में है । हर राज्य में एच० एम० टी० का एक-एक कारखाना स्थापित करने का कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है । चौथी योजना की अवधि में कम्पनी का प्रस्ताव अपने पिंजौर, कलामासरी और हैदराबाद के कारखानों का विस्तार करने तथा दो नए कारखाने स्थापित करने का है । जिनमें से एक मध्य प्रदेश में और दूसरा उत्तर प्रदेश में होगा । एक वर्तमान कारखाने का विस्तार की अनुमानित लागत 482 लाख रु० होगी जिसमें से 215 लाख रु० के मूल्य की विदेशी मुद्रा लगेगी तथा एक नया कारखाना स्थापित करने की अनुमानित लागत 926 लाख रु० आयेगी जिसमें से विदेशी मुद्रा का अंश 346 लाख रु० होगा ।

मिलों को कच्चे पटसन की सप्लाई

2135. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिलों को कच्चे पटसन की सप्लाई में कोई सुधार हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो क्या मिलों को नियमित रूप से चालू रखना सम्भव होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) कच्चे जूट के सम्भरण की स्थिति तंग चल रही है ।

(ख) 13 जुलाई 1966 से जूट मिलों के लिये कच्चे जूट का आयात खुले सामान्य लाईसेंस द्वारा कर दिया गया है । अनुमान है कि इस उपाय से मिल उत्पादन के उच्च स्तरों को बनाये रखने के लिये आवश्यक मात्रा में जूट का आयात कर सकेंगे ।

रेलवे कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग

2136. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री इम्बीचीबाबा :
श्री प्रा० रं० चक्रवर्ती :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बूटा सिंह :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री राम हरख यादव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रीय फैडरेशन ने एक नया वेतन आयोग स्थापित किये जाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) केवल रेल-कर्मचारियों के लिए अलग से वेतन आयोग की स्थापना स्वीकार्य नहीं है ।

रेलवे कर्मचारियों के काम करने के घंटे कम करना

2137. **श्री यशपाल सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों ने काम के घंटे, जो बीस बर्ष पहले निर्धारित किये गये थे और अब व्यवहार्य नहीं रहे हैं; घटाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रति क्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) रेल कर्मचारियों की कुछ ट्रेड युनियनों ने काम के घंटे घटाने की मांग की है ।

(क) देश के इस विकासशील चरण में वर्तमान समय इस बात के लिए उपयुक्त नहीं है कि रेल कर्मचारियों के काम के घंटों को आमतौर पर घटाने के बारे में विचार किया जाय । लेकिन, रेल कर्मचारियों पर लागू होने वाले काम के घंटों के नियमों में विभिन्न स्थानों के विभिन्न वर्गों में कर्मचारियों के काम की मात्रा की आवधिक समीक्षा करने की व्यवस्था की गई है, ताकि जहाँ कहीं काम या उसका दबाव अधिक हो, वहां वर्गीकरण में समुचित संशोधन करके उनके काम के घंटों को, निर्धारित नियमों के अनुसार कम किया जा सके ।

कोयले और चूने के पत्थर की कीमतें

2138 **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962 से कोयले और चूने के पत्थर की कीमत 14 प्रतिशत

बढ़ गई हैं तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कीमतें रोकने के बारे में सरकार की नीति असफल रही है ; और

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादन पर नियंत्रण सफल नहीं रहा है और गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादक सरकार के आदेशों की उपेक्षा करते हैं और यदि हां, तो सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करती है ?

खान तथा धातु मन्त्री (श्री सु० कु० डे):(क) और (ख) 1962 से कोयला तथा चूना पत्थर की कीमत 14 प्रतिशत बढ़ गई है। सरकार केवल कोयले के उत्पादन तथा मूल्य पर नियंत्रण रखती है, चूना-पत्थर पर नहीं। कोयले की कीमत में बढ़ती की आज्ञा विभिन्न लेबर जवाड़ों के फलस्वरूप लागत की वृद्धि तथा अच्छी श्रेणी के कोयले के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए दी गई है। अतः यह कहना उचित नहीं है कि गैर सरकारी क्षेत्र सरकारी हुक्म की अवहेलना करते हैं अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में उत्पादन पर नियंत्रण नहीं है अथवा सरकार की नीति मूल्यों के नियंत्रण करने में असफल हो गई है। इस ससय कोयले या चूना पत्थर के उद्योग का राष्ट्रीयकरण आवश्यक नहीं समझा जाता।

Export of Pig Iron

2139. **Shri M. L. Dwivedi:** **Shri S. C. Samanta:**
Shri Subodh Hansda: **Shri Bhagwat Jha Azad:**

Will the **Minister of Commerce** be pleased to state:

(a) the latest figures regarding the value of export of pig iron and other articlefs rom India to Japan under the current trade agreemet between Japan and India ;

(b) the value and names of goods imported from Japan ;

(c) when this agreement will be renewed ; and

(d) whether Japan has asked India for the export of certain goods, if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) (a) **and** (b) Figures for pig iron are not separately available. However, export value of pig iron and sponge iron (including iron and steel powder) from India to Japan during the past few ycars have been in the order of Rs. 135 lakhs in 1960-61, Rs. 107 lakhs in 1961-62 and Rs. 27 lakhs in 1962-63. There have been no further exports of these commoditics in the subsequent years 1963-64 to 1965-66.

Two commoditywise statements showing value of imports into and exports from India to Japan under the current trade agreement between Japan and India during 1960-61 to 1965-66 are enclosed.

[Placed in Library. See No. LT/6764/66].

(c) The Trade agreement which was signed on the 4th February, 1958 will remain in force until either party gives a written notice of its intention to terminate the agreement. Since no such notice has been served by either side, the question of renewal of the agreement does not arise.

(d) No such request has been received from the Government of Japan.

लोको शैड स्टोर, इलाहाबाद

2140. **डा० राम मनोहर लोहिया :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

श्री किशन पटनायक : **श्री भागवत झा आजाद :**

श्री मौर्य : **श्री सोनावने :**

श्री राम सेवक यादव : **श्री रघुनाथ सिंह :**

श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मन्त्री इलाहाबाद में स्थित लोको शैड स्टोर में आग लगने की घटना के बारे में 6 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4822 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अधिकारियों की संयुक्त जांच के अनुसार आग संयोगवश लगी । इस मामले में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया ।

कलकत्ता-बम्बई मेल के भोजन यान (डाइनिंग कार) में आग लग जाना

2151. **डा० राम मनोहर लोहिया :** **श्री किशन पटनायक :**

श्री मधु लिमये : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

श्री मौर्य : **श्री रामेश्वरानन्द :**

श्री राम सेवक यादव : **श्री रघुनाथ सिंह :**

क्या रेलवे मन्त्री 13 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या5617 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता-बम्बई डाकगाड़ी के भोजन यान में आग लगने की घटना के सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन सरकार को मिल चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य उपपत्तियां क्या हैं, और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) जाँच समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल गयी है जिसके अनुसार आग लगने का कारण सिद्ध नहीं हो सका ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

जैसप एन्ड कम्पनी लिमिटेड

2142. **श्री विश्वनाथ पान्डेय :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

श्री बड़े :

क्या उद्योग मन्त्री 15 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1143 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसप एन्ड कम्पनी लिमिटेड के अंशधारियों द्वारा अपने अंशों को बेचने के प्रस्तावों के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिंगरेनी कोयला खानों में कोयले का जमा हो जाना

2143. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 में सिगरेनी कोयला खानों में कोयला बहुत अधिक जमा हो गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ख) 1965-66 में कोयले के स्टाक, कोयले को मांग और माल-डिब्बों की सप्लाई की स्थिति 1964-65 की तुलना में कैसी थी; और

(ग) कोयले की मांग तथा माल-डिब्बों की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खान तथा धातु मन्त्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख) 1964-65 और 1965-66 में सिंगरेनी कोयला खानों से कोयले के उत्पादन, प्रेषण तथा मुहानों पर संचय की स्थिति निम्न प्रकार है :—

अवधि	उत्पादन	प्रेषण	मार्च के अन्त तक मुहानों पर संचय
	(आंकड़े मिलियन मीटरी टनों में)		
1964-65	3.652	3.270	0.458
1965-66	4.029	3.889	0.580

1964-65 के 358 वैगनों की प्रदाय के मुकाबले में 1965-66 में कोयले की औसतन दैनिक लदान बढ़कर 419 वैगन हो गई ।

(ग) कोयले की पर्याप्त प्राप्यता तथा परिवहन क्षमता को ध्यान में रखकर सिंगरेनी कोयले पर से 1-7-1964 से वितरण-नियन्त्रण शिथिल कर दिया गया है । कोयले की मांग अथवा उसके प्रेषण पर कोई रूकावट नहीं है । सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी ने अपने भावी खरीददारों के साथ पूरा सम्पर्क रखा हुआ है तथा वह उन्हें ऋण की सुविधाएं भी देती है । रेलवे को भी कुछ स्टेशनों को दुगना बड़ा करने तथा जंकशन आंगन को बड़ा करने के लिए राजी किया गया है ।

ईराक से खजूरों का आयात

2144. **श्री उटिया** : **श्री मधु लिमये** :

क्या **वाणिज्य मंत्री** 25 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 791 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक से भेजे गये खजूरों के कई प्रेषणों (कनसाइनमेंट) में से एक प्रेषण विशेष के खजूर मानवीय उपयोग के उपयुक्त नहीं पाए गए;

(ख) क्या सरकार ने "सांख्यिकीय स्पष्टीकरण" स्वीकार कर लिया है अथवा उसने इस मामले की अच्छी तरह छानबीन करने की कोशिश की है ;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम का ईराक में कोई प्रतिनिधि है और क्या उससे तथा ईराकी कम्पनी से कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है ; और

(घ) इस मामले में यह हानि कम्पनी द्वारा वहन की जायेगी अथवा राज्य व्यापार निगम द्वारा ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) 25 मार्च, 1666 को दिये गये उत्तर में उल्लिखित 580 टोकरियों में से जिन्हें, बम्बई के प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुन: जांच कराने के पश्चात मानवीय उपभोग के लिये अनुपयुक्त की निकासी हो गयी है। इसके परिणामस्वरूप अब अन्ततः अस्वीकृत की गयीं टोकरियों की संख्या केवल 186 हैं। राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की गयी लगभग कुल 1 लाख टोकरियों में से उनका भाग केवल 0. 17 प्रतिशत है। अस्वीकृति का संबंध केवल 3 लदानों से है जिनमें लगभग 18,000 टोकरियां थी और उनमें से भी मुश्किल से 1 प्रतिशत को अस्वीकार किया गया। इस दृष्टि से कोई पृथक जांच आवश्यक प्रतीत नहीं होती और जबकि सक्षम तकनीकी अधिकारियों द्वारा एक से अधिक बार परीक्षण किये जा चुके हैं।

(ग) राज्य व्यापार निगम का ईराक में कोई प्रतिनिधि नहीं है। जिन खेपों के बारे में पूछा गया है, तामरा के द्वारा खरीदी गयी थीं जोकि ईराक में सरकार द्वारा प्रायोजित एक खजूर संगठन है।

(घ) 186 टोकरियों में से 58 टोकरियों की अदायगी राज्य व्यापार निगम के खरीदारों द्वारा की जा चुकी है और शेष रकम राज्य व्यापार निगम ने अदा की है। इस बात को ध्यान में रखते हुये भी राज्य व्यापार निगम को कुल सौदे पर थोड़ा सा लाभ कमाने की आशा है ?

सीमेंट निगम

2145. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** **श्री मं० रं० कृष्ण :**

क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट निगम ने आगामी पांच वर्षों में सीमेंट निर्माण कारखाने स्थापित करने के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सभा पटल पर एक विवरण रखा जायेगा जिसमें कार्यक्रम तथा प्रस्तावित कारखानों के स्थान के बारे में मुख्य बातें बतायी गई हों ?

उद्योग मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) निम्नलिखित स्थानों में कच्चे माल, बिजली और यातायात इत्यादि के साधनों की उपलब्धि का सर्वेक्षण कार्य हो रहा है :—

1. सेरम, मैसूर
2. नीमच, मध्य प्रदेश

3. मंधार, मध्य प्रदेश

4. येरागुन्तल, आन्ध्र प्रदेश

5. जगदलपुर, मध्य प्रदेश

5. तन्दूर, आन्ध्र प्रदेश

7. पौंटा, हिमांचल प्रदेश

सर्वेक्षण समाप्त होने के बाद ही चौथी योजना की अवधि के लिए सीमेंट निगम के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जा सकेगा। फिर भी कम से कम दो स्थानों के बारे में पहले से निश्चय हो जाने की आशा में निगम ने देश के ही मशीन निर्माताओं को दो प्रतिमानित सीमेंट संयंत्रों के लिये आर्डर दे दिया है।

कपड़े का निर्यात

2146. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात किये जाने वाले समस्त सूती कपड़े की किस्म के नियंत्रण तथा जहाजों में लादने से पहले उसके निरीक्षण की कानूनी व्यवस्था करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ;

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) मिलों तथा शक्तिचालित करघों द्वारा निर्यात के लिये निर्मित सूती कपड़ों के थानों के वस्त्र समिति द्वारा लदान-पूर्व निरीक्षण को अनिवार्य करने का एक प्रस्ताव है।

(ख) योजना के ब्यौरे इस समय तैयार किये जा रहे हैं तथा आशा है कि उपर्युक्त उपाय 1 अक्तूबर, 1966 से लागू हो जायगा।

नकली रेशमी कपड़े का निर्यात और आयात

2147. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नकली रेशमी कपड़े के निर्यात और आयात की योजना बिल्कुल असफल रही है ;

(ख) यह योजना कब और किस उद्देश्य से आरम्भ की गई थी ; और

(ग) यह योजना आरम्भ से लेकर अब तक किस प्रकार चली है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी , नहीं।

(ख) बुनाई उद्योग की आयातित नकली रेशमी धागा उपलब्ध करने के उद्देश्य से 1957 में यह योजना आरम्भ की गई थी।

(ग) चूंकि बुनकरों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वदेशी नकली रेशमी धागे का उत्पादन अपर्याप्त है अत: इस योजना के अधीन नकली रेशमी धागा आयात करके उस कमी को पूरा करना पड़ा। इससे बुनाई उद्योग को नकली रेशमी कपड़े के उत्पादन का विविधीकरण करने तथा उसमें वृद्धि करने में सहायता मिली। योजना के चालू हो जाने के

बाद नकली रेशमी कपड़े के निर्यात से भी तेजी से वृद्धि हुई और 1958 में इसका निर्यात 9 करोड़ रु० मूल्य के 300 लाख मी० के स्तर पर पहुँच गया जबकि 1957 में यह निर्यात 25 लाख रु० मूल्य का 25 लाख मी० हुआ था। उस के बाद के वर्षों में भी निर्यात यद्यपि उसी स्तर पर तो नहीं रहा फिर भी काफी ऊंचे स्तर पर बना रहा। अगस्त, 1965 से योजना का क्षेत्र और अधिक बढ़ा दिया गया ताकि रेयन वर्ग की लकड़ी की लुग्दी कैपरोलेक्टम, डी० एम० टी० गन्धक आदि जैसा कच्चा माल ऊन कातने वालों की आवश्यकता के लिए आयात किया जा सके जिन्हें नकली रेशमी वस्त्र निर्यात करने तथा उनकी आवश्यकता के कच्चे माल के आयात की हकदारियों का उपयोग करते हुए योजना में भाग लेने की इजाजत दी गई थी। इस प्रकार इस योजना ने नकली रेशम उद्योग के विकास में इस उद्योग की आवश्यकता का आयातित नकली रेशमी धागा तथा कच्चा माल उपलब्ध करके और नकली रेशमी कपड़े का निर्यात प्रशंसनीय स्तर पर बनाये रख कर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 6 जून, 1966 तक यह योजना अच्छी तरह से चलती रही जब रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप नकली रेशम योजना सहित सभी निर्यात संवर्द्धन योजनाएं समाप्त कर दी गई।

नकली रेशम निर्यात संवर्धन योजना

2148. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नकली रेशम निर्यात संवर्धन योजना से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण फाइलें गायब हो गई हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है और इसके लिए किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया गया है ; और

(ग) क्या जांच प्रतिवेदन को एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

वणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) नकली रेशम निर्यात संवर्द्धन योजना सम्बन्धी एक मिसिल का सुराग नहीं लग रहा है और इसके लिये विशेष रूप से नियुक्त एक जांच अधिकारी द्वारा मामले की तहकीकात की जा रही है। फिर भी आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक की सदृश मिसिल के द्वारा सम्पूर्ण सामग्री उपलब्ध है।

Pipe Line Manufacturing Works, Rourkela

2149. **Shri Sidheshwar Prasad:** Will the **Minister of Iron and Steel** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Pipe Line Manufacturing Works of Rourkela is almost closed for the last about one year ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the production capacity thereof?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) : (a) to (c) Rourkela Pipe Plant has had to operate at greatly reduced capacity for sometime for want of sufficient orders from local consumers. The Oil and Natural Gas Commission, to meet whose needs the plant was primarily set up, have no further current demand. The surplus capacity is partly utilised for shearing plates. The actual production of pipes and plates by the Pipe Plant during the preceding 12 months was as follows:

(In tonnes)

Month	Production of Pipes	Plates
1.	2.	3.
August, 1965	256	1,856
September, 1965	1,000	649
October, 1965	80	2,554
November, 1965	129	3,142
December, 1965 ...	1,051	1,338
January, 1966 ...	3,617	382
February, 1966 ...	3,641	250
March, 1966	198	1,474
April, 1966	70	856
May, 1966	194	106
June, 1966	139	899
July, 1966	241	860
Total	10,576	14,366

Vigorous efforts are being made to secure export orders to keep the plant running. The rated capacity of the Pipe Plant is about 10,000/15,000 tonnes per month depending upon the sizes of the pipes actually produced.

इस्पात की उत्पादन लागत

2150. **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री रामसेवक यादव :
श्री मौर्य :
श्री अ० प्र० शर्मा :

क्या **लोहा और इस्पात** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1960 से 1965 तक की अवधि के दौरान अमरीका, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस और जापान द्वारा स्थापित किये गये नये कारखानों में पिण्डों तथा तैयार इस्पात की प्रति टन उत्पादन लागत के बारे में अत्याधिक महत्वपूर्ण आंकड़े इकट्ठे कर लिये हैं और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत में इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा विभिन्न सरकारी कारखानों में तैयार किये गये इस्पात की प्रति टन लागत के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) यदि आंकड़ों में अन्तर है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारत में इस्पात की प्रति टन लागत को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

लोहा और इस्पात मन्त्री (श्री त्रि० ना० सिंह): (क) चूंकि विदेशी कम्पनियाँ अपनी

उत्पादन लागत के आंकड़ों को गोपनीय रखती है अतः ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं होते और इसलिये उन्हें प्राप्त करना संभव नहीं है ।

(ख) अगस्त 1965 में इस्पात के उत्पादन की लागत की जाँच करने के लिये सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी । इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार जो हाल ही में सरकार को दी गई थी, 1964-65 में प्रति टन इस्पात पिण्ड की तुलनात्मक लागत इस प्रकार थी :—

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	247.20 रु०
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	246.49 रु०
राउरकेला इस्पात कारखाना	232.71 रु०
भिलाई इस्पात कारखाना	235.32 रु०
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	226.95 रु०

(ग) सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों तथा सरकारी क्षेत्र के कारखानों की आपस में इस्पात पिण्ड की लागत में अन्तर होने के कई कारण हैं जैसे भिन्न-भिन्न प्रकार के कच्चे माल को एकत्रित करने की लागत, कच्चे माल की भिन्न-भिन्न किस्में, ढलाई की क्रिया और तरीकों आदि में अन्तर ।

(घ) इस्पात की उत्पादन लागत की समिति ने जिसका उल्लेख ऊपर (ख) में किया गया है भारत में इस्पात की उत्पादन लागत को कम करने के बारे में कुछ सिफारिशें की है । सरकार आजकल इन सिफारिशों पर विचार कर रही है ।

अलौह धातु और अन्य कच्चा माल

2151. **श्री मधु लिमये :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री किशन पटनायक :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री लिंग रेड्डी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये अमरीकी ऋण करार के परिणामस्वरूप अलौह धातुओं और अन्य कच्चे माल तथा पुर्जों की सप्लाई के बारे में स्थिति सुधर गई है; और

(ख) भारत के इंजीनियरी तथा धातु परिष्करण उद्योगों में उत्पादन तथा रोजगार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

उद्योग मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) गैर-योजना ऋणों के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हाल ही में किए गये दो समझौतों के परिणामस्वरूप अलौह धातुओं तथा अन्य कच्चे माल की सम्भरण की स्थिति में समझौतों के अधीन आयात होने लगने के बाद ही सुधार हो सकेगा । आशा है कि आयात इस वर्ष के अन्त तक होना शुरू हो

जायगा इन समझौतों का उत्पादन तथा रोजगार की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका अभी पता नहीं लगाया जा सकता है।

बिहार में धातुमिश्रित इस्पात का कारखाना

2152. **श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या **लोहा और इस्पात** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बिड़ला कम्पनी ने बिहार में धातुमिश्रित इस्पात का एक कारखाना स्थापित करने के लिये फ्रांस की एक कम्पनी के साथ सहयोग करार किया है;

(ख) विदेशी सहयोगी का कितना साम्य भाग होगा ; और

(ग) इस सहयोग की शर्तें क्या है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 4,000,000 फ्रांसीसी फ्रेंक।

(ग) सहयोग तकनीकी जानकारी इंजीनियरी सेवाओं तथा तकनीकी कर्मचारियों की पूर्ति और व्यापार-चिन्हों के प्रयोग के बारे में है। तकनीकी जानकारी देने की फीस 4,000,000 फ्रांसीसी फ्रेंक होगी और इंजीनियरी सेवाओं की 4,174,427 फ्रांसीसी फ्रेंक। तकनीकी सेवाओ पर व्यय की सीमा अधिक से अधिक 1.97 मिलियन फ्रांसीसी फ्रेंक है।

किउल रेलवे कुली सहकारी समिति

2153. **श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**

श्री किशन पटनायक :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किउन कुली सहकारी समिति तथा दानापुर के पूर्व रेलवे के अधिकारियों के बीच कोई पत्रव्यवहार हुआ है;

(ख) क्या गैर-सरकारी करार को समाप्त करने के बारे में इस समिति को कोई वचन दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस आश्वासन को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) किऊल रेलवे भारिक सहकारी समिति ने किऊल स्टेशन पर पर्सल लादने-उतारने का ठेका देने के लिये अभ्यावेदन दिये थे। इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

भारत-श्रीलंका चाय आयोग

2154. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1966 में हुई भारत-श्रीलंका चाय आयोग की पहली संयुक्त बैठक में किन-किन मामलों पर विचार किया गया और उसमें क्या निर्णय किये गये;

(ख) उनके अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इसकी दूसरी बैठक कब और कहाँ पर करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) **तथा** (ख) भारत-श्रीलंका संयुक्त चाय आयोग की पहली बैठक में चाय के निर्यात व्यापार सम्बन्धी उन मामलों पर जिनमें श्रीलंका तथा भारत की सामान्य रुचि है, बातचीत की गई थी। विषयों में; संयुक्त चाय परिषद संवर्द्धन नीति, विभिन्न चाय परिषदों का अंशदान निर्धारित करने के लिये आधार, परिषदों द्वारा अनुसरण किये जाने वाले चाय संवर्द्धन अभियानों के स्वरूप आदि शामिल थे । इन मामलों की आगे जांच की जा रही है।

(ग) दूसरी बैठक को नई दिल्ली में करने का विचार है । बैठक की तिथियाँ अभी तय नहीं हुई हैं।

बिजौरिया स्टेशन पर डाकुओं का आक्रमण

2155. **श्री किन्दर लाल :** **श्री भागवत झा आजाद :**

श्री विश्वनाथ पान्डेय : **श्री सोनावने :**

श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री रघुनाथ सिंह :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 मई, 1966 को पूर्वोत्तर रेलवे में बरेली और पीलीभीत के बीच बिजौरिया रेलवे स्टेशन पर सशस्त्र डाकुओं के एक गिरोह ने आक्रमण किया और उन्होंने नकदी तथा रेलवे की सम्पति लूटी; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे मे क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सूचना मिलने पर पीलीभीत की सरकारी रेलवे पुलिस तुरन्त घटना-स्थल पर पहुँच गई और उसने जांच का काम शुरू कर दिया। जाँच के दौरान सरकारी रेलवे पुलिस ने सैथल गाँव में छापा मारा और इस डकैती के सिलसिले में 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

लगभग दो सौ रुपये की रेल सम्पति भी अभियुक्त व्यक्तियों से बरामद की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कैम्बे तथा सायन के बीच रेल की पटरी पर गड़बड़ करना

2156. **श्री रा० बरुआ** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच पड़ताल करने पर पश्चिम रेलवे पर कैम्बे तथा सायन के बीच रेल की पटरी पर गड़बड़ी करने के पीछे किसी चाल का पता चला है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या रेल की पटरी पर गड़बड़ी करना भारत के किसी राजनीतिक दल की राजनीतिक चाल का एक अंग है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, इसका उद्देश्य कुछ व्यक्तिगत शिकायतों को दूर करना था ।

(ख) 7.5.66 को सयाना और कैम्बे के बीच रेल-पथ की जांच के दौरान एक गैंगमैन को पता चला कि कि० मी० 45/10 पर बाएँ तरफ की फ़िशप्लेटें पूरी तरह निकली हुई हैं और उनकी ढिबरियाँ रेल-पथ पर पड़ी हैं । आगे जाँच करने पर, अगले जोड़ की फ़िस प्लेट भी छेड़-छाड़ की हुई हालत में मिली और कि० मी० 45/11 पर चार ढिबरियाँ पूरी तरह निकली हुई और लकड़ी की 11 चाबियाँ गुम थीं । गैंगमैन को शरारत का शक हुआ और वह एक अन्य गैंगमैन को देखभाल पर लगाकर सयाना स्टेशन को लौट गया और स्टेशन मास्टर को इस मामले की सूचना दी । स्टेशन मास्टर ने तुरन्त सभी संबंधित लोगों को तार द्वारा सूचित कर दिया । इसी बीच, उस दूसरे गैंगमैन ने देखा कि कालीतलावडी की ओर से गाड़ी नं० 60 अप आ रही है । वह दौड़ कर कालीतलावडी फ्लैग स्टेशन पहुँचा और ड्राइवर से कहा कि गाड़ी रोक दे । सूचना मिलने पर पेटलाद के सहायक रेल-पथ निरीक्षक और सरकारी रेलवे पुलिस के हैड कान्स्टेबल मौके पर पहुँचे और छानबीन शुरू कर दी । सरकारी रेलवे पुलिस आणंद के उप-निरीक्षक ने उसी तारीख में भारतीय रेल अधिनियम की धारा 128 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 507 के अधीन मामला दर्ज कर लिया है । पुलिस छानबीन कर रही है । एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है । उसी दिन रेल-पथ की मरम्मत कर दी गयी और सहायक रेल-पथ निरीक्षक / पेटलाद ने उसे 13.25 पर दुरुस्त प्रमाणित कर दिया ।

(ग) इस मामले में रेल-पथ के साथ छेड़-छाड़ किस राजनीतिक उद्देश्य से नहीं की गयी थी ।

Electronic Factory in Egypt

2157. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** **Shri Raghunath Singh:**
Shri Rameshwaranand:

Will the **Minister of Commerce** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India and Yugoslavia have decided to set up an electronic factory in Egypt with mutual collaboration ;

(b) if so, the capital proposed to be invested by India therein ;

(c) the amount of foreign exchange likely to be earned thereby ; and

(d) when this factory will be commissioned ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

Scarcity of Raw Materials

2158. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** **Shri Raghunath Singh:**
Shri Rameshwaranand:

Will the **Minster of Industry** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that employees are being retrenched from the factories in Delhi due to slump and scarcity of raw materials ;

(b) whether it is also a fact that about two dozens of factories are defunct for want of raw materials ;

(c) whether more than 500 persons were rendered jobless as on the 31st December, 1965 ; and

(d) the action taken to check this unemployment and the arrangement made for the smooth functioning of the factories ?

The Minister of Industry (Shri Sanjivayya) : (a) Yes, Sir, in a few cases.

(b) No, Sir, only two factories have been closed due to slump in the market or due to losses or unfavourable trade conditions.

(c) Only 494 workers.

(d) Recently the Goverment of India have announced a liberalised policy for the import of raw materials etc., which is likely to ease the raw material position providing **inter-alia** for fuller employment opportunities.

Export of Swords to U. S. A.

2159. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Raghunath Singh : Shri Rameshwaranand :**

Will the **Minister of Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that swords will be exported from Punjab to America as reported in the 'Navbharat Times', dated the 22nd April, 1966 ;

(b) if so, when this export will commence ;

(c) the number of swords to be despatched in the first consignment ;

(d) the amount of foreign exchange likely to be earned thereby ; and

(e) whether any agreement is being entered into by Government to export swords to other countries also ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) **to** (d) The Punjab Export Corporation are understood to have received an enquiry from a U. S. firm for supply of 500 swords valued at 1600 dollars (Rs. 12,000) and it is still under negotiation. Similiar swords have already been exported in 1964 by the Corporation and other exporters.

(e) No enquiries have so far been received for swords from any other country.

Exports

2160. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Raghunath Singh : Shri Rameshwaranand :**

Will the **Minister of Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the demand for the Indian goods is declining in the foreign countries as reported in the 'Navbharat Times', dated the 22nd April, 1966 ;

(b) whether it is also a fact that the price index of the goods exported to foreign countries was 92.5 in 1955-56 whereas it went up to 152.7 by 1964-65 ; and

(c) if so, the measures adopted by Government to increase the volume of foreign trade ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) No, Sir. On the other hand there has been an increased demand for a number of items resulting in higher exports during the Third Plan period. The combined volume index (with base 1958) rose from 106 in 1955-56 to 135 in 1964-65.

(b) The unit value index of exports rose from 97 in 1955-56 to 107 in 1964-65.

(c) Constant effort is made to sustain and stimulate the demand for Indian export commodities in foreign markets through participation in fairs and exhibitions, sponsoring of sales and study teams, market surveys, overseas publicity, quality control and pre-shipment inspection and trade agreements. Emphasis is also laid on increasing agricultural production and production in industrial sector so as to increase the volume of export supplies, reduce costs and make Indian products generally more competitive in world markets.

Derailment of Goods Train between Mozenga and Namtiali

2161. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** **Shri Raghunath Singh:**

Shri Rameshwaranand:

Will the **Minister of Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5637 on the 13th May, 1966 and state:

(a) whether the causes of the derailment of a goods train between Mozenga and Namtiali stations (N. E. F. Rly.) on the 27th April, 1966 have been investigated ; and

(b) if so, the result thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) Yes.

(b) The accident was due to the failure of railway staff.

Incident at Jabalpur Railway Station

2162. **Shri Rameshwaranand:** **Shri Raghunath Singh:**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at Jabalpur Station an employee of the Madhya Pradesh Government was run over by a train as reported in the Hindustan, dated the 28th May, 1966 ; and

(b) if so, the reasons thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) No.

(b) Does not arise.

Paper Factory in Poona

2163. **Shri Rameshwaranand:** **Shri Raghunath Singh:**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the **Minister of Industry** be pleased to state:

(a) whether Government propose to establish a paper factory in Poona ; and

(b) if so, when the factory is likely to be completed?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Man run over by Train at Asafpur Station

2164. **Shri Rameshwaranand:** **Shri Raghunath Singh:**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a man was crushed to death by a train on Asafpur Railway Station (Northern Railway) as reported in the Hindustan dated the 10th May, 1966 ;

(b) if so, the causes thereof ;

(c) the place to which the person belonged ; and

(d) the nature of assistance given to the family of the deceased and the period after which the assistance was given ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) No.

(b) to (d) Do not arise.

Export of Tea to Poland

2165. **Shri Raghunath Singh : Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

Will the **Minister of Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact there is great demand for Indian tea in Poland ;

(b) if so, the steps taken in this regard ; and

(c) the quantity of tea exported by Government during 1965-66 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : (a) Yes, Sir.

(b) Indian tea is one of the items whose export to Poland is promoted through a bilateral Trade Agreement with that country.

(c) 1.63 million kilograms of tea, valued at Rs. 90 lakhs, were exported to Poland during 1965-66.

Killing of Dacoits by Railway Police

2166. **Shri Raghunath Singh : Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two members of a gang of dacoits were killed by the railway police while cutting wires between Naihati and Kanchrapara railway stations on the 21st May, 1966 ;

(b) if so, the number and particulars of persons arrested in connection therewith ; and

(c) the quantity of wire recovered from them ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b) No. The correct position is that the incident occurred on the night of 19/20-5-66 between Naihati and Halisahar when two criminals were shot dead by Railway Protection Force Armed Wing patrol party in the exercise of the right of private defence. None was arrested.

(c) Due to timely action by the Railway Protection Force the criminals who had climbed on the mast, could not cut and steal the overhead traction wires.

रेलवे के कार्यालयों और वर्कशापों में काम के घंटे

2167. **श्री नम्बियार :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपातकाल की घोषणा के समय से रेलवे के सभी कार्यालयों तथा वार्कशापों के काम के घंटे बढ़ाये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पहले के काम के घंटे निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में रेलवे कर्मचारियों तथा मजदूर संघों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) आपत्काल की घोषणा होने के बाद भारत सरकार के अन्य कार्यालयों की तरह सभी रेल-कार्यालयों में भी काम के घंटों को प्रतिदिन आधा घंटा बढ़ा दिया गया है। जहाँ तक रेलवे कारखानों का प्रश्न है केवल उन्हीं कारखानों में काम के घंटे बढ़ाये गये हैं जहाँ सप्ताह में 48 घंटे से कम काम होता था और यह काम उत्पादन में वृद्धि और साथ ही साथ कार्यालयों के सम्बन्ध में एकरूपता लाने के उद्देश्य से कर्मचारियों की मान्यता-प्राप्त यूनियनों की सलाह से किया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हाँ।

कोरबा में ऐल्यूमीनियम का कारखाना

2168 **श्री दाजी :** **श्रीमती मैमुना सुल्तान :**

क्या **खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरबा (मध्य प्रदेश) में सरकारी क्षेत्र में एल्यूमिनियम का कारखाना स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्र ने अब तक कितनी राशि खर्च की है तथा उसमें कितनी विदेशी मुद्रा शामिल है ?

खान तथा धातु मन्त्री (श्री सु० कु० डे) : (क) कोरबा (मध्य प्रदेश) में एक एल्यूमीना प्लांट 1,20,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष के लिये एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिये 17-11-64 को हंगेरी के मैसर्स चेनोकोम्पलेक्स के साथ एक ठेके पर हस्ताक्षर हुये हैं। बड़ा प्लांट स्थापित करने के निर्णय के फलस्वरूप बाद में यह ठेका 1-11-1965 को बदलकर 2 लाख मीटरी टन प्रतिवर्ष के एल्यूमीना प्लांट की स्थापना के लिए कर दिया गया। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (सरकारी क्षेत्र उपक्रम) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिये मैसर्स चेनोकोम्पलेक्स का सहयोग दे रही है। आशा है कि नवम्बर, 1966 तक रिपोर्ट प्राप्त हो जायगी। इसी बीच में, होरी की फार्म ने परियोजना की लागत पूंजी आदि तथा उसके आर्थिक पहलुओं से संबद्ध एक अत:-कालीन आर्थिक निर्धारण रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो सरकार के विचाराधीन है।

कोरबा में प्रद्रावक एवं संरचना प्लांट के निर्माण के लिए रूस से तकनीकी एवं वित्तीय सहायता की अपेक्षा की जा रही है। इस सम्बन्ध में बातचीत चल रही है।

1-4-1966 से यह योजना भारतीय एल्यूमिनियम कम्पनी लि० (सरकारी क्षेत्र उपक्रम) को सौंप दी गई है। इस परियोजना के लिये आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों को भरती करने के लिए कार्यवाही की जा चुकी है तथा सम्बद्ध अधिकारियों के साथ बिजली तथा भूमि आदि प्राप्त करने की बातचीत की जा रही है।

(ख) इस परियोजना पर अभी तक 35.15 लाख रु० की रकम खर्च की जा चुकी है जिसमें 26.46 लाख रु० की विदेशी मुद्रा भी शामिल है।

ब्रिटेन से कपड़ा बनाने की मशीनों का आयात

2169. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**

श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन से कपड़ा बनाने की मशीनों के आयात सम्बन्धी पैकेज डील अप्रैल, 1966 में निर्धारित समय में पूरा हो गया था;

(ख) यदि नहीं, तो इस करार को पूरा न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) कब इस करार के पूरा किये जाने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग) राज्य व्यापार निगम और ब्रिटेन के मैसर्स प्लैट ब्रदर्स के मध्य किये गये मूल करार के अनुसार, जो अगस्त 1964 से प्रभाव कारी था, मशीनों की सुपुर्दगी 6 से 21 महीनों की अवधि में की जानी थी। यह अवधि अप्रैल 1966 को समाप्त होनी थी। कुछ सूती कपड़ा मिलें, जो मशीनों की खरीद के लिये एकमुश्त करार में सम्मिलत थीं, उधार के आवंटन का उपयोग न कर सकीं और नये पक्षों को सम्मिलित करना पड़ा। परिणामत; पूरक करारों पर हस्ताक्षर किये गये। प्लैट ब्रदर्स के साथ किये गये नवीनतम करार के अनुसार सुपुर्दगी की अवधि मई 1967 तक है और इस समय तक संविदाओं के पूर्ण हो जाने की आशा है।

जापान से कपड़ा बनाने की मशीनों का आयात

2170. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**

श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान बाद में अदायगी के आधार पर कपड़ा बनाने की मशीनें देने के लिये सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या सभी मशीनों के आयात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ये मशीनें कब तक आयात की जायेंगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (घ) 1 करोड़ डालर मूल्य की कपड़ा मशीनों का आयात करने के लिये राज्य व्यापार निगम ने जुलाई, 1965 में जापान टैक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साथ एक करार किया है जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं :—

(1) लागत-बीमा-भाड़ा सहित संविदा रकम के 15 प्रतिशत की तत्क्षण अदायगी, जिसमें से 10 प्रतिशत की अदायगी आर्डर पर और 5 प्रतिशत की जहाज-लदान पर करनी होगी।

(2) लागत-बीमा-भाड़ा सहित संविदा रकम के शेष 85 प्रतिशत की अदायगी जहाज-लदान के पश्चात 10 वर्षों की अवधि में बराबर की 20 अर्ध वार्षिक किस्तों में करनी होगी ।

(3) बकाया शेष रकम पर 6 प्रतिशत ब्याज ।

समस्त मशीनों के जहाज-लदान के लिये करार में कोई नियत तिथि का निश्चित रूप से उल्लेख नहीं किया गया है । इसके बजाय भारतीय खरीदारों और जपानी विक्रेताओं के बीच हुये व्यक्तिगत संविदाओं में वह दी गई है ।

Official journeys performed by Railway Ministers.

2171. **Shri Bibhuti Mishra:** **Shri K. N. Tiwary:**

Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) the number of official journeys performed by Railway Ministers by trains during 1965 and upto the 25th July, 1966 separately ;

(b) the number of times they travelled in (i) air-conditioned, (ii) Ist class, (iii) IInd class and (iv) IIIrd class compartments, separately ;

(c) whether it is a fact that the Railway Ministers never travel in a IIIrd class compartment ; and

(d) if so, the reasons thereof?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

	1965	**1-1-66 to 25-7-66**	
(a)	78	39	
(b)	(i) Air-conditioned	*96	*It includes 42 journeys by Saloon.
	(ii) Ist class	17	
	(iii) IInd class	Nil	
	(iv) IIIrd class	4	

(c) No.

(d) Does not arise.

रूस से रासायनिक उर्वरक

2172. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से रासायनिक उर्वरकों का आयात करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो बातचीत इस समय किस अवस्था में है; और

(ग) क्या यह सच है कि रूस ने राज्य व्यापार निगम के माध्यम से पोटाश और यूरिया सप्लाई करने का प्रस्ताव किया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) राज्य व्यापार निगम और सोवियत संघ के संभरणकर्ताओं के मध्य 1,60,000 मी० टन अमोनियम सल्फेट की प्राप्ति के लिए एक संविदा पहले ही किया जा चुका है और उसका संभरण जारी है । व्यापार योजना के अन्तर्गत, सोवियत रूस से इस वर्ष लगभग 14,000 मी० टन म्यूरियेट आफ पोटाश के आयात के लिये राज्य व्यापार निगम और सोवियत रूस के प्रतिनिधियों के मध्य बातचीत समाप्त होने वाली है ।

लगभग 11,500 मी० टन दानेदार यूरिया (उर्वरक वर्ग की) के आयात के लिये भी बातचीत चल रही है।

हावड़ा-बर्दवान विजली-चालित रेलवे लाईन

2173. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा-बर्दवान इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन को ए० सी० करंट के स्थान पर डी० सी० करंट से चलाने के मूल निर्णय को अब त्याग दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि इस गलत निर्णय के फलस्वरूप जिसको बाद में बदलना पड़ा है रेलवे को कितना अधिक खर्च उठाना पड़ा है और जनता को कितनी असुविधा हुई है ; और

(ग) क्या इतने अधिक कुप्रशासन के लिये किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) हावड़ा-बर्द्धवान मुख्य लाइन और सेवड़ाफुली-तारकेश्वर शाखा खण्डों पर पहले 3000 वोल्ट डी० सी० बिजली लगायी गयी थी। 1957 में किये गये निर्णय के अनुसार अब उसे 25000 बोल्ट ए० सी० प्रणाली में बदला जा रहा है।

(ख) यह कहना कि पहले किया गया निर्णय गलत था, उचित नहीं है। वास्तव में बात यह है कि कुछ समय बाद इस प्रणाली के सभी तकनीकी और आर्थिक पहलुओं को देखते हुए यह निर्णय किया गया कि हाल में विकसित 25000 बोल्ट ए० सी० प्रणाली भारत में लागू की जाये। 1955 और 1957 में क्रमश: इंगलैंड और जापान ने भी इसी तरह का निर्णय किया था। (प्रारम्भ में इन देशों ने भी डी० सी० प्रणाली अपनायी थी)।

यह भी निर्णय किया गया था कि पश्चिमी बंगाल के उपर्युक्त खण्डों को भी यथासमय 25000 बोल्ट ए० सी० प्रणाली में बदल दिया जाये और हावड़ा-बर्द्धवान तथा सेवड़ाफुली-तारकेश्वर शाखा लाइनों के निर्माण के समय इस तथ्य को भी ध्यान में रखा गया था और विशिष्टियों में उपयुक्त परिवर्तन कर दिया गया था ताकि बाद में बदलाव के काम में सुविधा हो और उस पर खर्च भी कम आये।

अनुमान है कि बदलाव के काम पर 34·79 करोड़ रुपये की शुद्ध लागत आयेगी। अभी यह मालूम नहीं है कि वास्तव में अतिरिक्त खर्च कितना आया। लेकिन जो बदलाव किया जा रहा है, वह तकनीकी और, परिचालन की दृष्टि से, सर्वथा उचित है। डी० सी० को ए० सी० में बदलने से जनता को कोई असुविधा नहीं हुई है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

दिल्ली मुख्य रेलवे स्टेशन पर टेलीफोन

2174. **श्री गुलशन** : क्या **रेलवे** मंत्री 15 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3781 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मुख्य स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय तथा आरक्षण कार्यालय दोनों के लिये टेलीफोनों की संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर इस बीच विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) जी हां, इस बारे में आगे जांच की गयी है और यह निर्णय किया गया है कि दिल्ली मेन स्टेशन के पूछ-ताछ कार्यालय में 3 टेलीफोन और लगाये जायें। आरक्षण कार्यालयों में अतिरिक्त टेलीफोन लगाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

रुपये के अवमूल्यन का चाय उद्योग पर प्रभाव

2175. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय चाय बागान मालिक संस्था के प्रधान द्वारा 7 जून 1966 को जलपाई गुड़ी में दिये गये उस प्रैस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने चाय उद्योग पर रुपये के अवमूल्यन के प्रभाव का विश्लेषण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह अनुमान चाय उद्योग पर रुपये के अवमूल्यन तथा सम्बद्ध उपायों के प्रभाव के बारे में सरकार के अनुमान से कहां तक संगति रखता है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) यह वक्तव्य 6 जून को दिया गया था जब कोई भी अवमूल्यन के प्रभावों का अनुमान नहीं लगा सकता था। संस्था के प्रधान के निराशाजनक पूर्वानुमान से सरकार सहमत नहीं है।

उदार आयात नीति

2176. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री दलजीत सिंह :**

श्री बूटा सिंह : **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**

श्री नरसिम्हा रेड्डी : **श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन के बाद सरकार ने उद्योगों के लिये कच्चे माल और पूर्जों तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के आयात में ढील दी है ; और

(ख) यदि हां, तो किन वस्तुओं के सम्बन्ध में आयात नीति उदार बनाई गई है और किस सीमा तक ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) अतारांकित प्रश्न सं० 1458 के भाग (ख) के उत्तर में सदन की मेज़ पर 5 अगस्त, 1966 को एक विवरण रखा जा चुका है जिसमें उदार आयात नीति की प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है।

रेलवे विद्युतीकरण परियोजना में छंटनी

2177. **डा० रानेन सेन :** **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रेलवे विद्युतीकरण परियोजना के कर्मचारियों में परियोजना पूरी हो जाने पर कर्मचारियों की संभावित छंटनी के विरुद्ध तीव्र आशंकाएं और असंतोष व्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी आशंकाओं को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) रेल बिजली प्रयोजना में नैमित्तिक मजदूरों की नियुक्ति विशिष्ट काम पर एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है और काम पुरा होने पर उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। अपनी नियुक्ति से सम्बन्धित शर्तों और नियमों से वे अच्छी तरह परिचित होते हैं। फिर भी, प्रशासन द्वारा नये काम शुरू करने पर उन्हें दूसरे कामों पर लगाने की हमेशा कोशिश की जाती है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने की दवाइयां

2178. **डा० रानेन सेन** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने की कई हजार रुपये की लागत की दवाइयाँ हाल में कलकत्ता से दुर्गापुर जाते समय रास्ते में ही खो गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसका सुराग निकालने के लिये कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कलकत्ता पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज कराई गई हैं और वह मामले की जांच कर रही है ।

देसी रुई का मूल्य

2179. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुपये के अवमूल्यन के बाद देसी रुई का मूल्य 50 रुपये से लेकर 75 रुपये तक प्रति कैंडी बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस को रोकने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ?

वाणिज्य उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) :(क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) **तथा** (ख) भारतीय रुपये के अवमुल्यन के परिणाम-स्वरूप देशी रुई की कीमत में कुछ वृद्धि हुई है। कीमत में हुई वृद्धि का कारण यह बताया गया है कि अवमूल्यन के परिणाम-स्वरूप आयातित रुई की कीमत में वृद्धि होने के भय से मिल देशी रुई के उपलब्ध सम्भरण के लिए भारी मांग करते हैं।

(ग) वस्त्र आयुक्त ने मिलों और व्यापारियों का ध्यान उस सांविधिक उपबन्ध की ओर

दिलाया है जिसमें उन्हें देशी रुई की किसी भी किस्म को उस प्रकार की रुई के स्टैपल तथा श्रेणी के अनुरूप अधिकतम कीमत से अधिक कीमत पर बेचने अथवा खरीदने से मना किया गया है और उसने उन्हें यह चेतावनी दी है कि उन मिलों और व्यापारियों के विरुद्ध, जो इस उपबन्ध का पालन नहीं करेंगे, कार्रवाई की जायगी ।

Derailment near Jhanjharpur

2180. **Shri Bade:** **Shri Vishwa Nath Pandey:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya: **Shri Ram Harkh Yadav:**
Shri Baswant: **Shrimati Maimoona Sultan:**

Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that two bogies of 334 Down passenger train were derailed on the bridge between the two banks of Kamala-Balan near Jhanjharpur ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the extent of the loss caused and the action taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) Presumably the question realates to the derailment of 334 Down passenger which occurred on 13-6-66.

(b) The accident was due to a heavy boulder coming under the equalising beams and bogie frames of two coaches of the train while it was running between Jhanjharpur and Lohna Road stations.

(c) There was no damage to the railway property.

The Enquiry Committee suspected that the boulder slipped from the head of one of the workmen who were carrying boulders to the Guide-Bund for pitching, for which purpose they use the cess near the track for walking. To guard against the possibilty of such mishaps the railway administration has issued instructions that such operations should be suspended during the pasage of trains.

Falling Incident from a Running Train on the Eastern Railway

2181. **Shri Bade:** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**

Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that one person was killed and eight others were injured seriously when several persons fell down from the foot-board of a local train running between Sodpur and Khardaha on the Eastern Railway in June, 1966 as reported in 'Vir Arjun', dated the 17th June, 1966 ; and

(b) if so, the details of the incident ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): **(a) and (b)** On 15-6-66 while train No. B 11 Up was passing the Up Suburban Starter signal of Sodpur station, a coach on the train grazed the edge of a wagon which had earlier got derailed during shunting operations. As a result, 9 persons were injured of whom 2 fell down from the train. One of these two persons died on the spot and the other succumbed to his injuries in the hospital. Of the remaining 7 persons, only one sustained grievous injuries.

दूध का पाउडर बनाने का कारखाना

2182. **श्री बसवन्त :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चम्बल घाटी में बड़े पैमाने पर दूध का पाउडर बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का विचार है और यह कारखाना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बाह और फतेहाबाद के बीच लगाया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कब स्थापित किया जायेगा और इस पर कुल कितनी राशि खर्च होगी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) जी, हां, । धौलपुर (राजस्थान) में 1968 तक दूध के पाउडर का एक कारखाना 20-23 लाख रु० की अनुमानित लागत से स्थापित कर दिये जाने की आशा है ।

Fire in Bombay-Kashi Express Train

2183. **Shri Baswant:** **Shri Vishwa Nath Pandey:**

Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether the enquiry into the fire that had broken out in the Third Class compartment of the Bombay-Kashi Express Train on the 24th April, 1966 between Ugrasenpur and Phulpur railway stations on the Northern Railway has since been completed ;

(b) if so, the result thereof ; and

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, when it is likely to be completed

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) Yes. The accident occurred on 25-4-66.

(b) The fire was the result of electric spark caused by short circuit or earth fault.

(c) Does not arise.

कच्चे पटसन के मूल्य

2184. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री 22 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1289 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे पटसन के मूल्य बढ़ जाने के कारण हाल के महीनों में पटसन उद्योग को हुई भारी हानि को देखते हुए सरकार ने इस बीच अधिक कर समंजन देने के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) अवमूल्यन के परिणामस्वरूप, 6 जून, 1966 से कर-उधार की योजना वापस ले ली गई है ।

महेश्वरी देवी जूट मिल्स, कानपुर

2185. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री 22 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1302 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महेश्वरी देवी जूट मिल्स, कानपुर के काम-काज के सम्बन्ध में सर्वेक्षण दल के प्रतिवेदन की जांच इस बीच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी):(क) जी, हां।

(ख) समिति की इस सिफारिश को कि सुचारू रूप से चलाने के लिये मिल को पट्टे पर दे दिया जाए, स्वीकार कर ली गई है तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को इसकी सिफारिश कर दी गई है। मालूम हुआ है कि मिल प्राधिकारियों ने अभी तक इस प्रकार के प्रबन्ध पूर्ण नहीं किये हैं।

दस्तकारी की वस्तुओं के उत्पादन केन्द्र

2186. **श्री रामचन्द्र उलाका : श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री 22 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4211 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड के दस्तकारी की वस्तुओं की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये 100 उत्पादन केन्द्र खोलने के प्रस्तावों पर इस बीच विचार किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) मामला अब भी विचाराधीन है।

भदभू के निकट ट्रक तथा रेलगाड़ी की टक्कर

2187. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 जून, 1966 को पश्चिम रेलवे में भदभू के निकट एक रेलवे फाटक पर सूरत-भुसावल यात्री गाड़ी की एक माल-ट्रक के साथ टक्कर हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का क्या कारण था; और

(ग) क्या इस रेलवे फाटक पर कोई आदमी तैनात रहता था अथवा नहीं ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ): (क) यह दुर्घटना 19-6-66 को भड़भूजा और नवापुर स्टेशनों के बीच हुई।

(ख) दुर्घटना का कारण यह था कि एक ट्रक रेलवे पटरी पर चढ़ गया क्योंकि बरसात से ज़मीन गीली हो जाने के कारण वह कीचड़ में धंस गया था।

(ग) वहां फाटक वाला तैनात नहीं था।

बम्बई-हावड़ा मेल को रोक लिया जाना

2188. **श्री अ० ना० विद्यालंकार : श्री राम हरख यादवः**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 जून, 1966 की रात को बम्बई-हावड़ा डाकगाड़ी के चलने में काफी देर हो गई थी, क्योंकि रेलगाड़ी की सभी बत्तियां बुझ गई थीं और यात्रियों ने इसका जोरदार विरोध किया था ;

(ख) क्या सरकार ने इस शिकायत की जांच की है और इस मामले की जिम्मेदारी किसी पर डाली है ;

(ग) क्या यह सच है कि आमतौर पर रोजाना ही ऐसी हालत होती है कि अधिकतर रेलगाड़ियों में बत्तियां खराब रहती हैं, या तो करंट कमजोर रहता है या फिर रोशनी बिलकुल मद्धम रहती है अथवा रेलगाड़ी के रुकते ही रोशनी चली जाती है;

(घ) रेलगाड़ियों के डिब्बों की देखभाल के काम में आमतौर पर की जाने वाली लापरवाही तथा समुचित अधीक्षण की कमी होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी हां । कुछ डिब्बों में बत्तियां बुझ गयी थीं ।

(ख) शिकायत की जांच की गयी है और कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई शुरू कर दी गयी है ।

(ग) और (घ) जी नहीं । कभी-कभी रास्ते में अस्थाई तौर पर बिजली बंद हो जाती है जिसका मुख्य कारण यह है कि बिजली के ऐसे महत्वपूर्ण पुर्जों को लोग चुरा लेते हैं जो तांबे और दूसरे अलौह धातुओं के बने होते हैं । चोरी की वारदातें कम करने और कमियों को पूरा करने के लिए हर तरह से कोशिश की जा रही है ।

बाढ़ों के कारण रेलवे सम्पत्ति का नुकसान

2189. **श्री किन्दर लाल: श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम, सौराष्ट्र (गुजरात), मणिपुर-त्रिपुरा तथा देश के अन्य स्थानों में हाल की बाढ़ों के कारण रेलवे सम्पत्ति को कुल कितनी हानि हुई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) सौराष्ट्र में 8 हजार रुपये की, पंजाब में 10 हजार रुपये की और असम में 22 लाख रुपये की ।

(ख) मरम्मत का काम तेजी से किया गया और ऐसी उपचारी कार्रवाइयों पर विचार किया जा रहा है ताकि भविष्य में हानि न हो और गाड़ियों का आना-जाना बन्द न होने पाये ।

फिल्म सलाहकार समिति

2190. **श्री राम हरख यादव** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्मों का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से उपाय सुझाने के लिये संसद-सदस्यों की एक फिल्म सलाहकार समिति बनाई है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को समिति की सिफारिशें मिल गई हैं, और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा सरकार द्वारा उनको कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी, हां । आन्तरिक तथा वाह्य प्रचार के लिये वृत चित्र तैयार करने में मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से समिति बनायी गयी थी ।

(ख) जी, हां।

(ग) एक नोट संलग्न है जिसमें सिफारिशों का सार और सरकार द्वारा उन पर किये गये निर्णय दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया (दे खिये संख्या एल० टी० 6365/66] इन निर्णयों के सम्बन्ध में एक संकल्प जारी किया जा रहा है।

एरणाकुलम में स्टार्च का कारखाना

2191. **श्री अ० क० गोपालन : श्री इम्बीचीबाबा :**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी सहयोग से गैर-सरकारी क्षेत्र में एरणाकुलम में 50 टन का स्टार्च का एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो किस कम्पनी को लाइसेंस दिया गया है ; और

(ग) विदेशी सहयोगी का नाम क्या है तथा कारखाने में कब तक काम आरम्भ हो जाने की आशा है ?

उद्योग मन्त्री (श्री संजीवैया): (क) और (ख) जी, हां। मेसर्स कस्सावा इंडास्ट्रियल प्रोडक्ट्स लि०, त्रिवेन्द्रम को स्टार्च तैयार करने के लिए त्रिवेन्द्रम में 18,000 मी० टन वार्षिक क्षमता वाला एक कारखाना स्थापित करने के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस जारी कर दिया गया है।

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका का मेसर्स पान एलायंस कारपोरेशन। कम्पनी द्वारा 1967 तक उत्पादन शुरू कर दिये जाने की आशा है।

केरल में अखबारी कागज का कारखाना

2192. **श्री अ० क० गोपालन : श्री इम्बीचीबावा :**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अखबारी कागज का एक कारखाना चालू करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि मलयात्तूर और एरणाकुलम में बांस बहुतायत से मिलते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कारखाने के लिये उनका उपयोग करने तथा इस स्थान के निकट कारखाना स्थापित करने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) एरणाकुलम क्षेत्र के मलयातूर में कितना बांस होता है इसके बारे में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। किन्तु समझा यह जाता है कि केरल में यदि कुछ फालतू बांस होता भी है तो वह राज्य के विद्यमान रेयन ग्रेड की लुग्दी बनाने वाले कारखाने की सम्पूर्ण आवश्यकता पूरी करने के बाद कागज की मिल स्थापित करने के लिये काफी नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीलंका के साथ व्यापार करार

2193. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री इम्बीचीबाबा**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने इस वर्ष श्रीलंका की सरकार के साथ व्यापार करार तय किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं का विनिमय किया जायेगा ; और

(ग) उनका मूल्य तथा मात्रा कितनी होगी ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) **तथा** (ख) इस वर्ष फरवरी में भारत तथा श्रीलंका के बीच व्यापार प्रगति की समीक्षा की गई थी और इस बातचीत के फलस्वरूप दोनों के बीच यह व्यवस्था हुई थी कि भारत श्रीलंका से खोपरा, गोले का तेल तथा रबड़ (प्राकृतिक) खरीदेगा और श्रीलंका को सूखी मछली, इमली, सक्करई का निर्यात करेगा ।

(ग) इस सूचना को देना सार्वजनिक हित में नहीं है । फिर भी यह स्पष्ट किया जा सकता है कि दोनों ओर के क्रय तथा विक्रय प्रतिस्पर्द्धात्मक अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर होंगे ।

रबड़ विपणन सहकारी समितियां

2194. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री इम्बीचीबावा :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने रबड़ विपणन सहकारी समितियां आरम्भ करने की योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन सहकारी समितियों को रबड़ बोर्ड क्या सहायता देगा ;

(ग) क्या अब तक ऐसी कोई सहकारी समितियां बनाई गई हैं और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(घ) इन समितियों में रबड़ बोर्ड ने कुल कितने अंश लिये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) रबड़ बोर्ड द्वारा प्रत्येक योग्य विपणन सहकारी समिति को 5 प्रतिशत ब्याज वाला 50,000 रु० तक का कार्यकर पूंजी ऋण तथा 25,000 रु० हिस्सा पूंजी के रूप में दिये जाते हैं ।

(ग) जी, हां । निम्न सोलह समितियाँ अभी तक संगठित की गई हैं :

1. कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट रबड़ ग्रोअर्स कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि०, डिस्ट्रिक्ट कन्याकुमारी ।
2. त्रिवेन्द्रम डिस्ट्रिक्ट रबड़ प्लांट्र्स कोआपरेटिव सोसायटी लि० त्रिवेन्द्रम ।
3. रान्नी मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटी लि०, डिस्ट्रिक्ट क्विलोन ।
4. पथानापुरम ताल्लुक मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटी लि०, डिस्ट्रिक्ट क्विलोन ।
5. काजिरापल्ली कोआपरेटिव रबड़ मार्केटिंग सोसायटी लि०, डिस्ट्रिक्ट कोट्टायम ।
6. कोट्टायम कोआपरेटिव रबड़ मार्केटिंग सोसायटी लि०, डिस्ट्रिक्ट कोट्टायम ।

7. पांलई मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटी लि०. डिस्ट्रिक्ट कोट्टायम ।

8. मोनीपल्ली मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसायटो लि०, डिस्ट्रिक्ट कोट्टायम ।

9. मुवट्टुपुजा कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि०, डिस्ट्रिक्ट एर्नाकुलम ।

10. थोडूपुजा ताल्लुक कोआपरेटिव रबड़ मार्केटिंग सोसायटी लि०, डिस्ट्रिक्ट एर्नाकुलम ।

11. आराकुन्नम कोआपरेटिव रबड़ मार्केटिंग सोसायटो लि०, डिस्ट्रिक्ट एर्नाकुलम ।

12. अलवाये कुन्नाथुनड रबड़ मार्केटिंग सोसायटी लि०, डिस्ट्रिक्ट एर्नाकुलम ।

13. त्रिचुर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव रबड़ मार्केटिंग सोसायटी लि०, डाकखाना त्रिचुर ।

14. पालघाट डिस्ट्रिक्ट रबड़ ग्रोअर्स कोआपरेटिव रबड़ मार्केटिंग सोसायटी लि०, पालघाट ।

15. कोझीकोड डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव रबड़ मार्केटिंग सोसायटी लि०, कालीकट ।

16. कन्नानोर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव रबड़ मार्केटिंग सोसायटी लि०, डिस्ट्रिक्ट कन्नानोर ।

(घ) अभी तक बोर्ड ने 1,00,000 रु० हिस्सों के मूल्य की राशि चार समितियों को दी है। एक अन्य समिति को 25,000 रु० स्वीकृति किये गये हैं तथा धनराशि शीघ्र ही वितरित कर दी जायेगी । बाकी समितियों से अभी तक आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं ।

बारह समितियों को कार्य कर पूंजी ऋण के रूप में 5,40,000 रुपये की राशि भी वितरित की गई है और समितियाँ द्वारा मूलधन तथा ब्याज दोनों का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है ।

रेलवे के कल-पुर्जों का निर्माण

2195. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से इस समय आयात किये जा रहे रेलवे के कल पुर्जों का निर्माण करने के संबंध में गैर-सरकारी क्षेत्र को उनके द्वारा की गई अपील का संतोषजनक रूप में स्वागत किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) इस समय रेलवे की जरूरत के जो कल-पुर्जे आयात किए जाते हैं, उनमें लोगों ने काफी रुचि दिखायी है और बहुत से उद्यमकर्ताओं ने इस तरह के कल-पुर्जों को देश में ही तैयार करने की इच्छा प्रकट की है । आशा है कि चौथी योजना के दौरान इस दिशा में काफी प्रगति होगी ।

दक्षिण-मध्य क्षेत्र (जोन)

2196. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : **श्री रवीन्द्र वर्मा** :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नया दक्षिण-मध्य क्षेत्र स्थापित करने के बारे में, जिसका मुख्यालय सिकन्दराबाद में होगा, किये जा रहे क्षेत्रीय समायोजनों के विरुद्ध सरकार को कोई अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इनका स्वरूप क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अभ्यावेदनों का सम्बन्ध मुख्यत: नये रेल क्षेत्र के प्रधान कार्यालय के स्थान, किन्हीं मण्डलों या खण्डों को नये क्षेत्र में शामिल करने या न करने और कर्मचारियों के मामलों आदि से है ।

(ग) सभी अभ्यावेदनों की जांच की गयी है और परिचालन कुशलता तथा जनता एवं उद्योग, व्यापार और वाणिज्य की सेवा के सर्वोत्तम हित में उन पर निर्णय किये गये हैं ।

सरकारी क्षत्रें के उद्योग

2197. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी अधिकारियों के साथ सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के मैनेजरों की दो बैठकों में सिफारिश की गई थी कि सरकारी क्षेत्र में मूल्य किसी मानक या आदर्श पर आधारित होने चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ।

उद्योग मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) ये सम्मेलन स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष तथा अनौपचारिक थे और इनका उद्देश्य सरकार से कोई स्वीकृत सिफारिशें करना नहीं था । फिर भी सम्मेलन मे ये सुझाव दिये गये थे कि सरकारी क्षेत्र में वस्तुओं के मूल्य सामान्य रूप से तटागत मूल्य से 15 प्रतिशत के मानक अथवा इक्विटी पर 20 प्रतिशत वापसी और नि:शुल्क साधन जो भी अधिक हो, से सम्बद्ध होने चाहिये । कुछ विशेष मामलों में अपवाद हो सकते हैं किन्तु सामान्य रूप से यदि कोई उपक्रम इस मानक के अनुसार उपयुक्त लाभ नहीं दिखाता तो उसके बारे में यह समझना चाहिये कि वह संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है ।

केन्द्रीकृत यातायात नियन्त्रण व्यवस्था

2199. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के एक सेक्शन में केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण व्यवस्था चल रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस व्यवस्था के कारण रेलगाड़ियों के चलने में अनुचित रूप से विलम्ब होता है; और

(ग) क्या इस चकाचौंध करने वाली रोशनी के, जिसका प्रयोग केन्द्रीकृत यातायात नियन्त्रण व्यवस्था में किया जा रहा है निरन्तर रेलगाड़ियों के चालकों के सामने पड़ने के कारण उनकी आंखों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

रेलवे मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां । पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर-छपरा खण्ड (179 किलोमीटर) पर केन्द्रीकृत यातायात नियन्त्रण प्रणाली चालू है ।

(ख) इस प्रणाली के कारण गाड़ियों को अनुचित रूप से नहीं रुकना पड़ता । जब यह नई प्रणाली लागू की गयी, तो प्रारम्भिक अवस्था में होने वाली कठिनाइयों के कारण गाड़ियों के चलने

में कुछ विलम्ब हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे नयी प्रणाली के स्थिर हो जाने पर गाड़ियों के चलने में होने वाले विलम्ब पर बहुत कुछ काबू पा लिया गया है।

(ग) जी नहीं। केन्द्रीकृत यातायात नियन्त्रण प्रणाली वाले खण्ड पर जो सिगनल लगे हैं, उनकी रोशनी तेल से जलने वाले पुराने ढंग के बत्ती सिगनलों से अधिक है लेकिन यह चकाचौंध पैदा नहीं करती। इन सिगनलों की रोशनी की चमक वैसी ही है जैसी कि रंगीन रोशनी वाले दूसरे सिगनलों की होती है जिसका इस्तेमाल रेलों में पहले से किया जा रहा है।

Out-Station Agencies

2200. **Dr. Mahadeva Prasad:** Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up new out-station agencies on various railway lines for the movement of different commodities ; and

(b) if so, whether such an out-station agency is proposed to be set up at Maharajganj, which is a Tehsil Headquarters in Gorakhpur district ?

The Minister of State in the Ministry of Railways: (Dr. Ram Subhag Singh): (a) New Out Agencies are opened where there is a definite prospect of considerable new traffic and the facility is considered necessary for public convenience provided, however, a suitable ontractor is forthcoming.

(b) No. The reasons for not opening the Out Agency are as follows:—

(i) There is no prospect of any additional traffic being tapped ;

(ii) the existing road services meet the needs of the locality adequately ; and

(iii) Maharajganj is served by five Railway Stations viz. Gughli, Captainganj, Siswa Bazar, Anand Nagar and Gorakhpur to which it is well connected by pucca roads and it would be difficult to canalise the traffic through a single station by which the proposed Out Agency could be served.

Ist Class Railway Pass Holders

2201. **Dr. Mahadeva Prasad:** Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that due to increase in the number of Ist Class Railway pass-holders, passengers with 1st class tickets have to experience inconvenience in travelling in first class compartments ; and

(b) if so, the steps being taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways Dr. Subhag Singh : (a) No.

(b) Nevertheless, instructions exist that there must be some check on the number of berths reserved on Railway passes.

केरल में सरकारी औद्योगिक उपक्रम

2203. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने 1958 में केरल के सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में पृथक प्रबन्ध परिषदें स्थापित करने के आदेश दिये थे ;

(ख) क्या इन सभी उपक्रमों में प्रबन्ध परिषदें अभी तक काम कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या नियमानुसार प्रतिमास उनकी एक बैठक नियमित रूप से हो रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) जी, हां । केरल में सरकार के स्वामित्व के सभी औद्योगिक कारखानों(उदाहरण के लिये ट्रावणकोर प्लाईवुड उद्योग तथा केरल सोप एण्ड आयल लि० के तीन एकक) की जिन प्रबन्ध समितियों का गठन केरल सरकार के 1958 के आदेशों के अनुसार किया गया था, वे कार्य कर रही हैं और यथा निर्धारित उनकी महीने में नियमित रूप से एक बैठक होती रहती है ।

केरल में सरकारी कम्पनियां

2204. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य की सरकारी कम्पनियों में से प्रत्येक ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल योजनाओं को कहां तक क्रियान्वित किया है ;

(ख) प्रत्येक योजना के लिये कितनी राशि नियत की गई थी और इस अवधि में कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ग) क्या केरल राज्य की किसी भी सरकारी कम्पनी में इन योजनाओं के अन्तर्गत खरीदी गई मशीनें बेकार पड़ी हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ये मशीनें कब खरीदी गई थीं और इनका मूल्य क्या था ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

रेलवे के नैमित्तिक कर्मचारी

2206. **श्री अ० प्र० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) रेलवे के अकुशल अर्ध-कुशल तथा कुशल और अन्य श्रेणियों के नैमित्तिक कर्मचारियों को किस दर से न्यूनतम दैनिक मजूरी दी जाती है ;

(ख) भारतीय रेलों में ऐस नैमित्तिक कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) मजूरी की यह दर किस आधार पर निर्धारित की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क)से(ग) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली डिवीजन में श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कर्मचारी

2207. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के दिल्ली डिविजन में अधिकारियों तथा श्रेणी तीन और श्रेणी चरा के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को (श्रेणीवार) क्वार्टर दिये गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

	अफसर	तीसरी श्रेणी	चौथी श्रेणी
(क)	68	12127	22521
(ख)	54	7050	12894

चाय का निर्यात

2208. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** **श्री च० का० भट्टाचार्य :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965-66 में भारत से चाय का निर्यात कम हो गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे तथा कमी कितनी हुई थी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री शफी कुरेशी): (क) तथा (ख) जी, हाँ । 1964-65 तथा 1965-66 के दौरान चाय का निर्यात इस प्रकार हुआ :—

वर्ष	परिमाण लाख किग्रा० में	मूल्य करोड़ रु० में
1964-65	2122	2124.7
1965-66	1974	114.8

1965-66 में निर्यात में गिरावट के निम्नलिखित कारण थे :

(1) उत्तर-पूर्व भारत में सूखे के कारण चाय की कम फसल होना तथा देश में खपत बढ़ जाना ; तथा

(2) कम उत्पादन के अलावा, काफी मात्रा में (30 लाख किग्रा चाय पूर्वी बंगाल से गुज़रते समय लड़ाई के दौरान पाकिस्तान द्वारा पकड़ ली गई थी ।

दुगदा कोल वाशरी में गड़बड़ी

2209. **श्री रा० बरुआ :** **श्री द्वारका दास मन्त्री :**

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुगदा कोल वाशरी के यूनिटसंख्या 2 में 1 जुलाई, 1966 को गड़बड़ी हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप 7 व्यक्ति घायल हो गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

लोहा और इस्पात मन्त्री (श्री त्रि० ना० सिंह): (क) और (ख) मैसर्स एशियाटिक आक्सीजन एण्ड ऐसीटिलिन कम्पनी लिमिटेड के मजदूरों ने 28 जून, 1966 से हड़ताल कर दी । यह कम्पनी एक प्राइवेट फर्म हैं और दुगदा II कोयला शोधनशाला के निर्माण कार्य करने वाले बड़े ठेकेदार के जो एक प्राइवेट फर्म है उप-ठेकेदार के रूप में काम करती है । हमें मालूम हुआ है कि 28 और 29 जून की हड़ताल निरुपद्रव थी, परन्तु बाद में जब कुछ गिरफ्तारियों की गई तो मजदूर उत्तेजित हो गये । पता चला है कि उन्होंने पत्थर फेंकने शुरू कर दिये जिसके परिणामस्वरूप सात व्यक्तियों को मामूली चोटें आई ।

रूस तथा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार

2210. **श्री रा० बरुआ :**
श्री जसवन्त मेहता :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बूटा सिंह
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री हेमराज :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने जुलाई, 1966 में रूस तथा पूर्वी यूरोप के अन्य देशों का दौरा किया था,

(ख) यदि हां, तो ये दौरे किस प्रयोजन से किये गये थे, और

(ग) इन दौरों का क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां। दौरा केवल सोवियत रूस तक ही सीमित था और पूर्वी यूरोप के अन्य देशों को जुलाई महीने के दौरे की अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था।

(ख) भारतीय रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् उन देशों में, जिनके साथ रुपया भुगतान के आधार पर भारत ने द्वि-पक्षीय करार किये थे, व्यापार करने के बारे में कुछ अनुवर्ती समस्याएं पैदा हो गयी । इन समस्याओं के लिये पारस्परिक रूप से स्वीकृत आधार पर समाधान करना आवश्यक है।

(ग) एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है जिसमें इन वार्ताओं का सारांश दिया गया है।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 6766/66]

पूर्वोत्तर सीमा रलवे में तोड़फोड़ की घटनायें

2211. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1966 से अब तक पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में तोड़फोड़ की जो अनेक घटनाएं घटी हैं क्या उनके सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारियां की गई हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ग) इन घटनाओं की जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पांच व्यक्ति।

(ग) चार मामलों में पुलिस छान-बीन कर रही है और एक मामले में आरोप-पत्र जारी किया गया है।

पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का भूतत्वीय सर्वेक्षण

2212. **श्री हेम राज :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का भूतत्वीय सर्वेक्षण करने का कार्यक्रम अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख) भारतीय भौतिकी विभाग के 1966-67 के क्षेत्रीय कार्यक्रमों में निम्नलिखित अनुसंधान शामिल किए गए हैं :—

(1) तांबे की प्राप्ति के लिए कुल्लू जिले के नारौल और दानाला क्षेत्रों में विस्तृत पैमाने पर मानचित्रण तथा व्यधन कार्य करके विस्तृत अनुसंधान जारी रखना ।

(2) चूना पत्थर संचयों के व्यधन द्वारा पंजाब के कांगड़ा जिले के धर्मशाला में अनुसंधान ।

(3) फासफेट संचयों की प्राप्ति के लिए पद्धतिपूर्ण मानचित्रण और आरम्भिक अनुसंधान का कार्यशाली पट्टी से लेकर डलहौजी तक जारी रखना ।

(4) कुल्लू जिले में पद्धति पूर्ण मानचित्रण का काम जारी रखना ।

(5) होशियार पुर तथा कांगड़ा जिलों की व्याप्त बांध परियोजना के लिए निर्माण अवस्था में भौतिकी अनुसंधान ।

(6) गुरदासपुर जिले की तीन बंध परियोजना के लिए विस्तृत भौमिकी अनुसंसान ।

(7) होशियारपुर जिले के रोपड़ विद्युत केन्द्र के स्थान के लिए विस्तृत भौमिको अनुसंधान ।

(8) होशियारपुर जिले के अतिरिक्त नंगल पानी के बहाव का रास्ता तथा विद्युत केन्द्र के स्थानों के लिए भूमिक्षण भौमिकी अनुसंधान ।

(9) होशियारपुर जिले की मैकेनिया जल विद्युत योजना के लिए आरम्भिक और विस्तृत भौमिकी अनुसंधान । (जल विद्युत का अन्तिम रेखांकन तीन विद्युत शक्ति स्थान तथा सतना बंध स्थान) ।

(10) पश्चिमी यमुना जल विद्युत योजना अम्बाला जिला (तीन विद्युत केन्द्रों के लिए स्थान के लिये) विस्तृत भौमिकी अनुसंधान ।

(11) लाहुल जिले की त्रिहोत जल विद्युत योजना के लिए विस्तृत भौमिकी अनुसंधान (निकटवर्ती क्षेत्र में वैकलपित स्थानों का अनुसंधान अस्थायी पद है जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य की सहमति पर निर्भर है) ।

(12) भाखड़ा जलाशय क्षेत्र की ढलान का स्थायित्व तथा जलाशय चक्र के पास पास नौकरी अधोवलि के तल जल में परिवर्तनों का अनुसंधान ।

(13) पंजाब में गर्म पानी के चश्मों का अनुसंधान ।

कोयला वैगनों का नियतन

2213. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में वर्ष-वार और क्षेत्रवार कोयला-क्षेत्रों (कोल-फील्ड) के लिये कुल कितने कोयला वैगनों का नियतन किया गया ; और

(ख) उक्त अवधि में कोयला-क्षेत्रों की वैगनों सम्बन्धी मांग का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) 1965 में और 1966 के पहले छ : महीनों में अलग-अलग कोयला क्षेत्रों में कुल कितने माल-डिब्बों की मांग की गयी और कुल कितने डिब्बे (चौपहिए) दिये गये, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	1965		1966 (जून तक)	
	मांग	**नियतन**	**मांग**	**नियतन**
पश्चिम बंगाल और बिहार	3083615	2149757	1347313	1069221
कोरिया और रीवा	281854	250937	139187	131520
तालचेर	35912	35456	17155	17155
पेंच और चांदा	163049	163049	79121	79121
उमरेर	—	—	3052	3052
सिंगरेनी	177331	159261	88142	88142
असम	17588	16779	8320	7855
जोड़ :	3759349	2775239	1682290	1396066

टिप्पणी :—आमतौर पर मालडिब्बे की मांग और उनके नियतन में अन्तर होता है, क्योंकि एक ही मांग के बार-बार आने पर माल-डिब्बों का नियतन उसी दिन नहीं किया जा सका ;

चार पहियों वाले वैगन

2214. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटे कस्बों और समीपवर्ती गांवों में पत्थर के कोयले (साफ्ट कोक) के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिये अधिक संख्या में चार पहियों वाले वैगन देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) . इस समय पत्थर के कोयले के लिए माल डिब्बों की सारी मांगे पूरी की जा रही हैं।

पत्थर का कोयला भेजने के लिए उपलब्ध चौपहिया डिब्बों की संख्या बढ़ाने का कोई विचार नहीं है, और न इस कोयले को लोक प्रिय बनाने के लिए इसकी जरूरत ही है। इस तरह की मांगों को बाक्स माल डिब्बों से पूरा करना अधिकाधिक सम्भव होगा, क्योंकि ये डिब्बे बड़ी मात्रा में कोयला ढ़ोने के लिए बनाये गये हैं।

रेलवे द्वारा खरीदे गए कोयले पर बिक्री-कर

2215. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने मध्य तथा पूर्व रेलवे से, उनके द्वारा खरीदे गये कोयले पर बिक्री-कर न देने को कहा है ; और

(ख) क्या कोयले पर बिक्री-कर लगाने के बारे में राज्य सरकार के अधिकार तथा अन्य कानूनी मामलों के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड ने विधि, वित्त और खान तथा धातु मन्त्रालयों से परामर्श किया है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां; मध्य और पूर्व रेलों सहित सभी रेलों से कहा गया है कि कोयला खान नियंत्रण आदेश के अधीन भेजे गये कोयले पर विक्री-कर न दें ।

(ख) नियंत्रित वस्तुओं, जैसे कोयला आदि पर विक्री-कर लगाने के प्रश्न पर विधि और वित्त मंत्रालयों से सलाह ली गयी थी । बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल और कोयला उत्पादकों की कुछ संस्थाओं के कानूनी सलाहकारों द्वारा इस पर दी गयी राय को देखते हुए वे अब इस स्थिति पर फिर से विचार कर रहे हैं ।

कोयले का निर्यात

2216. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री 1 अप्रैल 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3110 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगापुर, हांगकांग तथा अन्य देशों को नान कोकिंग कोयले का निर्यात करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार कोकिंग कोयले का जो इस समय आवश्यकता से अधिक है, निर्यात करने का है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) हांगकांग स्थित हमारे मिशन की मार्फत की गई पूछताछ से पता चला है कि कोयले के केवल दो मुख्य उपभोक्ता हैं जिन में से एक ने अपने वर्तमान संभरणकर्त्ता को 1968 तक के लिये वचन दे रखा है । दूसरी पार्टी को हमारी कीमतें तथा नमूने बता दिये गये हैं । सूचना मिली है कि उसने अभी तक अपनी आवश्यकताओं को अन्तिम रूप नहीं दिया है । सिंगापुर के मामले, हमारे नान-कोकिंग कोयले के चुने हुए वर्ग की कुछ माँग हो सकती है परन्तु इस बात का तभी पता चल सकेगा, जब इसकी मांग करने वाली प्रयोजना को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा । धातु तथा खनिज व्यापार निगम ने बर्मा तथा श्रीलंका को कोयला निर्यात करना जारी रखा । इस निगम ने अभी हाल ही में5,000 टन राजहारा कोयला चुका जापान भेजने का आर्डर प्राप्त किया है । जैसा कि पहले कहा जा है इस क्षेत्र के देशों में, जापान को छोड़ कर, कोयले की खफत की काफी गुंजायश नहीं है ।

(ख) कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धि तथा हमारे धातु शोधन उद्योगों की बढ़ती हुई मांग के दृष्टिकोण से निर्यात के लिए फालतू कोकींग कोयला उपलब्ध नहीं है ।

Shortage of X-Ray Plates

2217. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the **Minister of Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government have reduced the quota of X-ray films ;

(b) whether it is a fact that these X-ray films are not being manufactured in India at present ;

(c) whether it is also a fact that they are in short supply in almost all the hospitals; and

(d) if so, whether Government propose to increase the quota ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) No, Sir. In fact, the Import Policy for X-ray films has been progressively liberalised.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

पंजाब में समाज विरोधी तत्वों की गिरफ्तारी

2218. **श्री गुलशन :** **श्री प० ह० भील :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब की वर्तमान सरकार द्वारा जमाखोरों के विरुद्ध अभियान चलाये जाने के समय से पंजाब में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं, और

(ख) इन व्यापारियों के विरुद्ध क्या मुख्य आरोप लगाये गये हैं और सरकार भविष्य में पंजाब में ऐसी प्रवृत्तियों को दबाने के लिये किस प्रकार कार्यवाही करेगी ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह): (क) पजाब में 5 अगस्त तक पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या 958 है। व्यापारियों के समाज विरोधी कार्यों के विरुद्ध यह अभियान 15 जुलाई को आरम्भ किया गया था।

(ख) इन व्यक्तियों के विरुद्ध मुख्य आरोप, उपभोक्ता वस्तुओं को चोर बाज़ार में बेचना, जमाखोरी और मुनाफाखोरी करना तथा अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं में मिलावट करना है। सरकार स्थिति पर ध्यान दिये हुए है और उसका इस समाज विरोधी बुराई को नियन्त्रण में करने के लिये निर्बाध कार्रवाई करने का इरादा है।

Demonstration by Northern Railway Employees

2219. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Railway employees staged a demonstration in front of Baroda House, New Delhi on the 21st July, 1966 ;

(b) if so, the nature of their demands ; and

(c) the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

Translation of Manuals and Forms in Hindi

2220. **Shri Jagdev Singh Siddhanti:** Will the **Minister of Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1678 on the 4th March, 1966 and state:

(a) the number of additional forms and manuals translated by the Hindi Section of Railway Board during the last four months and the number of other forms published in Hindi or in diglot form during the same period ;

(b) the number of such forms and manuals which have been translated into Hindi and are already with the Railway Board but have not been published in Hindi or in diglot form so far ; and

(c) when they are likely to be publihesd ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) 77 forms were standardised into Hindi-English bilingual form during the last four months. Besides, 4 bilingual forms were under print. During the same period, the Railway (Services) Conduct Rules, 1966 and the Railway (Notices of and Inquiries into Accidents) Rules, 1966 were also translated into Hindi.

(b) and (c) The Hindi version of the Railway (Services) Conduct Rules, 1966 has already been circulated to the Railways. The draft translation of the Railway (Notices of and Inquiries into Accidents) Rules, 1966 has been sent to the Ministry of Law for vetting.

77 forms referred to above are also being circulated to Railways, who have instructions that the bilingual forms should be adopted in replacement of the existing corresponding forms, as and when their present stock is exhausted.

पंजाब के लिये जस्ता चढ़ी नालीदार चादरें

2221. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में और 1966-67 में अब तक पंजाब को जस्ता चढ़ी नालीदार चादरों की कुल कितनी आवश्यकता थी ;

(ख) उक्त अवधि में उस राज्य को कितनी ऐसी चादरें आवंटित की गई ; और

(ग) वस्तुत: कितनी चादरें सप्लाई की गई ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): (क) 1965-66 में तथा 1966-67 में अब तक पंजाब को नालीदार जस्तो चादरों की कुल मांग इस प्रकार थी :—

1965-66	58 ,500 टन
1966-67	28,700 टन

(ख) उसी अवधि में उक्त राज्य को आबंटित की गई मात्रा इस प्रकार है :—

1965-66	1510 टन
1966-67	शून्य

(ग) वास्तव में सप्लाई किये गये माल की मात्रा के आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं और बाद में पेश किये जायेंगे ।

मध्य रेलवे में रेल सेवाओं का अस्त-व्यवस्त हो जाना

2222. **श्री दिगे** : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक रेलगाड़ी बन्द कर दिये जाने तथा आम तौर से रेलगाड़ियों के छूटने और पहुँचने में विलम्ब होने के विरोध में 30 जून, 1966 को क्रुद्ध यात्रियों द्वारा धरना

दिये जाने तथा पत्थर फैंके जाने के कारण, मध्य रेलवे में उपनगरीय बिजली चालित रेल सेवाएं चार घंटे से अधिक समय तक अस्त-व्यस्त रहीं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी हां। थाना स्टेशन पर कांटों में खराबी हो जाने के कारण थाना आने-जाने वाली उपनगरीय गाड़ियां उस दिन 20 से 30 मिनट तक देर से चल रही थीं। नं० सी 45 बम्बई वी० टी०-कुर्ला स्थानीय गाड़ी का रेक 14.26 बजे कुर्ला पहुँच गया था। लेकिन इस रेक को मरम्मत के लिए कुर्ला कार शेड में भेजना जरूरी था। उपर्युक्त गाड़ी के बदले वापस आने वाली नं० सी 44 गाड़ी के लिए एक अन्य रेक की व्यवस्था कर दी गयी, जिसके छूटने का समय 14.33 था। इस बात की घोषणा भी कर दी गयी। उपनगरीय गाड़ियों से चलने वाले जो यात्री कुर्ला स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने नं०सी 45 गाड़ी के रेक को कुर्ला कार शेड में न जाने दिया। कुछ और यात्रियों ने नं० टी 66 लोकल गाड़ी को कुर्ला में दाखिल नहीं होने दिया और कुछ अन्य यात्री पत्थर बरसाने लगे। रेलवे और पुलिस प्राधिकारियों ने लगभग 16.30 तक स्थिति पर काबू पा लिया। लेकिन माटुंगा सिवोन और कुर्ला-चूनाभट्टी खण्डों पर क्रमश: लगभग 17.15 और 17.33 पर नये सिरे से उपद्रव शुरू हो गया। लगभग 18.15 पर स्थिति पर पूरा काबू पा लिया गया और लगभग 19.00 पर गाड़ियों का सामान्य रूप से आना-जाना शुरू हो गया।

(ख) उपनगरीय गाड़ियां समय पर चलें और अपरिहार्य स्थिति पैदा होने पर गाड़ियों का चालन कम से कम रद्द किया जाय, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए सुरक्षा-सम्बन्धी उपाय भी किये गये हैं।

रेलवे सुरक्षा सप्ताह

2223. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री दिगे :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने देश में सुरक्षा सप्ताह मनाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या उद्देश्य था ; और

(ग) उसका क्या फल मिला हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां। रेलों में 4 जुलाई से 10 जुलाई, 1966 तक संरक्षा सप्ताह मनाया गया।

(ख) संरक्षा सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि गाड़ियों के संचालन से सम्बद्ध सभी वर्गों के रेल कर्मचारियों में संरक्षा के प्रति जागरुकता उत्पन्न हो।

(ग) इस अभियान से रेल कर्मचारी संरक्षा के प्रति सजग हो गये हैं और उनमें कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करने की भावना जागृत हुई है।

कोयला परिषद् की संसाधन निर्धारण समिति

2224. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला परिषद् को संसाधन निर्धारण सिमिति द्वारा तीन कोयला क्षेत्रों के सम्बन्ध में तीन वर्ष पूर्व प्रस्तुत किए गये अपने प्रतिवेदनों में दर्शाई गई स्थिति का विश्लेषण सरकार ने कर लिया है ।

(ख) शेष कोयला क्षेत्रों के सम्बन्ध में अध्ययन कार्य पूरा करने में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) अच्छी खानों से अधिक मात्रा में कोयला निकाला जाये इसके लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) हां, महोदय ।

(ख) समिति ने बाद में पश्चिमी बोकारो, रायगढ़ और गिरिदीह खानों के निर्धारण कार्य को पूरा कर लिया है । यह रिपोर्ट अभी छपी नहीं है। दक्षिणी और उत्तरी करनपुरा कोयला खानों का प्रारंभिक निर्धारण कार्य प्रगति पर है ।

(ग) स्त्रोतों की विशेषताओं के अनुरूप कोयले के मात्रात्मक विदोहन के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं ;

(1) फुएल एफिशियेंसी कमेटी के द्वारा निर्धारित नापदंड के अनुरूप क्षेत्रीय एवं श्रेणीवार आवश्यकताओं के आधार पर कोयले के उत्पादन को नियोजित किया जा रहा है ।

(2) मुख्य कोकिंग कोयले की सीमित स्त्रोत के संरक्षण के लिये नेटालजिकल कोल के उपभोक्ताओं को कहा गया है कि वे मुख्य कोकिंग कोयले, मध्य क्षेणी कोकिंग कोयले और अर्थ कोकिंग कोयले या ब्लेंडेबिल कोयले का मिश्रण प्रयोग में लायें । उत्स्फरण भट्ठी में तकनीकी उन्नति के तरीके इस्तेमाल करके भट्टियों में कोल की दर को कम करने के और उपाय किये जा रहे हैं ।

(3) कोकिंग कोयले तथा ब्लेडेविल कोयले के प्रतिशोधन के लिये धावनशालाएं स्थापित की जा रही है ।

(4) कोकिंग कोयले तथा उत्तम श्रेणी के नान-कोकिंग कोयले के अधिकतम निष्कासन के लिये भरण का कार्य शुरू किया गया है ।

(5) नये ऊष्म शक्ति केन्द्रों के वाष्पित्रों को इस प्रकार का बनाया जा रहा है कि उनमें नीची श्रेणी का नान-कोकिंग कोयला और धावनशाला उप-पदार्थों को जलाया जा सके ।

तेनाली और रेपल्ली के बीच रेलवे लाइन

2225. **श्री म० ना० स्वामी** : **श्री उमा नाथ** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुंटूर- रेपल्ली सैक्शन पर तेनाली और रेपल्ली के बीच फिर से रेलवे लाइन बिछाने के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत कितनी है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री शाम नाथ): (क) इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन धन उपलब्ध होने पर चौथी योजना की अवधि में इस खंड पर फिर से पटरी बिछाने का काम शुरू करने का विचार है।

(ख) लगभग 39.90 लाख रुपये।

टसर रेशम जांच समिति

2226. **श्री ह० च० सोय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टसर रेशम जांच समिति की सिफारिशों पर सरकार तथा बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : टसर रेशम का और अधिक उत्पादन करने और टसर उद्योग के विकास के लिये वर्तमान योजनाओं के कार्यचालन को समीक्षा करने के लिये भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री एस० वी० रामस्वामी की अध्यक्षता में जून 1965 में एक टसर रेशम समिति बनायी थी। समिति ने अपने प्रतिवेदन में अनेक सिफारिशें की है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड और टसर उत्पादक विभिन्न राज्यों जिनमें बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश भी शामिल हैं, के विचार प्राप्त कर लिये गये हैं। राज्यों ने प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों का सामान्यतः स्वागत किया है। सरकार द्वारा अब प्रतिवेदन पर सक्रिय विचार किया जा रहा है।

नई बड़ी (ब्राडगेज) रेलवे लाइनें

2227. **श्री लोनीकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औरंगाबाद-शोलापुर नई बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण तथा मनमाड-मुदखैर मीटर गेंज लाईन का बड़ी (ब्राडगेज) लाईन में परिवर्तन चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने उपरोक्त योजनाओं को प्राथमिकता देने की सिफारिश की है और क्या मराठवाड़ा विकास सम्मेलन ने भी एक संकल्प द्वारा ऐसी सिफारिश की है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में महाराष्ट्र राज्य में अन्य कौन सी नई, रेलवे लाइनें और छोटी (नैरो) लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने की योजनाएं हाथ में ली जायेंगी ?

रेलवे मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार और मराठवाड़ा विकास समिति ने औरंगाबाद-शोलापुर के बीच नयी बड़ी लाइन के निर्माण और मनमाड-मुडखेड मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के काम को प्राथमिकता के आधार पर चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की सिफ़ारिश की है लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए नयी लाइनों के निर्माण तथा आमान परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्तावों को योजना आयोग के परामर्श से अभी अन्तिम रूप देना बाकी है। चूंकि इस काम के लिए उपलब्ध रकम और साधन बहुत सीमित हैं, इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना में नयी लाइनों के निर्माण /

आमान-परिवर्तन के काम बहुत सीमित पैमाने पर होंगे और उन्हें खनन-सम्बधी, औद्योगिक अथवा बन्दरगाहों के विकास की बड़ी योजनाओं से सम्बद्ध करना होगा। ऐसी स्थिति में जिन प्रस्तावों का सुझाव दिया गया है उन्हें चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए सम्भवत: पर्याप्त प्राथमिकता नहीं मिल सकेगी।

रेलवे में मितव्ययिता

2228. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यय में अधिक से अधिक मितव्ययिता करने तथा उसके साथ-साथ रेलवे के वर्तमान संसाधनों का उपयोग करने के मार्गोपायों के बारे में जोनल रेलों और उत्पादन एककों के महाप्रबन्धकों (जनरल मैनेजरों) की हाल ही में नई दिल्ली में रेलवे बोर्ड के साथ हुई बैठक में विचार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो मितव्ययिता के उपायों का ब्यौरा क्या है और उनको कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) जुलाई, 66 में महाप्रबन्धकों की रेलवे बोर्ड के साथ हुई बैठक में खर्च में बचत करने के प्रश्न पर केवल सामान्य रूप से विचार विमर्श किया गया था। वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए अधिक बचत करने के उपाय और साधन ढूंढने के लिए क्या विशेष कदम उठाये जांय, इस पर यह मंत्रालय विस्तृत रूप से विचार कर रहा है।

Clash at Dhubulia Railway Station

2229. **Shri Bade:** **Shri Sonavane:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya: **Shri Y. D. Singh:**

Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that ten Policemen sustained injuries in a scuffle while they were recovering rice from smugglers in a Railway compartment at Dhubulia Station as reported in the "Hindustan" dated the 6th July, 1966 ;

(b) if so, the details of the scuffle and the quantity of rice recovered ; and

(c) the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) The correct position is that the incident occurred on 4-7-66, in which 2 Sub-Inspectors and 5 Constables of the Government Railway Police and 10 members of the West Bengal National Volunteer Force were injured.

(b) and (c) On 4-7-66 while the Sub-Inspector, Government Railway Police along with Government Railway Police Constables and 10 West Bengal National Volunteer Force persons were on rummaging duty, they could seize 13.33 Kg. of rice from 362 Dn. and 364 Dn. trains at Bethuadahari and Muragachha on the same date and they loaded all the rice bags in the third class compartment No. GT 3745 attached to 364 Dn. with a view to depositing the seized rice bags at Ranaghat Government Railway Police Station. On arrival of the train at Dhubulia Station, a mob consisting of about 300 attacked the Police party. They pulled the alarm chain, pelted stones on the police party. The mob broke the door and some windows of the compartment, assaulted the Police party and took away all the rice bags. On hearing of the incident,

a village Doctor Kumud Banerjee came to the Station with his licensed gun and opened three rounds blank fire, as a result of which the major portion of the mob dispersed. Later the local armed Police arrived on the spot and arrested 7 miscreants. The train suffered a detention of about 75 minutes. The Government Railway Police Ranaghat registered Case No. 2 dated 5-7-66 under Sections 147/148/332/337/379 IPC and 108/127 Indian Railways Act.

Preference registers for transfer in the Railway Accounts Department

2230. **Shri Bade:** **Shri Sonavane:**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: **Shri Y. D. Singh:**

Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 'preference registers' are maintained in Railway Accounts Department for 'transfer on request' of its employees and employees are transferred from one station to another on that basis ;

(b) whether "local transfers on request" are also effected on that basis ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes, on most of the Railways.

(b) and (c) This is done on some of the Railways while on others each case is considered on merit, keeping in view the administrative interest.

Semi-Skilled Workers in Allahabad Division of Northern Railway

2231. **Shri Sonavane:** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**

Shri Bade: **Shri Y. D. Singh:**

Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the semi-skilled workers (Railway Electricfication) of the Carriage Department of the Allahabad Division of Northern Railway who were required for the post of fitter, are now being called for the post of B. T. fitter and are being asked to declare to forego their seniority ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Stoppage of Train Near Dabhoda Station

2232. **Shri Y. D. Singh:** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**

Shri Bade: **Shri Sonavane:**

Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 70 persons were held up for stopping a train 20 miles away from Dabhoda Railway Station, Western Railway, as reported in the Indian Express, dated the 11th July, 1966 ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) 151 persons (and not 70) were arrested on 10-7-66.

(b) The demand was for change of the timings of train Nos. 239 Up and 240 Down.

(c) Adequate Government Railway Police and Railway Protection Force arrangements were made to control the situation.

Accident at Chetput Station near Madras

2233. **Shri Sonavane:** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**

Shri Bade: **Shri Y. D. Singh:**

Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that three persons lost their lives at Chetpur Railway Station near Madras as reported in the "Hindustan", dated the 7th July, 1966 ;

(b) if so, the causes of the accident ; and

(c) the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) On 6-7-66 two Khalasis engaged by the Railway were killed between Chetput and Nungambakkam stations and one sustained injuries, as a result of being knocked over by an electric suburban train.

(b) and (c) The matter is under investigation.

त्रिपुरा में उद्योग

2234. **श्री दशरथ देव :** **श्री बीरेन दत्त :**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में त्रिपुरा में उद्योगों की स्थापना के लिये कितने लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) वर्ष 1966-67 में कौन-कौन से उद्योगों की स्थापना का विचार है ; और

(ग) इन में से प्रत्येक उद्योग को आरम्भ करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) 1965-66 में कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया था ।

(ख) त्रिपुरा वार्षिक योजना 1966-67 में निम्नलिखित उद्योग सम्मलित किए गए हैं ।

(1) कताई मिल ।

(2) गत्ते का कारखाना ।

(3) बायो गैस का कारखाना ।

(4) डिब्बा बंद फलों का एक कारखाना ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा उसे यथा शीघ्र सदन की मेज पर रख दिया जायगा ।

धर्मनगर तथा अगरतला के बीच रेलवे लाइन

2235. **श्री दशरथ देव :** **श्री बीरेन दत्त :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा की विधान सभा ने त्रिपुरा में धर्मनगर से अगरतला तक रेलवे लाइन बढ़ाये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) त्रिपुरा में रेल संचार सुविधाओं को अगरतला से धर्मनगर तक बढ़ाने के बारे में अभी तक त्रिपुरा विधान सभा से कोई विशिष्ट प्रार्थना नहीं मिली है। लेकिन त्रिपुरा सरकार कलकलीघाट-धर्मनगर लाइन को त्रिपुरा तक बढ़ाने के लिए निवेदन करती आ रही है। योजना आयोग ने असम और समूचे पूर्वी क्षेत्र का परिवहन सर्वेक्षण करने की व्यवस्था की है। इसलिए योजना आयोग के अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर ही इस क्षेत्र में नयी लाइनों का निर्माण किया जा सकेगा और चौथी योजना में नयी लाइनों के लिए उपलब्ध अत्यधिक सीमित धन को ध्यान में रखकर इन पर विचार किया जा सकेगा।

सहकारी औद्योगिक बस्तियां

2236. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में स्थापित सहकारी औद्योगिक बस्तियां कितनी हैं और उनके नाम तथा पते क्या-क्या हैं ;

(ख) क्या ऐसी समितियों के लिये कोई आदेश उप-नियम हैं और ये समितियां इनमें कितनी रूप-भेद कर सकती हैं ;

(ग) इन समितियों के सदस्य बनाने के लिये क्या-क्या शर्तें हैं ; और

(घ) क्या सदस्यता की शर्तों में ढील के किन्हीं मामलों का सरकार को पता चला है और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन से सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा के लिये लोहे की नालीदार चादरें

2237. **श्री दशरथ देव :** **श्री बीरेन दत्त :**

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में त्रिपुरा सरकार ने लोहे की कितनी नालीदार चादरों की मांग की थी और कितनी चादरें उसे दी गईं ; और

(ख) त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र की कुल आवश्यकता को पुरी करने लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

लोहा और इस्पात मन्त्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) तीसरी पंचवर्षीय अवधि में त्रिपुरा सरकार की लोहे की नालीदार चादरों की कुल मांग और उसको सप्लाई की गई चादरों की कुल मात्रा निम्नलिखित हैं :—

मांग	18015 टन
सप्लाई	1869 टन

(ख) मुख्य उत्पादकों के पास पिछले बहुत से आर्डर बाकी रहने के कारण 1963-64 से लेकर स्टेट्स पूल्ड कोटे के अन्तर्गत त्रिपुरा राज्य को, सच तो यह है कि किसी भी अन्य राज्य को,

नालीदार जस्ती चादरों का कोई सामान्य आबंटन नहीं किया गया है। यद्यपि कोई नया आबंटन नहीं किया गया फिर भी यथा संभव मात्रा में भिन्न भिन्न कोटों के अन्तर्गत पहले के आर्डरों पर माल सप्लाई किया गया। क्योंकि जस्ते की कमी के कारण जस्ती चादरों की बड़ी कमी है इसलिए राज्यों की मांग बहुत कम मात्रा में ही पूरी की जा सकती है। फिर भी यदि सम्बन्धित सरकार चाहें और माल उपलब्ध हो तो जस्ती चादरों की बजाए काली चादर सप्लाई कर दी जाती है।

फोरमैन और चार्जमैन के वेतन-क्रम

2238. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में काम करने वाले फोरमैन/चार्जमैन तथा अन्य सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले फोरमैन/चार्जमैन के वेतन-क्रमों में बहुत असमानता है ;

(ख) क्या यह सच है कि अन्य सरकारी उपक्रमों के तकनीकी पर्यवेक्षकों (सुपरवाइजर) की अपेक्षा रेलवे के तकनीकी पर्यवेक्षकों को अधिक कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करना पड़ता है और अधिक उत्तरदायित्व वहन करना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ख) सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशी व्यापार में कमी

2239. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुपये के अवमूल्यन के कारण विदेशी व्यापार में वृद्धि होने की बजाय भारी कमी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) निर्यात पर अवमूल्यन के अनुप्रभाव का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता। इसका पता कुछ समय बाद लगेगा जब कि जून, 1966 और परवर्ती महीनों के लिये भारत के विदेशी व्यापार के आंकड़े उपलब्ध होंगे। फिर भी, व्यापार के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिये सरकार, सभी आवश्यक सक्रिय कदम उठा रही है।

Concrete Sleepers

2240. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Railway Board have started work on the setting up of a factory in Bihar for the manufacture of concrete sleepers ; and

(b) if so, the number of sleepers which would be manufactured yearly ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) No, but there is a proposal to set up a Concrete sleeper Factory in a convenient location somewhere on the Eastern Railway.

(b) The annual production of this factory is expected to be 1.5 lakh sleepers.

चौथी योजना में केरल में नई रेलवे लाइनें

2241. **श्री पोट्टेकाट्ट :** **श्री प० कुन्हन :**

श्री अ० व० राघवन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने चौथी योजना अवधि में केरल में नई रेलवे लाइनें बिछाने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कौन सी नई लाइनें बिछाई जायंगी ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मन्त्री(श्री शाम नाथ): (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में नयी लाइनों के निर्माण के प्रस्तावों को योजना आयोग के परामर्श से अभी अन्तिम रुप दिया जाना है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

चंडिल स्टेशन पर जलपान की व्यवस्था

2242. **श्री ह० च० सोय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना जंकशन से टाटानगर तक जाने वाली साउथ बिहार एक्स-प्रेस गाड़ी के यात्रियों के लिये चंडिल अथवा अन्य स्टेशनों पर गाड़ी के कुछ मिनट तक रुकने के बावजूद भी उन स्टेशनों पर सायंकाल के जलपान की व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चंडिल स्टेशन की कैन्टीन के लिये अच्छे रेलवे शेड की व्यवस्था नहीं है और यह कैन्टीन प्लेटफार्म से नीचे दो फुट गहरे गड्ढे में है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) टाटानगर जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस पटना से 21.25 बजे छूटती है और चाण्डिल जंकशन पर सुबह 7.11 बजे पहुंचती है । यह गाड़ी मुख्यत: रात में चलती है । चाण्डिल स्टेशन पर यह गाड़ी आठ मिनट रुकती है । यहां एक सामिष भोजनालय और एक शाकाहारी चाय की दुकान की व्यवस्था है, जहां यात्री सुबह का नाश्ता कर सकते हैं । यात्री पुर्लिया में भी (सुबह 5.58 से 6.10 बजे तक) सुबह का नाश्ता कर सकते हैं, जहां एक शाकाहारी और एक सामिष चाय की दुकाने हैं । चाण्डिल स्टेशन के 'अप' प्लेटफार्म पर भोजनालय और शाकाहारी चाय की दुकान के लिए मानक स्थान की व्यवस्था की गयी है । नव-निर्मित द्वीप प्लेटफार्म पर जिसकी सतह पहले अप प्लेटफार्म से नीची थी, चाय की एक अस्थायी दुकान की व्यवस्था की गयी है । द्वीप प्लेटफार्म की सतह को ऊंचा कर दिया गया है और चाय-दुकान की सतह को ऊंचा करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

ओलवक्कोड डिवीजन के रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाना

2243. **श्री प० कुन्हन :** **श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **रेलवे** मंत्री 18 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2395 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के ओलववकोड डिवीजन में शेष 64 स्टेशनों पर बिजली लगाने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख) चालू वर्ष में बाकी 64 स्टेशनों में से 4 अन्य स्टेशनों पर बिजली लगाने का विचार है। धन उपलब्ध होने और स्टेशनों पर उचित दर से बिजली मिलने पर स्टेशनों पर बिजली लगाने का काम एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है जिसकी सिफारिश रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति द्वारा की जाती है।

पालघाट में सूक्ष्म औजार बनाने का कारखाना

2244. **श्री प० कुन्हन :** **श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **उद्योग** मंत्री 11 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1964 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालघाट में सूक्ष्म औजार बनाने के प्रस्तावित कारखाने का निर्माण कार्य चालू वर्ष के दौरान आरम्भ करने के सम्बन्ध में सरकार ने अनुदेश दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने धन की व्यवस्था की गई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना के निर्माण कार्य को चौथी योजना की अवधि में पूरा करने का है ; और

(घ) इस कारखाने में कब से उत्पादन होने लगेगा ?

उद्योग मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) पालघाट में औजार बनाने का कारखाना स्थापित किये जाने के बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिये स्वीकृति दे दी गयी है और चालू वर्ष में कार्य आरम्भ करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

(ख) 1966-67 के लिए 30 लाख रु०।

(ग) जी, हां।

(घ) 1968 के अंत तक।

परलि स्टेशन पर ऊपरी पुल

2245. **श्री प० कुन्हन :** **श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में ओलवक्कोट डिवीजन के पालघाट जिले में परलि रेलवे स्टेशन पर रेल एवं सड़क पारपथ के ऊपर एक ऊपरी पुल बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितनी धन राशि मंजूर की गई है;

(ग) क्या यह कार्य आरम्भ कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) इस काम की अनुमानित लागत लगभग 2.19 लाख रुपये है। इस काम के खर्च का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और जैसे ही उस पर राज्य सरकार की स्वीकृति मिल जायेगी और उसके बाद काम पूरा करने के लिए राज्य सरकार अपने हिस्से के खर्च की रकम दे देगी, यह काम शुरू कर दिया जायेगा।

आयात तथा निर्यात विनियम

2246. **श्री धुलेश्वर मीना : श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को मार्च, 1966 में आयात तथा निर्यात विनियम के उल्लंघन के कितने मामलों की सूचना मिली है ; और

(ख) इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मानुभाई शाह) : (क) 51.

(ख) 16 मामले समाप्त कर दिये गये हैं क्योंकि उनमें किसी अतिक्रमण की स्थापना नहीं हो सकी। 6 मामलों में फर्मों को चेतावनी दी गयी है या उन्हें निर्दिष्ट अवधि के लिये आयात/-नियति लाइसेंस प्राप्त करने से वंचित किया गया है। शेष 29 मामलों में जांच जारी है।

व्यापार सन्तुलन

2247. **श्री धुलेश्वर मीना : श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1966 की पहली दो तिमाहियों में व्यापार सन्तुलन की स्थिति क्या थी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : 1966 की पहली दो तिमाहियों में व्यापार सन्तुलन की स्थिति इस प्रकार है :—

	1966 की पहली तिमाही (जनवरी-मार्च) (करोड़ रु०)	1966 की दूसरी तिमाही (अप्रैल-मई तक ही) (करोड़ रु०)
आयात	344.55	227.48
निर्यात जिसमें पुनर्निर्यात भी शामिल है।	200.00	127.71
व्यापार सन्तुलन	- 136.53	- 99·77

(जून 1966 के अन्तिम आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं)

व्यापार प्रतिनिधि मंडल

2248. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री रामचन्द उलाका :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1966 में कितने विदेशी व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत में आये और कितने भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल विदेशों में गये, और

(ख) उक्त अवधि में किन किन देशों के साथ व्यापार सम्बन्धी करार किये गये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) मार्च 1966 में तीन विदेशी व्यापार प्रतिनिधि मण्डल भारत आये और दो भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मण्डल विदेशों में गये ।

(ख) अर्जेण्टाइना । यूगोस्लाविया के साथ भी एक संलेख पर हस्ताक्षर किये गये ।

रेशम का आयात

2249. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1966 में भारत में कुल कितना तथा कितने मूल्य का रेशम आयात किया गया ; और

(ख) उक्त अवधि में उस पर कुल कितना शुल्क वसूल किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) 6,590 कि०ग्रा० कच्चा रेशम जिसका मूल्य 5.37 लाख रु० था ।

(ख) 4.04 लाख रु० ।

राजस्थान में औद्योगिक सहकारी समितियां

2250. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून, 1966 को राजस्थान में कितनी औद्योगिक सहकारी समितियां चल रही थी और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी थी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : राज्य सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

भिलाई इस्पात कारखाने के अराजपत्रित कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति

2251. **डा० चन्द्रभान सिंह** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1966 के पश्चात भिलाई इस्पात कारखाने में कितने अराजपत्रित कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं और उसके क्या कारण है ;

(ख) क्या उन व्यक्तियों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं जिनकी भूमि को इस परियोजना की स्थापना के निमित अर्जित किया गया था और यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति है ; और

(ग) क्या सरकार को उन लिखित आश्वासनों का पता है जो इस परियोजना के आरम्भ

में ही इसके अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये थे कि जिन लोगों की भूमि अर्जित की गई है उन्हें किसी न किसी रूप में स्थायी रोजगार दिया जायेगा और यदि हां, तो सरकार ने इस आश्वासन के प्रतिकूल कार्यवाही किन कारणों से की है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) 1-4-1966 के बाद दूसरी नौकरियां मिलने पर अप्रशासनिक कार्यों में लगे हुये 47 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं ।

(ख) इन कर्मचारियों में कोई भी कर्मचारी भिलाई इस्पात प्रायोजना के लिए ली गई भूमि का विस्थापित व्यक्ति नहीं था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भिलाई इस्पात कारखाने के राजपत्रित अधिकारी

2252. **डा० चन्द्रभान सिंह** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात कारखाने के संचालन पक्ष (आपरेशनल साइड) तथा निर्माण पक्ष (कन्स्ट्रक्शन साइड) में कितने राजपत्रित अधिकारी है ; और

(ख) कितने व्यक्ति संचालन पक्ष से निर्माण पक्ष में स्थानान्तरित किये गये हैं और उसके क्या कारण है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) भिलाई इस्पात प्रायोजना के संचालन पक्ष में 1105 कार्यकारी अधिकारी हैं और निर्माण पक्ष में 340 कार्यकारी अधिकारी है । संचालन पक्ष के कार्यकारी अधिकरी स्थायी सिव्बन्दी के है न जबकि निर्माण पक्ष के कार्यकारी अधिकारियों के साथ विशिष्ट अवधियों के लिए इकरारनामें हैं ।

(ख) निर्माण पक्ष की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक यान्त्रिक इंजीनियर को संचालन पक्ष से लोन पर लिया गया था । जिससे और उसे संचालन पक्ष को वापिस भेज दिया गया है । दूसरी ओर 96 कार्यकारी अधिकारियों को निर्माण पक्ष संचालन पक्ष में स्थानान्तरित किया जा रहा है ।

रेलवे बोर्ड में क्लर्क

2253. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड में काम करने वाले अनेक क्लर्कों को जोनल रेलों में स्थानान्तरित कर के वापस भेजने के आदेश दिये गये हैं और यदि हां, तो ऐसे कितने क्लर्क हैं तथा ऐसा किन कारणों से किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड में क्लार्कों के रिक्त स्थान संघ लोक सेवा आयोग के जरिये जोनल रेलों में काम करने वाले क्लर्कों तथा स्थानीय उम्मीदवारों में से विधिवत् व्यक्ति छांटकर भरे गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनको नियमित करने के बारे में उनके मंत्रालय के निश्चित आदेश हैं और क्या संघ लोक सेवा आयोग ने भी इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये हैं, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेलवे बोर्ड के छः लोअर डीवीज़न क्लर्क पहले ही अपने मूल कार्यालयों को परावर्तित किये जा चुके हैं और 31-8-1966 से 20 अन्य क्लर्क अपने मूल कार्यालयों को परावर्तित किये जा रहे हैं। इन क्लर्कों को अपने-अपने मूल कार्यालयों में ऊंचे वेतन-क्रमों में तरक्की मिलने वाली है, जबकि रेलवे बोर्ड में वे केवल लोअर डिवीज़न क्लर्क बने हुए हैं। रेलों में उनका परावर्तन करना जरूरी है ताकि वे वहां ऊंचे पदों पर, जिन पर उनकी तरक्की होने वाली है, काम करके ऊंची दर पर वेतन प्राप्त कर सकें।

(ख) जी हां, लोअर डिवीज़न क्लर्कों की भर्ती क्षेत्रीय रेलों से आदमी लेकर, संघ लोक सेवा आयोग की क्लर्क ग्रेड परीक्षाओं के आधार पर और स्थानीय रूप से एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के ज़रिये भी की गयी थी। 1964 और 1965 में एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के ज़रिये जो भर्ती की गयी थी, वह अल्पकालिक व्यवस्था के रूप में थी और उसमें यह शर्त थी कि इस प्रकार नियुक्त क्लर्कों की जगह बाद में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किये गये क्लर्क रखे जायेंगे।

(ग) रेलवे बोर्ड में लोअर डिवीज़न क्लर्कों की नियुक्ति रेलवे बोर्ड सचिवालय क्लर्क सेवा योजना के उपबन्धों के अनुसार नियमित की जाती है। यह योजना गृह मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से बनायी गयी है। रेलवे बोर्ड सचिवालय क्लर्क सेवा योजना के जिस उपबन्ध का उल्लेख ऊपर किया गया है वह योजना के पैरा 17 में दिया गया है जो साथ नत्थी है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 6768/66]

बड़ी लाइनें

2254. **श्री पाराशर** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्वालियर को गुना से बड़ी लाइन द्वारा मिलाने तथा इसका सर्वेक्षण कराने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) चौथी योजना में ग्वालियर और गुना के बीच एक और बड़ी लाइन बनाने का कोई विचार नहीं है अतः इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराने का सवाल नहीं उठता। नयी लाइनों के निर्माण के लिए सीमित धन उपलब्ध होने के कारण, चौथी योजना में केवल उन्हीं नयी लाइनों को बनाने का काम हाथ में लिया जा सकेगा जो औद्योगिक, खनन या बन्दरगाह विकास की विशिष्ट योजनाओं से सम्बद्ध हों। इसलिए हो सकता है, इस प्रस्ताव को चौथी योजना में विचार के लिए पर्याप्त रूप से उच्च अग्रता न दी जा सके, खासकर जब झांसी और बीना के रास्ते ग्वालियर से गुना तक पहले ही बड़ी लाइन मौजूद है।

रेलवे में गैंग मैन

2255. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दुर्घटना समिति ने सिफारिश की है कि रेलवे लाइनों की सुरक्षा और देख-रेख के लिए गैंगमैनों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए और उनका कार्य क्षेत्र कम किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश में से कितनी बात स्वीकार की गई है ;

(ग) क्या जोनल रेलों को इस सिफारिस को क्रियान्वित करने के लिये कहा गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस निदेश की क्रियान्विति को स्थिति क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ): (क) जी नहीं। इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड से प्राप्त नवीनतम आदेशों के आधार पर समिति ने केवल इस बात पर विचार किया था कि रेल-पथ गैंग-मैनों की संख्या बढ़ाने से रेल-पथ का अनुरक्षण-स्तर बढ़ाने में विशेष सहायता मिलेगी।

(ख), (ग) और (घ) सवाल नहीं उठता। फिर भी एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर रेल-पथ गैंगमैनों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में रेलों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गयी है और आंशिक रूप से उसे क्रियान्वित भी किया जा चुका है।

कच्चे लोहे का जमा हो जाना

2256. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **लोहा और इस्पात** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न बिकने के कारण कच्चा लोहा भारी मात्रा में जमा हो गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ख) क्या न बिकने वाले कच्चे लोहे का उत्पादन करने की कोई योजना थी ; और

(ग) ऐसे माल के उत्पादन के लिये कौन व्यक्ति जिम्मेवार है और इसके जमा हो जाने के कारण कितनी हानि हुई है ?

लोहा तथा इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): (क) और (ख) उद्योग में व्यापक शिथिलता आ जाने के कारण कच्चे लोहे की मांग कम हो गई है जिससे भिलाई और राउरकेला में कच्चा लोहा कुछ मात्रा में जमा हो गया है। स्लीपरों के लिए रेलवे की कच्चे लोहे की मांग भी कम हो गई है। धमन भट्टियों में कच्चे लोहे का उत्पादन अविरल रूप से होता है। इसलिए एक बार उत्पादन का आयोजन कर लेने पर आर्डरों की प्रत्याशा में इसे जारी रखना पड़ता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे कुली

2257. **श्री लखमू भवानी** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि कुछ रेलवे स्टेशनों पर, जिसमें दिल्ली के स्टेशन भी शामिल हैं, रेलवे के कुछ कुली अच्छी तरह व्यवहार नहीं करते हैं और कभी कभी वे यात्रियों का सामान ले जाने से मना भी कर देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा०राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) जी हां, लाइसेंसदार भारिकों द्वारा अनुचित व्यवहार करने और यात्रियों का सामान ढोने से इन्कार करने के सम्बन्ध में जब-तब शिकायतें मिली हैं।

लाइसेंसदार भारिकों द्वारा परेशान किये जाने के जिन मामलों पर रेल-प्रशासन का ध्यान

दिलाया जाता है, उनकी तुरन्त जांच की जाती है और दोषी भारिकों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है।

जहां तक दिल्ली और नयी दिल्ली स्टेशनों का सम्बन्ध है, इन स्टेशनों से 1 जनवरी से जुलाई, 1966 के अन्त तक इस तरह की 17 शिकायतें मिली हैं। एक मामले में दोषी भारिक को 30 दिन के लिए निलम्बित किया गया और अन्य मामलों में भारिकों को एक दिन से 10 दिन तक की अवधि के लिए निलम्बित किया गया।

इस सम्बन्ध में बराबर पूरा ध्यान दिया जाता रहेगा।

मध्य प्रदेश में उद्योग

2258. **श्री लखमू भवानी :** क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में मध्य प्रदेश से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये कितने आवेदन प्रत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) कितने आवेदन प्रत्र मंजूर किये गये हैं और कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं अथवा नामंजूर कर दिये गये हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) पैंतालीस।

ग्यारह आवेदन पत्र रद्द कर दिये गये हैं तथा इकतीस विचाराधीन हैं, तीन आवेदन पत्र उन वस्तुओं के उत्पादन के बारे में हैं जिन्हें अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया है तथा जिनके लिए अब किसी भी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

Arrest of Profiteers

2259. **Shri Yudhvir Singh:** **Shri Omkar Singh:**
Shri Bade: **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**

Will the **Minister of Commerce** be pleased to state:

(a) the total number of profiteers arrested so far in the country, State-wise ; and

(b) the action taken against them ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): **(a) and (b)** A statement containing the available information is attached.

(Placed in Library. See No. LT 6768/66).

खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली

2260. **श्री बड़े :** **श्री तु० राम :**
श्री मधु लिमये : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री योगेन्द्र झा :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली मिलावट वाला मधु बेच रहा है,

(ख) क्या सरकार को सरसों के तेल के बारे में भी ऐसी ही शिकायत मिली है, और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य उप-मन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग) मिलावट वाले शहद या सरसों के तेल की बिक्री के सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है। फिर भी, चूंकि खादी ग्रामोद्योग भवन द्वारा बेचे गये शहद के नमूने का विश्लेषण करने पर रेसमें 4 8 प्रतिशत शर्करा की कमी पायी गयी थी, पता चला है कि नई दिल्ली नगर पालिका, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम के अन्तर्गत भवन पर अभियोग चला रही है और मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

वित्त मंत्री के विरुद्ध श्री मधु लिमये के विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE : QUESTION OF PRIVILEGE BY SHRI MADHU LIMAYE AGAINST THE MINISTER OF FINANCE.

अध्यक्ष महोदय : 29 जुलाई, 1966 को श्री मधु लिमये ने वित्त मन्त्री, श्री शचीन्द्र चौधरी के विरुद्ध विशेषाधिकार का मामला उठाने की सूचना दी थी। 2 अगस्त, 1966 को यह प्रश्न उठाते हुए कहा था कि उन्होंने सभा को जान बूझ कर गुमराह किया है। पहले तो मन्त्री महोदय ने यह धारणा उत्पन्न की थी कि लोक-लेखा समिति श्री बूथलिंगम के सम्बन्ध में अपने पचासवें प्रतिवेदन में की गई टीका-टिप्पणी पर सरकार द्वारा दिये गये उत्तर पर एक विशेष बैठक में विचार करेंगी। और अपने निष्कर्ष सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी। अगले दिन लोक-लेखा समिति के सभापति ने इस बात का खंडन किया कि ऐसी कोई प्रार्थना की गई है अथवा समिति इस सम्बन्ध में तथा प्रतिवेदन देगी। दूसरे वित्त मन्त्री ने एक सुनिश्चित प्रथा भंग की है और उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यह बताने का प्रयत्न किया है कि श्री बूथलिंगम पर समिति द्वारा लगाये गये आरोप गलत हैं। उन्होंने राज्य सभा में सरकार के उस उत्तर का उल्लेख भी किया जो सरकार ने श्री बूथलिंगम पर समिति द्वारा लगाये गये आरोपों के बारे में तैयार किया था।

माननीय वित्त मन्त्री ने श्री मधु लिमये द्वारा 5 अगस्त को उठाये गये प्रश्न का उत्तर दिया और कहा कि विशेषाधिकार का यह प्रस्ताव एक गलतफहमी पर आधारित है। यह गलतफहमी 27 जुलाई, 1966 को सभा में पैदा हुई थी जब ब्रानेल्स में यूरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटी में श्री बूथलिंगम की नियुक्ति के बारे में ध्यान दिलाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। सभा को किसी भी समय गुमराह किये जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

सभा की कार्यवाही से यह पता चलता है कि मन्त्री महोदय के 27 जुलाई को सभा में यह कहा था कि सरकार ने लोक-लेखा समिति को अपना उत्तर भेज दिया है और श्री बूथलिंगम की ब्रानेसेल्स में नियुक्ति का प्रश्न तब तक नहीं उठता जब तक समिति अपना निर्णय सभा के समक्ष नहीं रखती। लोक-लेखा समिति के सभापति ने 28 जुलाई को बताया था कि टिप्पणियाँ प्राप्त हो चुकी हैं और समिति उन पर सामान्य रूप से विचार करेगी। उन दोनों वक्तव्यों में किसी प्रकार की परस्पर विरोधी बात नहीं है। आगे चूंकि समिति केवल सभा तथा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए सरकार के कहने पर कोई विशेष बैठक बुलाने का प्रश्न उत्पन्न नही होता। इसलिये यह कहा नहीं जा सकता कि वित्त मंत्री ने निराधार आशायें दिलायी थी कि वह शीघ्र ही श्री बूथ-

लिंगम के मामले में विशेष प्रतिवेदन देगी । उस कारण, विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं मिल सकती ।

लोक-लेखा समिति की सिफारिशों के बारे में उठाये गये अन्य प्रश्नों के बारे में, जिनके बारे में 8 अगस्त को श्री मधु लिमये ने बाद में मुझको लिखा था, विशेषाधिकार भंग किये जाने का प्रश्न नहीं है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 105 में निर्धारित है । नियमों, परम्पराओं, प्रथाओं के भंग करने तथा विशेषाधिकार के भंग करने में अन्तर है । पहले की प्रथा से अलग चलने की किसी परम्परा को गम्भीर रूप से भंग करना कहा जा सकता है और इसके कारण सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है । तथापि यह विशेषाधिकार भंग के प्रश्न से अलग है ।

सरकार द्वारा लोक-लेखा समिति की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के बारे में सुस्थापित प्रथा है । सरकार जिन मामलों में लोक-लेखा समिति की बात मानने को अथवा उसकी सिफारिश कार्यान्वित करने को तैयार नहीं है, उन मामलों में सम्बन्धित मन्त्रालय अपने विचार समिति के समक्ष रखे । सरकार के मत पर विचार करने के बाद यदि समिति ठीक समझे तो आगे सदन को प्रतिवेदन दे सकती है । हमारी परम्परा इंग्लैंड में 80 वर्ष पूर्व स्थापित की हुई परम्परा पर आधारित है ।

जहाँ तक राज्य-सभा में दिये गये वित्तमन्त्री के वक्तव्यों का सम्बन्ध है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सरकार का वह उत्तर बताया जिसका सम्बन्ध श्री बूथलिंगम के मामले से सम्बन्धित टिप्पणियों से है । सब से अच्छी बात यह होती कि मन्त्री महोदय अपनी पहली स्थिति पर डटे रहते कि वह लोक-लेखा समिति द्वारा सरकार के उत्तर पर विचार कर लेने तथा प्रतिवेदन प्राप्त होने तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहेंगे । इस सभा में अथवा ब्रिटेन में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि इन प्रथाओं को भंग करना विशेषाधिकार का उल्लघंन समझा जाये । इसलिये, इस मामले को विशेषाधिकार के उल्लधंन का मामला मानकर सभा में उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

Shri Madhu Limaye (**Bhagalpur**) : I had raised four points. Two of them have not been touched in your ruling while the other two have been left out.

Mr. Speaker : You send me in writing. I will see to it.

बिहार के मुख्य मन्त्री तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE. QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST THE CHIEF MINISTER OF BIHAR AND OTHERS

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : (बरहामपुर) : मैं श्री बी० के० सहाय, मुख्य मन्त्री, बिहार, श्री जी० एम० दत्त बिहार सरकार के गृह विभाग के ऊपर सचिव, श्री बी० पी० एन० कुमार; डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस, पटना, श्री एस० पी० वर्मा, पटना में बिहार सशस्त्र पुलिस के सार्जेंट; मेजर; श्री उदय प्रताप नारायण सिंह, पटना में बिहार सशस्त्र पुलिस के सार्जेंट तथा बक्सर के सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध अपना तथा श्री मधु लिमये का विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना

चाहता हूँ। 9 अगस्त 1966 को जब मैं तथा श्री मधु लिमये पटना हवाई अड्डे से हवाई जहाज से उतरे तो हम मुख्य मन्त्री के कहने के अनुसार वी० आई० पी० कक्ष में ले जायेंगे और वहाँ हमें $1\frac{1}{2}$ घंटे तक नजरबंद रखा गया और बल प्रयोग द्वारा पटना जाने से रोका गया। हमें एक सार्वजनिक सभा में भाषण देना था तथापि हमें निष्कासन आदेश दिया गया और बिना किसी आरोप के गिरफ्तारी की स्थिति में रखा गया और इस प्रकार सशस्त्र पुलिस की सहायता से हमारे अबाध आने जाने में रुकावट डाली गई। हमारे विरुद्ध किये जाने के बारे में जानकारी अध्यक्ष महोदय को तुरन्त नहीं भेजी गई। हमें पुलिस की गाड़ी में बल पूर्वक बिठाया गया और विमान अड्डे से 85 मील परे बक्सर रेलवे स्टेशन तक ले जाया गया और बक्सर के उपखंड अधिकारी, जो कि वहाँ सशस्त्र दल की टुकड़ी के साथ उपस्थित थे, की सहायता से जबरदस्ती सवारी गाड़ी में बिठा दिया गया।

हवाई अड्डे पर उपस्थित हमारे एक अधिवक्ता मित्र को, जिन्हें हम मुखतारनामा देना चाहते थे कागज पत्रों सहित पुलिस कर्मचारियों ने गिरफ्तार कर लिया। तब हम यह मामला उच्च न्यायालय में न ले जा सकें।

यह संसद का एक सुस्थापित विशेषाधिकार है कि उसे सदन के सत्र के दौरान दांडिक अपराध के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से गिरफ्तार न किया जाये। इसलिये, सभा को इन छः व्यक्तियों के विरुद्ध सदस्यों के विशेषाधिकार को गम्भीर रूप से भंग करने तथा सभा का अवमान करने के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिये, मेरा सुझाव यह है कि यह मामला विशेषाधिकार सम्बन्धी समिति को सौंप दिया जाये और उसका विनिर्णय प्राप्त किया जाये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, Sir, I do not want to go into the details of those happenings. There are eight grounds of this breach of privilege motion which are as follows.

1. Could we be confined to the VIP room or even the airport in the period between the serving of the externment order and the expiry of the period of one and a half hours mentioned in that order?
2. Could they ask us to get into the waiting station wagon by falsely representing to us that they were taking us to the High Court to enable us to challenge the validity of the orders?
3. Could they use physical force to restrain us from getting out of the car and cau e hurt when we were not under arest and, further, when we had not been told what we were being held for and which law has been violated?
4. Could they, again, without putting us under arrest, threaten to dump us in the trai compartment forcibly and push us out of Bihar?
5. Whether they could serve on me an externment order unrestricted in time and space for an indefinite period, applicable to the entire State of Bihar, where my parliamentary constituency happens to be and to whose grievances I am duty bound to attend and secure redressal for these to the best of my ability?
6. Parliamentary democracy presupposes a live and continuous contact between a member and his constituents. Any order that prevents a member from meeting his

constituents will mean complete destruction of the very foundation of parliamentary democracy. It constitutes a flagrant violation of the Privileges of Members and Parliament under article 105.

7. Since there is no time-limit in the order, it means that I cannot even go to my constituency to report on the work done in this session nor can I organise my election campaign there. It would mean depriving me of my effective membership of Parliament which presupposes live conract and constant exchange of views between the member and his constituents. It also destroys the possibility of my re-election from that constituency. This externment and forcibile eviction from Biahr constitutes flagrant obstruction and molestation of a Member in performance of his parliamentary duties and in his journeys from Parliament to his constituency and as such a very grave breach of privilege.

8. After the above was written, I learnt that the lawyer friend, to whom we had given our notices, was whisked away by the police when he tried to enter the lounge to take our signatures on the **vakhalatnama** to enable him to file a petition in the High Court, and kept him in confinement for an hour or so. More importantly, the police seized the notices served on us by them and which we had handed over to the lawyer.

Under Article 105 of the Constitution the privileges of this House and its Members are the same as those of the Members of House of Commons in England. The right of immunity from arrest, obstruction and molestation available to the Members of House of Commons in England are also available to us and those rights have been infringed in this case. We were detained and we were not allowed to move about for one and a half hour. This is the breach of privilege and contempt of the House. There is no instance in the history of Parliament that a member was not allowed to see his voters, who had elected him. The matter may kindly be referred to the committee of Privileges.

श्री म० मो० बनर्जी (कानपुर): संविधान के अनुच्छेद 105 (3) के अन्तर्गत सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार हैं ? श्री त्रिदिब कुमार चौधरी तथा श्री मधु लिमये को पटना जाने से रोका गया (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : यह सब उन्होंने स्वयं बता दिया है ।

श्री म० मो० बनर्जी : यह इस प्रकार का एक ही मामला नहीं है । अहमदाबाद में श्री दी० र० मुकर्जी को ....(**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : हमारा सम्बन्ध केवल इस विशेष मामले से है ।

मैं इन सब बातों से ही प्रभावित होकर कोई निर्णय नहीं कर सकता, मुझे तथ्यों को भी तो देखना है, यदि वह कोई विधि अथवा पूर्व उदाहरण का उल्लेख कर रहे हों तो मैं सुनने को तैयार हूँ ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह तो कार्यपालिका को प्रोत्साहन देने वाली बात है । हम जानते हैं, क्योंकि लाठी चार्ज तो हमें ही सहन करना पड़ता है, आपको नहीं ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्री मान जी, मैं आपका ध्यान अभी हाल दिये गये एक महत्वपूर्ण निर्णय की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूँ । यह निर्णय श्री उमा नाथ के मामले में दिया गया था । इस निर्णय के अनुसार यदि किसी सदस्य को किसी कार्य द्वारा उसके संसदीय कार्य में अवरोध

होता हो। अथवा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में ऐसी स्थिति निर्माण होती हो, तो वह अवमान होगा। श्री उमानाथ का आना जाना त्रूचि की नगरपालिका सीमा में रोका गया था जिससे कि वह संसद सदस्य के रूप में अपना कर्तव्य पालन न कर सके। श्री मधु लिमये को पहले पटना जाना पड़ा और वह फिर अपने चुनाव क्षेत्र मुंगेर गये। यदि उन्हें पटना में गिरफ्तार किया गया था और वह भी विना किसी आरोप के उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं जाने दिया गया। अपने कर्तव्य पालन के राह में रुकावटें पैदा की गई। फिर संसद में आने से रोका गया। यह विशेषाधिकार को भंग करना नहीं तो और क्या है। अतः मेरा कहना है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाय।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): यह बड़ा महत्व पूर्ण मामला है। सदन की गरिमा को कायम रखने का प्रश्न है। हमें सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के सरक्षण की पूरी व्यवस्था करनी है। परन्तु तथ्यों की छान-बीन तो करनी ही है, आरोपों की जाँच करनी है और तथ्थों का पता लगाना है। उसके लिए कुछ समय दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय बुधवार को वक्तव्या दे सकते हैं। उसके पश्चात मै अपना निर्णय दूँगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : मैं निम्नलिखित प्रतियाँ सभा पटल पर रखता हूँ :—

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारण्टी कारपोरेशन लिमिटेड के 1 जनवरी, 1965 से 31 दिसम्बर, 1965 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 6756/66]

लोहा और इस्पात मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : मैं श्री त्रि० ना० सिंह की ओर से हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड के संस्था के ज्ञापन तथा संस्था के अन्तर्नियमों में संशोधनों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ

पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 6757/66]

श्री शफी कुरेशी : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) कपड़ा समिति अधिनियम, 1963 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) कपड़ा समिति (दूसरा संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 23 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 591 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कपड़ा समिति (तीसरा संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 23 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1134 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) ऊपर की मद (3) की (एक) में बताई गई अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०-टी० 6758/66]

लोक-लेखा समिति के 50वें तथा 55वें प्रतिवेदनों के बारे में साक्ष्य तथा प्रलेख

EVIDENCE AND DOCUMENTS RELATING TO FIFTIETH AND FIFTY-FIFTH REPORTS OF P. A. C.

अध्यक्ष महोदय : मैंने सदस्यों की इस प्रार्थना पर विचार किया है कि उन्हें लोक-लेखा समिति के 50वें तथा 55वें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में दी गई गवाही तथा दस्तावेज़ देखने की अनुमति दी जाय । जो सदस्य इन दस्तावेज़ों तथा गवाहियों को देखने के सम्बन्ध में विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे, मैं उन्हें अनुमति दे दूंगा । सदस्यों को इस सूचना को सदन में प्रयोग करने तथा सार्वजनिक रूप में व्यक्त करने की अनुमति नहीं होगी । मैंने यह अनुमति एक विशेष मामलें के कारण दी है । भविष्य में जो मामला उठेगा, उसके गुण दोषों के आधार पर ही फैसला किया जायेगा ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE: MOTION FOR ADJOURNMENT

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैंने आसाम की स्थिति के बारे में स्थगन प्रस्ताव आज भेजा है। उसका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : वह भी उसी विषय पर है ।

16 अगस्त, 1966 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य सम्बन्धी वकतव्य

Statement on Government Business in the Lok Sabha for the week Commencing 16th August, 1966

संचार तथा संसद कार्य मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं 16 अगस्त 1966 से आरंभ होने वाले सप्ताह में, होने वाले सरकारी कार्य की निम्नलिखित रूप में घोषणा करता हूँ :—

(1) सरकारी कार्य को आज की रह गयी कोई शेष मद

(2) सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक 1966 पर विचार और उसका पारित किया जाना

(3) वाणिज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर विचार जिसमें 2 अगस्त 1966 निर्यात शुल्क लगाने के बारे में जारी की गई अधिसूचना की स्वीकृति मांगी गई है ।

(4) अनुपूरक अनुदान की मांगों (सामान्य) 1966-67 पर चर्चा और मतदान

(5) गृह कार्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प जिसमें पंजाब में राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति मांगी गई है ।

(6) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित दिल्ली उच्चन्यायालय विधेयक 1965 को पारित किये जाने पर विचार ।

श्री रंगा (चित्तूर) : सदन के कई पक्ष इस विचार के हैं कि श्री सुब्रह्माण्यम के मामलें पर शीघ्र विचार किया जाय ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : मैं श्री रंगा के वक्तव्य का समर्थन करता हूँ ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैंने आप से निवेदन किया था कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया जाय और उसे इस सप्ताह में पहले ही ले लिया जाय ।

श्री नम्बियार : कल हमने कार्य मन्त्रणा समिति में इस बारे में विशेष रूप से प्रार्थना की थी ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरे विचार में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के प्रतिवेदन पर भी पहले विचार कर लेना चाहिए । उसे इस रूप में ले ही लेना चहिये । लोक सभा के प्राक्कलनों और मांगों पर विचार करने वाली तीन सदस्यीय समिति के प्रतिवेदन पर भी विचार कर लेना चाहिये ।

श्री उमा नाथ : बीड़ी सिगरेट (रोजगार की शर्तें) विधेयक भी इसी सप्ताह में लिया जाना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर इसी सप्ताह विचार किया जाय ।

Shri Gulshan (Bhatinda) : Let me urge that Schedule Caste and Schedule Tribes Commissioners Report be taken up in the next week.

Shri Rameshwaranand (Karnal) : Sir, we may be allowed to take up the matter regarding the problem of Cow Protection.

श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मेरा निवेदन है कि हाल ही में हुई रेलवे दुर्घटनाओं पर विचार किया जाय ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Sir, we must discuss the situation on the Western border in context of Indo-Pak-relations definitely in the next week.

श्री दी० चं० शर्मा : मेरा निवेदन यह है कि पंजाब में राष्ट्रपति का शासन, स्वर्ण नियंत्रण आदेश तथा शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए ।

श्रीमती यशोदा रेड्डी (करनूल) : स्वर्ण नियन्त्रण आदेश को रद्द कराने के बारे में मैं श्री दी० चं० शर्मा के कथन का समर्थन करती हूँ । यह प्रश्न राष्ट्रीय महत्व का है ।

श्री सत्यनारायण सिंह : लोख लेखा समिति के प्रतिवेदन पर हम 22 अगस्त को आरम्भ होने वाले सप्ताह में विचार कर रहे हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मान लो इस बीच प्रधान मंत्री मामला किसी न्यायाधीश को सौंप देती है, तो यह सदन के साथ न्याय की बात नहीं होगी, हम उस पर चर्चा नहीं कर सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो अनुमति दे दी है, अब यह सरकार का काम है, मैं इस दिशा में कुछ नहीं कर सकता । मैं यही कह सकता हूँ कि इस दिशा में शीघ्रता की जानी चाहिए ।

श्री सत्य नारायण सिंह : जहाँ तक स्वर्ण नियन्त्रण आदेश का प्रश्न है मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, तथापि माननीय वित्त मंत्री आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ कहेंगे, संभव है वह उस बारे में भी कुछ कहे ।

श्री स० मो० बनर्जी : उन्हें इस बारे में अपना वक्तव्य देना चाहिए क्योंकि यह मामला राष्ट्रिय महत्व का है ।

श्री सत्य नारायण सिंह : समय उपलब्ध होने पर सर्तकता आयोग के प्रतिवेदन पर भी विचार किया जायेगा । इसे छोड़ देने का हमारा विचार नहीं । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर भी हम विचार करेंगे । पंजाब में राष्ट्रपति शासन पर भी चर्चा होगी । शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन पर अभी सरकार विचार कर रही है । बीड़ी सिगार श्रमिकों के बारे में भी हम इस सत्र के अन्त तक विचार करने में समर्थ हो जायेंगे । यह बात भी मैं अगले शुक्रवार को ही बता सकूँगा कि इस सत्र को कुछ दिनों के लिए बढ़ाया जा रहा है अथवा नहीं ।

खान तथा खनिज मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री से० अ० मेंहदी) : तारांकित प्रश्न संख्या 899 के बारे में जिसका सम्बन्ध भारतीय ब्यूरों आफ माईनर्ज़ का भूतत्वीय भारतीय सर्वेक्षण से था, और जिसका उत्तर 1 अप्रैल 1966 को दिया गया था । श्री प्र० र० चक्रवर्ती ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या इंडियन ब्यूरों आफ माईनज़ एक विभाग रहेगाअथवा दोनों का बिलकुल ही विलय हो जायेगा ? मैंने उत्तर में कहा था कि अभी तो यह एक विभाग ही है । अत: अब मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह एक अलग विभाग है और इसका प्रमुख एक नियन्त्रक है और अब इसका विलय भारतोय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग से करने का नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह एक अप्रैल का प्रश्न है और अब इसका स्पष्टी करण किया जा रहा है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि नियमों के अन्तर्गत ऐसा नहीं हो सकता । क्या इसके कुछ कारण दिये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसके कोई कारण नहीं दिये हैं । यह असाधारण तौर पर वक्तव्य को सुधारा जा रहा है । मेरा निवेदन है कि जब मंत्री महोदय को वक्तव्य दे तो उसका निरीक्षण सम्बद्ध मन्त्रालय द्वारा कर लिया जाना चाहिए ।

श्री से० अ० मेंहदी : मैंने तो जब यह मूल देखी तो मैंने अनुमति लेने की प्रार्थना कर दी थी ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं इस बारे में प्रश्न पूछ सकता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्नों का समय नहीं है ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : अब वित्त मंत्री विधेयक पुन: स्थापित करेंगे ।

श्री हरिविष्णु कामत : यह सरकारी कार्य है, इसे 2. बजे बाद दोपहर लिया जाना चाहिए 2.30 पर नहीं, क्योंकि उस समय गैर सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ हो जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक
CUSTOMS (AMEND MENT) RILL

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : मुझे सीमा-शुल्क अधिनियम , 1962 को आगे संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि सीमा-शुल्क अधिनियम में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये, "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
One Motion Was AdoPted

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूँ ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमा-शुल्क (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य जारी

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ जिनमें लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 71 (1) के अनुसार सीमा शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1966 को कानून बनाने के बारे में कारण बताये गये हैं ।

[पुस्कालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी-6760/66]

देश की आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव जारी
MOTION RE: ECONOMIC SITUATION IN THE COUNTRY

अध्यक्ष महोदय : सभा 26 जुलाई, 1966 को श्री शचीन्द्र चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्मनलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगी :

' देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर चर्चा की जाये ।"

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : कई अवसरों पर जब कि माननीय सदस्यों ने कई मूल्यवान सुझाव दिये मैं उसको सुन नहीं सका फिर भी मैंने उन सुझावों के बारे में अपने आप को पूरी तरह अवगत रखा है ।

मैं अपने उत्तर में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
MR. DEPATY SPEAKER *in the Chair*]

बहुत से लोगों ने यह प्रश्न उठाया है कि अवमूल्यन क्यों आवश्यक हुआ और हमने जो कदम उठाये थे क्या उनसे काम नहीं चल सका ? इसके लिये हमें इसकी पृष्ठभूमि पर भी ध्यान देना होगा तथा देखना होगा कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी । स्वतन्त्रता के बाद देश की आकांक्षा तथा

प्रयत्न यह था कि आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रों में यथाशीघ्र प्रगति की जाये। यह भी महसूस किया गया कि यदि देश को विश्व के अन्य औद्योगिक क्षेत्र में उन्नत देशों के स्तर पर लाना है तो देश में पूंजी का लगाया जाना आवश्यक है। पूंजी लगाते समय केवल इस बात को ही ध्यान में नहीं रखा जा सकता कि पूंजी केपल उसी क्षेत्र में लगाई जाये जहाँ उत्पादन शीघ्र तथा पर्याप्त हो क्योंकि ऐसा करना देश की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं होगा। यदि हमें देश को उन्नत करना है तो पूंजीगत विनियोजना करना होगा।

कभी कभी लक्ष्य प्राप्त करने में असफलता भी होती है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि विनियोजन गलत किया गया था अथवा इससे देश दिवालिया हो गया है।

विभिन्न क्षेत्रों में हमने जो पूंजी लगाई है, यदि हम उसकी ओर देखें तो हम अपनी सफलताओं पर गर्व महसूस कर सकते हैं।

इस सभा में बार बार यह कहा गया है कि कृषि की उपेक्षा की गई है। यद्यपि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ फिर भी गत वर्ष हमें सूखे, सभी ओर अकाल का जो हमें अनुभव हुआ है यदि यह कुछ समय हो जाता तो हम कृषि पर दूसरे तरीके से ही विचार करते।

1950 और 1960 के बीच संतोषजनक प्रगति हुई है। 1962 में चीन ने देश की उत्तरी सीमा पर आक्रमण किया। उसके बाद हमें विकास के साथ साथ प्रतिरक्षा पर भी अधिक ध्यान पड़ा। जैसा कि सब लोग जानते हैं प्रतिरक्षा पर बहुत अधिक खर्च होता है। इसलिये देश को प्रगति के मार्ग पर बढ़ाने के लिये धन प्राप्त करने में कठिनाई होती है। अब प्रश्न यह था कि उन दोनों चीजों को अर्थात् प्रतिरक्षा तथा आर्थिक विकास को किस प्रकार साथ साथ चलायें। सरकार ने इस समस्या पर ध्यान दिया तथा आन्तरिक और उपलब्ध बाह्य संशोधन जुटाने का प्रयत्न किया। प्रत्येक देश ने ऐसा ही किया है जिसको भी हमारी जैसी समस्याओं का सामना था।

सभा में और देश में यह जो डर व्यक्त किया गया है कि देश आर्थिक तौर पर नष्ट होने जा रहा है मैं इससे एक मिनट के लिये भी सहमत नहीं हो सकता। मैं यह सोच कर गर्व महसूस करता हूँ कि हमने सहकारी तथा गैर सहकारी क्षेत्र में ऐसी क्षमता स्थापित कर ली है जोकि देश के लिये निश्चय ही लाभदायक होगी।

1955 में हमारे सामने फिर दो विपत्तियां आई। एक तो अनावृष्टि और दूसरी पाकिस्तानी आक्रमण। इसके पश्चात् हमें एक अन्य स्थिति का सामना करना पड़ा और वह यह कि सहायता देने वालों देशों ने कुछ कारणों से कुछ समय के लिये सहायता देनी बन्द कर दी इसके फलस्वरूप हमारी मशीनें, हमारे कारखाने कच्चा माल न मिलने के कारण उत्पादन नहीं कर सके। दूसरी ओर सूखा पड़ने के कारण जनता भूखी थी। उनका पेट भरने के लिये हमारे पास अनाज नहीं था। इन परिस्थितियों को देखते हुये हमें इस बात को भी विचार करना था कि हमें सहायता प्रगति प्राप्त करनी है और इसके पश्चात् यह भी विचार था कि इस सहायता को हमें वापिस भी करना है। इसके लिये यह आवश्यक है कि हम उत्पादन करें और उत्पादन के लिये कच्चे माल की आवश्यकता है और उसे प्राप्त करना है जिससे हम न केवल औद्योगिक क्षेत्र में

अपितु कृषि के क्षेत्र में भी उत्पादन की व्यवस्था कर सकें ताकि देश न केवल दुर्लभ धातुओं में बल्कि उर्वरकों में भी आत्म-निर्भर हो जाय ।

बार बार यह प्रश्न पूछा गया है कि हम अपने परम्परागत आयात को किस प्रकार बढ़ायेंगे । मेरा कहना है कि इसके लिये हमें उत्पादन को बढ़ाना होगा और इसके लिये यह आवश्यक है कि हम खेती के अणु के आधुनिक तरीके अपनाये और सिंचाई तथा उर्वरक की अधिक सुविधायें उपलब्ध करें । उत्पादन बढ़ाने के लिये यह आवश्यक हैं कि अनुकूल स्थिति उत्पन्न की जाये । उत्पादन बढ़ाने से निर्यातकों के लिये भी विदेशों में ऐसे भावों पर माल बेंचना सम्भव होगा जोकि उनको अधिक नहीं लगेंगे अवमूल्यन करने का एक भौतिक कारण यह भी था । यद्यपि यह एक दुःखद कार्यवाही थी तथापि इस पर बहुत सोच विचार किया गया था । हमें इसमें कोई सन्देह नहीं हैं कि हम सफल होंगे । तेजी से प्रगति करने का यही एक तरीका था ।

अवमूल्यन तो वास्तव में मूल्यों को बढ़ाने से रोकने की दिशा में एक कदम है । यह कहना गलत है कि अवमूल्यन के कारण मूल्य बढ़े हैं । यदि कोई अवमूल्यन के छः सप्ताह अथवा दो महीने पहले तथा उसके पश्चात् की स्थिति का पता लगायें तो मालूम होगा कि अवमूल्यन के बाद की तुलना में अवमूल्यन से पहले मूल्य कुछ अधिक बढ़े थे । अवमूल्यन 5 अथवा 6 जून को हुआ था ।

सूखे के बावजूद गत वर्ष पहले की अपेक्षा अधिक अनाज़ की वसूली की गई यह सब सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही हुआ । इससे इस बात का भी पता लगता है कि यदि हम अधिक प्रयत्न करें तथा यह सभा के सभी पक्षों के सदस्य हमारा साथ दें तो यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि अवमूल्यन एक सफल कदम होगा, न कि असफल ।

भविष्य में हमें क्या करना चाहिये इसके लिये बड़े सुझाव मेरे पास आये हैं । हम उन पर विचार करेंगे तथा यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि वे व्यवहारिक हैं, अथवा नहीं । एक बात यह भी कही गई है कि हमें सहकारी खर्च में कमी करनी चाहिये । हम ऐसा अवश्य करेंगे । परन्तु कुछ सदस्यों ने तो यह भी सुझाव दिया है कि सरकार केवल अवस्थापना (ईन्फ्रा स्ट्रक्चर) ही रखे । इस सुझाव को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता । हमें यह देखना है कि किसी भवन के बनाने की आवश्वकता है अथवा नहीं । कार्यालय स्थापित करते समय हमें उसके लिये उपयोगिता की दृष्टि से ही फर्नीचर रखने की बात सोचनी है । हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो कुछ बनाया गया है उसका पूरी तरह से उपयोग भी हो रहा है अथवा नहीं ।

सरकारी खर्च में कमी करने के लिये प्रत्येक मन्त्रालय से पूछना होगा कि किस प्रकार के खर्च में कमी की जा सकती है । ऐसा तदर्थ आधार पर किया जायेगा । जहां तक राज्य मंत्रालय का सम्बन्ध है उनको खर्च में कटौती करने के लिये कह दिया गया है ।

जहां तक राज्यों द्वारा अधिक खर्च करने का सम्बन्ध है यह एक चिन्ता का विषय है । परन्तु हमें कुछ संतोष है कि सभी राज्यों ने ऐसा नहीं किया है । मैंने मुख्य मन्त्रियों से व्यक्तिगत रूप में बातचीत की है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वे अपने साधन जुटाने में अधिक व्यवहारिक रूप से कार्य करेंगे ।

जहां तक घाटे की अर्थ-व्यवस्था का सम्बन्ध है सरकार का यह दृढ़ निश्चय है कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था नहीं होनी चाहिये। घाटे की अर्थ-व्यवस्था का कारण प्रशासन तथा योजना में खर्च का होना तथा गैर-योजना उपक्रमों में खर्च का होना है। प्रशासन सम्बन्धी खर्च को जहांतक सम्भव होगा हम रोकने का प्रयत्न करेंगे। उत्पादन के बारे में भी एक एक इकाई पर विचार किया जा रहा है जिससे यह पता लगा सकें कि कैसे किस उद्योग में पूरा उत्पादन नहीं हो रहा है; तथा पूरा उत्पादन कैसे किया जा सकता है। उत्पादन के बढ़ाने के साथ सरकार की आय में भी वृद्धि होती है।

[**श्रीमती रेणुचक्रवर्ती पीठासीन हुईं।**
SHRIMATI RENU CHAKRAVARTI *in the Chair*]

योजना के ब्यौरे के बारे में बताना इस समय मेरे लिए सम्भव नहीं है। परन्तु योजना आयोग तथा योजना मन्त्री इस बात के लिये पूरी तरह से जागरुप हैं कि घाटे की अर्थ व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसके लिये हमें अपने साधन जुटाने होंगे तथा उनपर निर्भय रहना होगा।

योजना को संसद में पेश किया जायेगा। संसद को इसकी जांच करने अथवा अपनी राय देने का पूरा अधिकार है।

हमारा लक्ष्य आत्म निर्भरता है और इसके लिए हम सब को मिलकर आगे बढ़ना है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : स्वर्ण नियन्त्रण पर एक वक्तव्य देने का वचन दिया गाया था।

सभापति महोदय : मुझे जानकारी नहीं है कि अध्यक्ष ने इस विषय में कोई बचन या आश्वासान दिया था, किन्तु मन्त्री महोदय इस विषय पर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री शचीन्द्र चौधरी : स्वर्ण नियंत्रण का प्रश्न अर्थशास्त्रियों के विचाराधीन है। प्रतिवेदन मिलने पर सभा के सामने प्रस्तुत किया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : इस मामले के लिये एक व्यक्ति ने मरण-पर्यन्त वर्त रखा हुआ है।

सभापति महोदय : पूरी सभा तथा पूरा देश इस मामले के संबंध में चिन्तित है। इसे यथा-शीघ्र सभा को प्रस्तुत किया जाये।

स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4 और 6 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।
The Substitute Motions Nos. 4 and 6 were put and negatived

स्थापनापन्न प्रस्ताव संख्या 8 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।
The Substitute motion No. 8 was put and negatived

स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 9 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।
The Substitute motion No. 9 was put and negatived

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

श्री स० मो० बनर्जी : द्वारा पेश किये गये स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 14 पर सभा में मत विभाजन हुआ ;

पक्ष में : 26

विपक्ष में : 105

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या" 11 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The Substitute motion No. 11 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : श्री विश्वनाथ पाण्डेय के नाम पर स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 12 है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : महोदय; मैं उसे स्वीकार करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे सभा में मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न है :

" कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात :—

" यह सभा देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर विचार करने के पश्चात, भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का अनुमोदन करती है और भारत सरकार से अनुरोध करती है कि मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए एवं प्रशासन के सभी स्तरों तथा सरकारी खर्च में मितव्ययता करने के लिए यह प्रभावी कदम उठाये। "

"That for the original motion, the following be substituted, namely:—

'This House, having considered the present economic situation in the country, approves the steps taken by the Government of India thereon and urges the Government of India to take effective steps to control the price line and to effect economy at all levels of administration and public expenditure ! "

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha Divided

पक्ष में : 107

विपक्ष में ; 20

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. RAILWAY ACCIDENTS

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

" कि यह सभा हाल की रेल दुर्घटनाओं संबंधी वक्तव्य पर, जो 25 जुलाई, 1966 को सभा-पटल पर रखा गया था विचार करती है। "

अध्यक्ष महोदय : वह अगले दिन भाषण कर सकते हैं।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE. MOTION FOR ADJOURNMENT

आसाम में स्थिति

अध्यक्ष महोदय : अब हम स्थगन प्रस्तावों की सूचना लेंगे । कल श्री हेम बरुआ ने किसी प्रस्ताव की सूचना दी थी । आज एक नयी सूचना दी है । आज कुछ कहने के लिए पांच मिनट का समय दिया जाता है

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : आसाम में स्थिति बहुत बिगड़ गई है और केन्द्रीय सरकार की लापरवाही के कारण बिगड़ी है। पुलिस द्वारा गोली चलाना अभी जारी है और आसाम राज्य में दंगे बढ़ते जा रहे हैं। समाचार मिला है कि इन दंगों के पीछे पूर्वी पाकिस्तान से आये 50 साम्यवादी है जो कि आसाम राज्य में बस गये हैं। हमारी सरकार ने देश के उस भाग में राजनैतिक स्थिरता कायम करने के लिए कुछ नहीं किया है। सरकार को भूलना नहीं चाहिए कि यह सीमावर्ती राज्य है और सीमावर्ती राज्य को संघीय सरकार के विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। आसाम में खाद्य स्थिति भी बिगड़ रही है। पिछले महीने जब मैं उस राज्य के गांवों की यात्रा कर रहा था तो मैंने अनेक ऐसे परिवार देखे जिन्होंने तीन चार दिनों से भोजन नहीं किया था। इन सब के लिए केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है।

विद्यार्थियों ने आन्दोलन का आयोजन किया था और खाद्य स्थिति के कारण आयोजन प्रचंड रूप धारण कर रहा है । हुल्लड़बाजों ने स्थिति अपने हाथ में ले ली है । सरकार जनता के जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा नहीं कर सकी है जो कि उसका उत्तरदायित्व है और इस के साथ साथ राजनीतिक स्थिरता को भी कायम नहीं रख सकी है। चूँकि आसाम एक सीमावर्ती राज्य है, केन्द्रोय को चाहिए कि वह कुछ उपाय करे तथा आसाम के हितों की रक्षा करनी चाहिये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) :शिलांग नगर की स्थिति ने विस्फोटक रूप ले लिया है और यह पूरे आसाम राज्य में फैल चुका है। समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुए हैं कि मौखार में जो कि मुख्यतः आदिमजाति क्षेत्र है तथा लावांग आदि अन्य क्षेत्रों में गड़बड़ी फैल गई है। वहां गोली वारी हुई है और कई लोगों को गोली से मार दिया गया है । अत; यह केवल आसाम राज्य में, विशेष रूप से शिलांग में विधि तथा व्यवस्था भंग होने का ही मामला नहीं है बल्कि संविधान की छठी अनुसूची के अधीन केन्द्रीय सरकार की सीधी जिम्मेदारी का भी मामला है। अत: इस विषय पर चर्चा करना सभा के क्षेत्राधिकार में आता है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Yesterday I had raised the question of Scheduled Areas. After pondering deep into the matter I find that there are three categories of areas viz. autonomous hill districts, tribal areas and Scheduled areas. Therefore, an opportunity may be given to study the question of Central responsibility further. Since then, the ruling on the subject be held over.

श्री रंगा (चित्तूर) : सरकार इस मामले पर चर्चा करने के लिए मौका दे ! यह सामरिक महत्व का क्षेत्र है । गृह मन्त्री लोगों को निश्चित रूप से यह वचन नहीं दे सके हैं कि स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरु के आश्वासनों को कार्यान्वित किया जायेगा ऐसा न करने

पर वहाँ बहुत अधिक असंतोष फैला हुआ है। सरकार को चाहिये कि वह सभा को विश्वास में ले, सब तथ्य उस के सामने रखे और जो सुझाव दिये जायें उनके बारे में सभा की सहायता ले।

श्री स्वैल (आसाम स्वायत्तशासी जिले.) : मौखार जो कि अधिकांश आदिमजाति क्षेत्र है तथा संविधान की छठी अनुसूची के आधीन है। के इलाके में जनता की पहिले सीमा की सुरक्षा सेना से तथा बाद में सेना से मुठभेड़ हुई। दूसरे, सीमा सुरक्षा तथा सीमा सुरक्षा सेना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। तीसरे, संविधान के अनुच्छेद 339(2) के अर्न्तगत आदिमजाति लोगों के कल्याण का मामला भी भारत सरकार की विशेष जिम्मेदारी है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : अगस्त 1966 से आसाम में हुई हो रही दुर्घटनाओं के कारण जिन लोगों की मृत्यु हो गई है और जो जख्मी हुए हैं उनके लिए मैं भारी दुःख प्रकट करता हूँ। मैं आसाम के सभी वर्ग के लोगों से अपील करता हूँ कि वह ऐसी कार्यवाही न करें जिससे स्थिति के और अधिक खराब हो जाने का खतरा हो।

जहां तक प्रस्ताव की स्वीकृति का सम्बन्ध है, घटनाएं चाहे कितनी भी शोचनीय रही हों उन के आधार पर हो वह स्थगन प्रस्ताव के लिए विषय नहीं हो सकती। स्थगन प्रस्ताव तभी ग्राहण हो सकता है जब कि केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी आती हो। इस मामले में बताया गया है कि इसमें केन्द्र का उत्तरदायित्व है क्योंकि जिन क्षेत्रों में गड़बड़ी हुई है वो अनुसूचित क्षेत्र थे। अनूसूचित क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें संविधान की पांचवी अनुसूची के अर्न्तगत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अधिसूचित किया गया हो। वह अनुसूची आसाम पर लागू नहीं होती छठी अनूसूची के अर्न्तगत आसाम के कुछ जिलों के बारे में जिन्हें स्वायत्तशासी जिलों की हैसियत से शामिल किया गया है उनके बारे में राज्यपाल को विशेष शक्तियां मिली हुई हैं।

इसका मतलब यह नहीं है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं रही है अथवा कम हो गई है। संविधान के अनुच्छेद 245 के अन्तर्गत एक राज्य का विधानमण्डल पूरे राज्य के लिए अनुच्छेद 145 के अन्तर्गत कानून बनाने के लिए सक्षम है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति विधयिनी शाक्ति के साथ साथ रहती है। अतः राज्य सरकार का कार्य पालिका प्राधिकार आसाम राज्य के समस्त क्षेत्र पर लागू होता है जैसा कि संविधान की प्रथम अनुसूची में तथा आदिम जाति क्षेत्र जिसका संविधान की छठी अनुसूची के भाग 'क' में उल्लेख है। व्याख्या की गई है। अतः राज्य सरकार की कार्यपालिका जिम्मेदारी में सार्वजनिक व्यवस्था (सूची 11 की प्रविष्टि संख्या।) तथा आपराधिक कानून तथा आपराधिक कार्यवाही (सूची 111 की प्रविष्टि संख्या। और) भी आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में समस्त आसाम राज्य में जिसमें छठी अनुसूची के भाग 'क' के अधीन क्षेत्र अर्थात् आसाम के स्वायतशासी जिले भी शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक कानुन लागू करने के लिए कार्यपालक कार्यवाही करने के बारे में केन्द्रीय सरकार संसद् के प्रति उत्तरदायी नहीं है। आसाम सरकार के अनुसार घटनास्थल शिलांग नगरपालिका के अन्दर है और आदिम जाति क्षेत्र के अन्दर नहीं आता है जैसा कि छठी अनुसूची के भाग (क) में वर्णित है।

सीमा सुरक्षा सेना 1 'दिसम्बर' 1965 को बनाई गयी थी, इसमें पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्यों के सशस्त्र पुलिस बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कुछ बटालियन तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा सेना के लिए बनाये गये तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत बनाये गये बटालियन शामिल हैं। इरादा यह है कि संविधान की सातवीं अनुसूची की संघीय सूची की सूची 1 की प्रविष्टि संख्या 2 के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा सेना के लिए पृथक कानून बनाया जाये। जब तक ऐसा कानून नहीं बनता तब तक सीमा सुरक्षा सेना बटालियनों का आधार संविधान व विधियां हैं जो सम्बद्ध राज्यों में लागू हैं और जिनमें संशस्त्र पुलिस दलों के गठन की व्यवस्था है और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बटालियनों के विषय में और नये बटालियनों के विषय में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अधिनियम में व्यवस्था है। शिलांग में आसाम सशस्त्र पुलिस के बटालियनों से लिये गये तीन प्लाटूनों से बनाई हुई सीमा सुरक्षा सेना का प्रयोग किया गया है। यह बटालियन आसाम के पुलिस इन्स्पेक्टर जनरल के सांविधिक नियंत्रण में है। कानून के अधीन जो कुछ शक्तियाँ उनको मिली हुई हैं, वे आसाम की पुलिस में निहित हैं। किसी भी क्षेत्र को सेना के आधीन नहीं रखा गया है और न देशों को शांत करने के लिए सेना का प्रयोग किया गया है। उसे केवल सावधान कर दिया गया था और तैयार रहने के लिए कहा गया था। उससे किसी भी प्रकार से स्थगन प्रस्ताव द्वारा केन्द्रीय सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं हो जाती।

जहां तक पहड़ी क्षेत्रों के लिए स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरु द्वारा स्वीकृत योजना का सम्बन्ध है हम अभी तक उसका पूर्ण रूप से पालन करते हैं। कुछ कठिनाइयों के कारण उस कार्य को पूरा करने में अधिक समय लग रहा है।

खाद्य समस्या का जहां तक सम्बन्ध है, यह समस्या पूरे भारत में फैली हुई है। आवश्यकता तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक इलाके को आवश्यक सहायता दी जा रही है। विद्यार्थियों द्वारा विरोध का कारण यह खाद्य समस्या नहीं थी। ऐसी कोई विशेष स्थिति उत्पन्न नहीं हो गई जिस के कारण स्थगन प्रस्ताव का उठाना आवश्यक हो गया हो।

श्री स्वैल : गृह-कार्य मन्त्री कृपया बतायें कि क्या मौखार, लेतुमखराह, माली की तथा लाबान क्षेत्र अब खासी तथा जैनतीया पहाड़ियों की जिला परिषद के भाग नहीं रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि वे क्षेत्र अनुसूचित हैं तो भी प्रश्न यह है कि क्या कानून तथा व्यवस्था का कार्य राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व है।

श्री नन्दा : यदि यह घटना वहां घटी भी तो भी मुख्य तर्क यह है कि कानून तथा व्यवस्था के लिए आसाम राज्य का पूरा उत्तरदायित्व है और जहां पर पोलिस द्वारा गोली चलाई गई है वह इस प्रस्ताव के अन्तर्गत नहीं आता।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री नन्दा के वक्तव्य के अनुसार आसाम के कार्यपालिका द्वारा की गयी कार्यवाही के लिए केन्द्र सरकार उत्तरदायी नहीं है। 353 अनुच्छेद में कहा गया है कि विदेशी आक्रमण अथवा घरेलू गड़बड़ के कारण उत्पन्न असाधारण

स्थिति में केन्द्र सरकार वहां की कार्यपालिका को आवश्यक निर्देश दे सकती है। इसलिए गृह कार्य मन्त्री का वक्तव्य ठीक नहीं है। हमारा अनुरोध है कि वक्तव्य को परिचालित किया जाये और प्रस्ताव को मंगल तक स्थगित कर दिया जाए ताकी हम अपना दृष्टिकोण बना सकें।

श्री हेम बरुआ : मई 1966 में लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका में उल्लेख है कि सीमावर्ती सुरक्षा सेना के लिये गृह मंत्रालय उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त सीमावर्ती सुरक्षा सेना के अधिकारियों का वेतन केन्द्रीय सरकार देती है, आसाम सरकार के पास इस की कोई व्यवस्था नहीं है।

Shri Madhu Limaye: The motion did not relate to law and order only. Supply of essential commodities, protection of Adivasis and tribal welfare are the responsibility of the Central Government. Tribal Area, Autonomous Hill Districts and Scheduled Area have a different usage in the Constitution. A deeper study of this question should be made.

श्री नम्बियार : आसाम में फौज कार्यवाही कर रही है और बहुत से व्यक्ति मारे गये हैं। इसलिए इस पर बहस करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : जहाँ तक फौज के उपयोग का सम्बन्ध है दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आवश्यकता के समय फौज की सहायता लेने की शक्ति राज्य सरकारों को है और यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होता है। जहाँ तक कानून और व्यवस्था का सम्बन्ध है, यदि स्थिति खराब हो जाये तो नियुक्त अधिकारी स्थिति को सुधारने के लिए गोली आदि का प्रयोग कर सकते हैं। गोली बारी चलाने के विषय पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। अनुसूचित जाति का कल्याण तथा कानून और व्यवस्था का प्रश्न राज्य सरकार का विषय है, उसके लिये केन्द्र उत्तरदायी नहीं है। जहां तक सीमावर्ती सुरक्षा सेना का प्रश्न है यह सेना से मिलती जुलती है। इन सेनाओं का राज्य सरकार नियन्त्रण और देखभाल करती है।

इन बातों को ध्यान में रखते हुये मैं स्थगन प्रस्ताव के स्वीकार करने में औचित्य नहीं समझता और मैंने अपनी विनिर्णय दे दिया है। मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : सेना का प्रयोगा असैनिक प्रयोजनों के लिये किया जा रहा है। यह उचित नहीं है। सभा को इस तथ्य की ओर ध्यान देना चाहिये और देखना चाहिये कि क्या सेना का बुलाया जाना आवश्यक था।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : श्रीमान जी आप को सरकार को यह आदेश देना चाहिये कि जब कभी सरकार सेना का प्रयोग असैनिक कार्यों के करे तो सरकार को यहाँ पर एक वक्तव्य देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप का सुझाव समझ लिया है।

श्री स्वैल : पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत कुछ हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ कि नागलैंड, और मिजोलैंड में इस प्रकार की गड़बड़ के लिये आसाम सरकार तथा केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार होगी।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS.

बयानबेंवां प्रतिवेदन

श्री सेझियान : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बयान-बेंवां प्रतिवेदन से, जो 10 अगस्त, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

" कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बयानवेंवां प्रतिवेदन से, जो 10 अगस्त, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted.

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 35 क का हटाया जाना)
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (OMISSION OF ARTICLE 35 A)

दी० चं० शर्मा : (गुरदासपुर) : मैं भारत के संविधान में आगे (संशोधन करने वाले विधेयक को पुन: स्थापित करने के लिये अनुमति चाहता हूँ :

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुन: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

श्री दी० चं० शर्मा : मैं विधेयक को पुन: स्थापित करता हूँ।

अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद् विधेयक-जारी
ALL INDIA AYURVEDIC MEDICAL COUNCIL BILL CONTD.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री अ० त्रि० शर्मा द्वारा 29 जुलाई, 1966 को प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

"कि भारत के लिये एक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद् के गठन समस्त भारत के लिये एक आयुर्वेदिक चिकित्सा रजिस्टर रखने तथा तत्ससक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को उस पर 1 अक्तूबर, 1966 तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये।"

Shri Raghunath Singh (Varanasi): Mr. Speaker, Sir, this Bill is very important. Tlh Ayurvedic system of medicine is very old system. I support this Bill and hope the House wil do likewise. This system originated in our country and became popular in other countries of South East Asia. It is a pity that our Government is not giving due encouragement to this system. We should know that this system is very much liked in our rural areas. It is so because it is cheap and convenient. We believe that this system is very beneficial to our masses. No party whip should be issued on this non-controversial Bill and this should be circulated for eliciting public opinion.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : हमारे देश में संस्कृत के अध्ययन को लगभग समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की भी उपेक्षा की गई है। चिकित्सा की आधुनिक पद्धति एक बड़ा धोखा है। इससे बहुत से बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता। हमें आधुनिक चिकित्सा पद्धति को अधिक प्रोत्साहन न देकर आयुर्वेदिक पद्धति की ओर ध्यान देना चाहिये।

यह एक बहुत अच्छा विधेयक है। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इसे स्वीकार कर लेगी।

Shri Chandramani Lal Chaudhry (Mahua) : Sir I support this Bill. A demand is being made throughout the country that Ayurvedic system of medicine should be not given due recognition. I am not against modern system of medicine. But it should not be encouraged at the cost of our country's own system. This system is prevalent in rural areas of our country. The Vaids are practising this system in our villages throughout the country. I request that this Bill should be circulated for eliciting the public opinion. It would be found that it would receive appreciation of the entire country.

Shri A. S. Saigal : The mover of this Bill is an experienced Ayurvedic practitioner. This system of medicine is not costly, as is the case of allopathic system of medcine. We shoulid take action to bring ayurvedic system on scientific lines. Necessary changes should be brought in it. The Hindu University is taking some steps in this direction. Ayurvedic system can be utilized for surgery also. I request that Government should give due recognition to this system and encourage it. I belive that it is through Ayurvedic system of medicine that medicines can be provided to poor people of our country. Allopathic medicines are costly and the poor people cannot afford to buy them. I support this Bill and suggest that it should be circulated for eliciting public opinion on this.

Shri Rananjai Singh (Musafirkhana) : Sir, this Bill will go a long way in bringing about welfare in our country. It is our misfortune that we have started following the western way of life. We have given up our own valuable things. It is not good. The Ayurvedic system of medicine can provide medicine for all types of diseases. It uses very cheap herbs in preparation of medicines. The need of the hour is research in various aspects of Ayurved. It should be given every encourgement. I support this Bill.

Shri Kamalnayan Bajaj (Wardha) : The Ayurvedic system of medicine is very useful. It has proved helpful to the poor masses of our country during natural calamities. It is very cheap and our people can easily afford its low cost. I am not against allopathic system of medicine. We should make use of it, but it does not mean that we should discard our own systems.

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAM LAL SARRAF *in the Chair*]

We should see as to which system is convenient for the masses and that system should be popularised. I think the allopathic system is not within the easy reach of common man. He cannot afford to buy costly medicines. He cannot pay fee of a doctor. In such circumstances the Vaids and Hakims who use Ayurvedic system are very helpful. Gandhiji was also in favour of Ayurvedic system. This system is quite suitable for our country and it should be encouraged.

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : Sir, I am glad that so much interest has been taken by hon. Members in this dicussion. The House has susggested that we should impart training on scientific lines in the Ayurvedic system.

We had started this type of training and prepared doctors but they were not received with due respect. They were regarded as inefficient doctors. It was at the instance of Planning Commission a panel was appointed and its recommendations were considered and accepted at meeting of Central Council of Health held at Madras in 1963. A Board for the implementation of its recommendation was set up. A syllabus was prepared and circulated to various states. It was accepted by some states and others did not accept. Keeping in view all this Government have decided to set up a statutory council which will bring about uniformity. A draft has been prepared and has been sent to a committee. This committee comprises of the Health Ministers of Maharashtra, Gujrat and West Bengal. They have been entrusted the job.

Had we not made up our mind, I would have agreed for the circulation of this Bill. We have ourselves decided that such a council should be formed. Action is being taken in this regard.

We want that this Bill of Sri Sharma should be circulated among the public for eliciting opinion there. After this useful discussion, I would request Shri Sharma to withdraw the motion.

Shri M. L. Dwivedi (**Hamirpur**) : Hon. Health Minister should have at least accepted its circulation, if not the biil.

Mr. Chairman: Let us iisten to Shri Sharma first.

Shri M. L. Dwivedi: If he withdraws, what will happen ?

श्री अ० त्रि० शर्मा (**छतरपुर**) : मन्त्री महोदय ने आयुर्वेद पर विधेयक प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है। इसके फलस्वरूप मैं अपना विधेयक वापिस ले लेता हूँ। मुझे आशा है कि सरकार तथा प्रशासन सचाई के साथ इस दिशा में कार्य करेंगे। वास्तव में 3 या 4 प्रतिशत धन जो आयुर्वेद के लिये नियत किया जाता है उसका भी उचित उपयोग नहीं होता। श्री मोरारजी ने कहा है कि अगर एलोपैथी पर खर्च होने वाली राशि का चौथा भाग भी आयुर्वेद पर खर्च होता और थोड़ा भी ध्यान उस ओर दिया जाता तो आयुर्वेद की श्रेष्ठता अनुभव की जा सकती थी। मैं मन्त्री महोदय से शीघ्र ही विधेयक प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूँ तथा इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

डा० मा० श्री० अणे (**नागपुर**): मैं विधेयक वापिस लेने के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

सभापति महोदय : मैं विधेयक वापिस लेने का प्रस्ताव रखूँगा।

I would like to impress upon Shri Dwivedi that no body can say anything regarding this bill now.

Shri M. L. Dwivedi : I think, only members can decide as to whether this can be withdrawn or not. This Government has never taken any steps for the development of Ayurvedic system.

Mr. Chairman: You have the right to vote or not to vote but you can speak after the hon. Minister has spoken.

मैं इस प्रश्न को सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या माननीय सदस्य को विधेयक वापिस लेने की अनुमति दी जाती है ?

सभा की अनुमति से विधेयक वापिस लिया गया

The Bill was, by leave withdrawn.

संविधान संशोधन विधेयक (सातवीं अनुसूची का संशोधन)

CONSTITUTION AMENDMENT BILL

(AMENDMENT OF SEVENTH SCHEDULE)

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संविधान में आगे संशोधन करने के लिये विधेयक को 14 नवम्बर, 1966 तक जनता की राय जानने के लिये परिचालित किया जाये। मैं इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री द्वारा सुयोग्य मार्गदर्शन की हृदय से सराहना करता हूँ। जनता की सुदृढ़ भावना है कि शिक्षा समवर्ती विषय हो। इस संशोधन द्वारा शिक्षा को केन्द्रीय सरकार के अनन्य क्षेत्राधिकार में रखने का कोई विचार नहीं है। मैं शिक्षा को सातवीं अनुसूची में समवर्ती विषय बनाने का अनुरोध करता हूँ।

ऐसे अनेक दस्तावेज़ हैं तथा अनेकों शिक्षाविदों की राय भी है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने से देश में शिक्षा तथा भावात्मक एकता को बड़ी सहयता मिलेगी। राधाकृष्णन अयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने की बलदेकर सिफारिश की थी। इस आयोग के पर्यवेक्षणों के अनुसार शिक्षा केन्द्रीय या संघीय सरकार का ही विषय बनाने से भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी, जबकि बेसिक तथा माध्यमिक शिक्षा प्रान्तीय विषय हैं। अतः शिक्षा को समवर्ती सूची में रखना ही उपयुक्त होगा। भावात्मक एकीकरण समिति ने भी शिक्षा का समवर्ती सूची में रखने की सिफारिश की। उन्होंने दुःख प्रकट किया कि सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त विभिन्न समितियों एवं आयोगों की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया। समिति ने संविधान में संशोधन की सिफारिस की है।

उच्च शिक्षा के बारे में श्री सप्रू की अध्यक्षता में नियुक्त संसद सदस्यों की समिति भी इसी निष्कर्ष पर पहुँची कि उच्च अथवा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाये। डा० कोठारी जैसे शिक्षा शास्त्री ने कुछ मिलती-जुलती राय व्यक्त की यद्यपि वे इस सम्बन्ध संविधान में आवश्यक नहीं समझते। शिक्षा आयोग ने 10 वर्ष के बाद स्थिति के पुनर्विलोकन की सिफारिश की है; किन्तु उसके बहुत से सुझाव तब तक कार्यान्वित नहीं किये जा सकते जब तक कि शिक्षा को समवर्ती सूची में नहीं रखा जाता। अब समय आ गया है कि देश में भावात्मक एकीकरण तथा एकता को बनाये रखने के लिये संसद को चाहिये कि शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने के लिए संविधान का संशोधन करें।

हम केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री के आभारी हैं कि उन्होंने विचारधारा में परिवर्तन के लिये कदम उठाया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि कम से कम विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा तथा उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाये। उन्होंने उन कठिनाइयों का भी उल्लेख किया है जो देश के एकीकरण के लिये शिक्षा का प्रयोग करने में अनुभव की जा रही हैं ; क्योंकि शिक्षा समवर्ती विषय नहीं है। उन्होंने 11 अप्रैल 1965 को मसूरी में तथा 13 दिसम्बर को नई दिल्ली में भी शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने के प्रबल समर्थन में विचार व्यक्त किये। शिक्षा मन्त्री महोदय ने अपनी कठिनाइयों को भी कई बार संसद के सामने रखा। उन्होंने देश में शिक्षा के समान स्तर के समर्थन में सबल तर्क प्रस्तुत किये। अतः सभा के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि देश में पर्याप्त लोकमत का निर्माण करे ताकि शिक्षा समवर्ती विषय बन सके।

राज्यों ने शिक्षा कोटि तथा उसके स्तर में सुधार करने के लिये कुछ नहीं किया। अल्पकालीन राजनीतिज्ञों के हस्तेक्षप से शिक्षा का स्तर गिरता चला गया। इस विषय में समस्त राष्ट्र की चिन्ता को व्यक्त किया जाना चाहिये तथा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिये। यह प्रश्न इस सभा में 27 जुलाई को राज्य सभा में 5 अगस्त, 1966 को उठाया गया था जिसके उत्तर में शिक्षा मंत्री ने फिर से अपने रचनात्मक विचारों को दोहराया।

इस विषय का निष्पक्ष विश्लेषण करने से कोई भी व्यवहारिक व्यक्ति इस बात से सहमत हो जायेगा कि शिक्षा को केवल सार रूप में समवर्ती सूची में रखना ही नहीं अपितु संविधान का संशोधन करके ऐसा करना आवश्यक हो गया है। इसका तात्पर्य केन्द्रीय सरकार द्वारा अनन्य शक्तियां तथा क्षेत्राधिकार प्राप्त करना नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य यह होगा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षा को शाक्ति, नेतृत्व निदेशन प्राप्त होंगे।

हमारे समाज-कल्याण राज्य में शिक्षा का ऐसा क्षेत्र है जिसकी अब तक उपेक्षा होती रही है। हमारे यहां संवैधानिक निदेश है कि छोटे लड़कों तथा लड़कियों को निःशुल्क, अनिवार्य और समान प्राथमिक शिक्षा दी जाये। उसमें माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने का भी निदेश है किन्तु अब तक कोई सुधार नही किया जा सका। इसीलिये अनेकों शिक्षाविदों ने यह राय व्यक्त की है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का समन्वय करने के लिये एक केन्द्रीय आयोग नियुक्त किया जाये। ऐसी आशा है कि इस विधेयक को परिचालित करने से लोकमत का निर्माण होगा और उससे राज्य सरकारें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करके अपनी अदूरदर्शी तथा स्वार्थी नीति को त्यागेंगी। मैं विधेयक को सभा में लोकमत के लिये परिचालित करने की सिफारिश करता हूँ।

सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"भारतीय संविधान में आगे संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक को 14 नवम्बर, 1966 तक लोकमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।"

Mr. Chairman: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be circulated for purpose of eliciting opinion thereon by the 14th November, 1966."

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलेमपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 14 नवम्बर, 1966 के स्थान पर, 31 अक्टूबर, 1966 रखा जाये।

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : मैं समझता हूँ कि डा० सिंघवी ने मुझसे भी अधिक उच्चाकांक्षी तथा विशाल दृष्टिकोण अपनाया है। संविधान बनाते समय शिक्षा को राज्य विषय रखकर बड़ी गलती की गई है। यह ब्रिटिश सरकार से मिली विरासत है और इसे हमने बिना सोचे समझे अपने संविधान में स्वीकार कर लिया था। अंग्रेजों ने हमारे देश में रहते हुये शिक्षा की एक राष्ट्रीय नीति बनाने की बात कभी भी नहीं सोची। वे शिक्षा में केवल इतनी ही रुचि रखते थे जितनी कि क्लर्कों तथा प्रशासकों को बनाने के लिए आवश्यक थी। अतः शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने का मामला निसंदेह समर्थन के योग्य है। एक तरह से शिक्षा आयोग ने भी विधेयक प्रस्तुतकर्ता का समर्थन किया है ; क्योंकि आयोग ने भी शिक्षा के एकीकरण की सिफारिश की है। राज्यों का यह विचार है कि हम शिक्षा को संघीय विषय बनाना चाहते हैं। शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने का यह अर्थ

नहीं है कि राज्यों की कोई शक्ति नहीं रहेगी। इसका उद्देश्य आवश्यक हस्तक्षेप, नेतृत्व तथा समानता लाने की शक्ति प्राप्त करने का है।

हमारे देश में शिक्षा द्वारा भावात्मक एकीकरण तथा राष्ट्रीय एकता आनी चाहिये। अब शिक्षा का क्षेत्र संकुचित नहीं रह सकता जैसा कि स्वाधीनता से पूर्व था। हमें उस नये क्षेत्र के प्रति विचार करना है जो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने के बाद बनेगा।

मैंने राज्यों को उनके विचारों से अवगत होने के लिए लिखा है। किन्तु जिन 10 राज्यों से उत्तर दिये, उनमें से केवल पंजाब ने कहा है कि शिक्षा को समवर्ती विषय बनाया जाये। छः राज्यों के उत्तर भी नहीं आये। अतः इस समय स्थिति यह है कि राज्यों का शिक्षा को समवर्ती विषय बनाने के लिये सहमत होना सम्भव नहीं है। राज्य सरकारें ही नहीं केन्द्रीय सरकार भी शिक्षा व्यय में कटौती करती है जो अवांछनीय है। हमारे यहां 46 करोड़ लोग रहते हैं। हमारे पास पर्याप्त मानवीय संसाधन है, जिनको उन्नत करने से देश ऊँचा उठ सकता है। हमें लोकमत को शिक्षित करना है तथा उसके द्वारा राज्यों पर दबाव डालना है।

यद्यपि शिक्षा संवैधानिक दृष्टि से समवर्ती सूची में नहीं है तथापि इसका वास्तविक महत्व इसी में है। हमारी शिक्षा का अखिल भारतीय तथा सर्वांगीण महत्व है। इस दृष्टि से हमने शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन किया था। जहां कहीं भी राज्य हमारी नीतियों को प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में कार्यान्वित करने के लिये सहमत हैं, हमने प्रस्ताव पारित किये। केन्द्रीय सरकार ने किसी सीमा तक वित्तीय सहायता भी दी। यह स्थिति कुछ समय पहिले की अमरीकी शिक्षा की स्थिति से मिलती-जुलती है। किन्तु राष्ट्रपति कैनेडी और राष्ट्रपति जॉनसन के कार्य काल में वहाँ की स्थिति बदल गई है और संघीय सरकार वहाँ की शिक्षा-स्थिति में पर्याप्त सुधार कर रही है। हमारे राज्य केन्द्र से सहायता प्राप्त करने के बावजूद भी शिक्षा में केन्द्र द्वारा उचित परिवर्तन करने के विरुद्ध हैं। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि इससे जनमत तैयार होगा।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : क्या इस सम्बन्ध में दूसरे माननीय सदस्य भी मन्त्री महोदय के समर्थन में कुछ कह सकेंगे ?

सभापति महोदय : यद्यपि मन्त्री महोदय ने प्रस्ताव का समर्थन किया है तथापि माननीय सदस्यों को इस पर बोलने का मौका दिया जायेगा।

Shri J. P. Jyotishi (Sagar) : I appreciate the ideas expressed by the hon. Education Minister. I fail to understand the cause of reluctance prevalent in States with regard to the policy of Central Government, so far as education is concerned. Why have they not been able to educate public opinion so as to prevail upon the recalcitrancy of the States. Intelligentia of the country should ponder over this and other related problems with a view to thrashing out some solution. It is only through education that we can bring about some sort of substantial transformation and reconstruction of this country. What is the condition of Banaras Hindu University and the Aligarh University ? We have no reason to put pressure on the State Government when the Central Government institutions are wrought With indiscipline. we have no ground to ask them to act upon our advice. This is an important factor which should be taken into consideration.

We should adopt such a policy with regard to education in the whole of the country as would enable the young generation to march in the right direction. We should have uniform po'icy and curriculum of education throughout the conntry. This will go a long way in building our nation and fostering the bonds of brotherhood.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं समझता हूँ कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है। अब हमें यह देखना है कि शिक्षा का अर्थ क्या है। सबसे पहले तो इसका अर्थ है शिक्षा के स्तरों को बनाये रखना। इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न समितियां और आयोग नियुक्त किये थे। इसलिये विद्यार्थियों और अध्यापकों पर केन्द्रीय सरकार का काफी प्रभाव पड़ा है।

दूसरे शिक्षा का अर्थ है शिक्षकों का कल्याण और शिक्षकों की सेवा की शर्तों में सुधार करना। प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों और क्रमोन्नत माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों का जहाँ तक सम्बन्ध है उनके वेतन का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है। इसलिए मेरा कहना है कि यह एक तथ्य को स्वीकार करने का प्रश्न है। जो बातें पहले से विद्यमान हैं वे उनके प्रति आंख मूंद रहे हैं। अलबत्ता माननीय मन्त्री केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड, अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड और अन्य बातों के बारे में कहा। परन्तु मैं समझता हूँ कि राज्यों ने इसके पहले ही सार रूप में मान लिया है और मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई कारण है कि हमें इस पर अनुमोदन की छाप नहीं लगानी चाहिये।

फिर हमने लगभग 300 केन्द्रीय माध्यमिक विद्यालय खोले हैं। अतः मैं समझता हूँ कि डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी द्वारा लाई गई प्रस्थापना को सांवैधानिक मान्यता देने का प्रश्न नहीं है। यह तो पहले विद्यमान तथ्य को केवल स्वीकार करने की बात है।

उन्होंने भाषा के बारे में कहा। मुदालियार आयोग ने जो भाषा सूत्र दिया था उसको सभी राज्यों ने स्वीकार किया है और मैं समझता हूँ कि शिक्षा आयोग ने जो भाषा सूत्र दिया है वह सारे राज्यों द्वारा स्वीकार कर लिया जाये। मैं समझता हूँ कि हमने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि विद्यार्थियों को शिक्षा आरम्भ से लेकर अन्त तक मातृ भाषा के माध्यम से दी जाये।

माननीय मन्त्री की यह बात बिल्कुल सही है कि अमरीका में जहाँ कि राज्य अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रति बहुत जागरुक हैं और संघ सरकार से सदैव ही लड़ने का प्रयत्न करते रहते हैं, उन्होंने शिक्षा के लिये संघ सरकार की सहायता लेने की बात को स्वीकार किया है। राष्ट्रपति जॉनसन ने जो एक अच्छी बात की है वह यह है कि उन्होंने शिक्षा के लिये अधिक धन देने का प्रयत्न किया है।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ क्योंकि शिक्षा संस्थाओं की अखिल भारतीय संघ, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, सदैव इस सिद्धान्त का समर्थन किया है। अच्छा होता यदि डा० सिंघवी सीधे ही विधेयक को पारित करने के लिये लाते।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : सभापति महोदय, श्री चागला ने दूसरे सदन में कहा कि केवल एक राज्य सरकार ने समिति की सिफारिश का समर्थन किया और नौ राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया है। यह खेद की बात है परन्तु हमें यह देखना है कि क्या हम भारत का एकीकरण चाहते हैं या नहीं। वास्तव में देश इस समय खतरे में है और विघटनकारी प्रवृत्तियां देश में कार्य कर रही हैं। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के शिक्षक वर्ग में असंतोष का एक बड़ा कारण यह है कि विश्वविद्यालय के संचालन में प्रादेशिक राजनीति को लाया जाता है। आज शिक्षा का स्तर

बहुत गिर गया है और हमें इसको रोकना है। शिक्षा क्षेत्र में प्रादेशिक राजनीति जोरों से काम कर रही है।

मैं समझता हूँ कि यदि शिक्षा को एक समवर्ती विषय बना दिया जाये तो भाषा सम्बन्धी कठिनाई को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। हमें इस सम्बन्ध में अमरीका की मिसाल देने की आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि हमारे संविधान के अन्तर्गत तो सारी अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र को प्राप्त है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

Shri Sheo Narain (Bansi): Sir, there is great lack of discipline in our, country Discipline can foster integrity in our country. There cannot be anything better than a uniform system of education throughout the country. The policy of divide and rule should be put to an end. We have to uplift this country. We have to lay emphasis on a single national language and this can be done only when you have control over it.

We have agreed to enforce the three language formula and you can achieve success in this regard only when you bave control over education. We should revise our standards of education. In the recruitment of teachers merit should be the sole consideration. We want able scholars, doctors and highly qualified persons and not clerks. If that is done only then there will be unity and integrity in the country. With these words I support the Bill.

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur): Sir, this is a very imporant Bill. This is a very delicate matter and we should give a serious thought to it. Dr. Singhvi wants that all the education from the Primary to the University stage should be put under the control of the Central Government.

No committee, appointed so far, have given the recommendation that the whole of the education should snatched from the States and put in the Central List. The framers of our Constitution had thought that the education can expand in a better way under the States. So far we have not made much headway in the field of education and we have achieved only 24% percent literacy.

At present the different states have different service conditions and scales of pay for the teachers. If this subject is put in the concurrent list, then I think it will certainly bring about emotional integrity but what I fear is that the State Education ministers will think that it will deprive them of their rights.

Even the Education Commission has not recommended that the whole control over the education should be taken away by the Centre. Therefore I say that before taking any decision we should seriously consider this matter. This view is baseless that if education is made a central subject it will bring about discipline among the students. With these words I support the Bill.

Shri Yashpal Singh (Kairana): Dr. Singhvi really deserves our congratulations for introducing this Bill. The Education Minister has also accepted it. Today the need is to take effective steps in the sphere.

Roorkee University is the best engineering university in the world. There is greatest discipline in that university. That University should be immediately taken over by the Central Government.

The Vice Chancellor of that University has promised that within a year all the technical knowledge will be imparted in Hindi. This is a very bold step. Unless education is imparted in our own language the internal sovereignty cannot be achieved. English is an exotic language and it is like a sore in our educational system. We can improve the conditions here only when we have done away with the teaching of English. Discipline is

very much lacking even in the Central Universities. If the Central Government can improve the lot of Aligarh University and Banaras Hindu University then all the States will be prepared to hand over their Universities to the centre. This Government is prepared to hang the innocent students of Aligarh University. For the last two years their education is suffering. This Government should first show good will there. In the end I would say that the Government should take over all the universities and education be made a Central subject.

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur): Mr. Chairman, Sir, I congratulate Dr. L. M. Singhvi for bringing about this Bill. W can never have a national education system if its control does not remain with the Central Government. If the hon. Minister is sincere about it, then he should get a resolution passed in this regard in the Congress High Command and get the directions issued from them to the States. This is the only method of getting the concurrence of the States in this matter.

The resolution passed at the conferences in which education ministers of the States are called are never put into practice by the States. I am sorry to say that the States have shown their inability to implement the recommendations of Dr. Kothari's report. If education is put on the concurrent list, I am sure that difficulty can be removed.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : इस विधेयक को लाने के लिये मैं डा० सिंघवी को बधाई देता हूँ। राष्ट्रीय एकीकरण इस समय हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि हम भारत के भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें तरुण पीढ़ि को उचित और बुनियादी रास्ते पर डालना होगा। इस समय हमारे छात्रों में अनुशासन की कमी है और मैं नहीं समझता कि 10 वर्ष उनका क्या हाल होगा। हमें पता है कि काश्मीर राज्य में अब तक कुछ पाठ्य पुस्तकें किस रूप में थी। अत: यदि इन सब मामलों पर केन्द्र का नियन्त्रण होगा तो अधिक अच्छा होगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को लोकमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): Uniformity of Education is essential to bring about National unity. When the Education Minister agrees on the Bill, it is not understood what obstructs the way? It reflects that the Union Government cannot enforce its decisions on the State Governments.

Education could not be taken on the Union List due to indifferent attitude of the State Governments. This has resulted in certain disadvantages. The position of teachers in U.P. is very deplorable. The Centre has promised to provide financial assistance. In spite of these assruances, the State Government does not see eye to eye with the Centre. Attention has already been drawn to Course Books prescribed in the Schools of Kashmir which contain anti-indian element. Madras State has not since agreed to the Three Languages Formula. At least Higher Education must be made a subject of the Centre.

श्री वारियर (त्रिचूर) : ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों को जल्दी से नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कुछ हानियां होने की आशंका है।

संविधान में तीन विभिन्न सूचियों की व्यवस्था है किन्तु योजना के आरम्भ होने से राज्यों की स्वायत्रता को किसी न किसी प्रकार खत्म किया जा रहा है क्योंकि धन का नियंत्रण केन्द्र के हाथ में है। ऐसा करना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है और हमने इसे स्वीकार कर लिया है। अपने क्षेत्र में राज्यों का स्वायत्तशासी होना हानिप्रद नहीं है। एकात्मक पद्धति की सरकार की ओर

अग्रसर होने की बहुत खतरनाक प्रवृत्ति भारत में पायी जाती है। यह प्रवृति इस देश के संघ की कल्पना को समाप्त कर रही है। भारत अपनी अनेकता में एकता तथा एकता में अनेकता पर बहुत गर्व करता है। यदि इस पद्धति को एकदम समाप्त करने का प्रयत्न किया गया तो यह राष्ट्रीय एकता को दुर्बल बना देगा। हमें शिक्षा को जल्दी समवर्ती सूची में लाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हमें राज्यों को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। हमें जल्दी में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए जिससे पृथक्तावादी तत्वों के लिए बार-बार उभरना संभव हो।

श्री रंग (चित्तूर) : संविधान का बार-बार परिवर्तन करना बहुत हानिकारक है। संविधान की अपेक्षा कई ऐसे कानूनों का संशोधन किया जाए जिनसे ऐसे दोष उत्पन्न होते हैं। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध हैं मैं इसका विरोध करता हूँ क्योंकि इसकी अवधारणा गलत है।

यदि हम शिक्षा समस्या को राष्ट्र के विघटन की एजेन्सी नहीं बनाना चाहते, यदि हम अपनी शिक्षा के पाठ्य-क्रम को ऊपर से ही बलात् विचार-परिवर्तन की मशीन नहीं बनाना चाहते तथा यदि हम अपनी शिक्षा सेवा में एक बार फिर आध्यात्मिक तथा बौद्धिक रुप से तानाशाही नहीं बनाना चाहते तो हमें अपनी वर्तमान शिक्षा पद्धति को नहीं बदलना चाहिए जो कि सबसे अच्छी पद्धति है।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा एक ध्येय से दी जानी चाहिए। जिन नवयुवकों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है उन्हें एक प्रकार का चरित्र अपनाना चाहिए। उन्हें सारे देश को अखण्डता में विश्वास रखना चाहिए। उनका दृष्टिकोण भी व्यापक होना चाहिए न कि आंशिक तथा संकुचित क्योंकि उन्हें शिक्षा सारे देश को विकसित करने के लिये प्राप्त करनी चाहिए।

यदि शिक्षा को समवर्ती विषय बना दिया जाये तो उन संस्थाओं तथा लोगों से सम्पर्क स्थापित हो जायेगा जिनका दृष्टिकोण विस्तृत है। ऐसा करने से न केवल शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा बल्कि नौजवान विद्यार्थियों का दृष्टिकोण विस्तृत होगा।

Shri Balmiki (Khurja): Education should be brought on the Concurrent List. The standard of education also should be raised. Primary and Secondary education should remain in the State List but Higher education should be made a subject of the Centre. The conditions of teachers of Higher Secondary Schools should be modified and some effective steps should be taken to remove dissatisfaction among them Primary School teachers must paid at least Rs. 100/- in any part of the country and the pay scales of Secondary School teachers should be enhanced. All other essential steps should be take to reform the situation. With these words, I support the Bill.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर): यह संतोषजनक बात है कि मंत्री महोदय ने विधेयक के सिद्धांत का समर्थन किया है। कुछ सदस्यों ने गलत धारणाओं के कारण विधेयक की आलोचना की है। विधेयक का उद्देश्य देश के संघीय ढांचे को समाप्त करना नहीं है। इसमें ऐसा कोई सुझाव नहीं है कि राज्यों को जो कि देश की राजनैतिक व्यवस्था की इकाई हैं, उन्हें समाप्त किया जाये। इसका उद्देश्य उनके शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की शक्ति को कम करना भी नहीं है। इसका उद्देश्य तो यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाई जाए जो कि कुछ हद तक पहले से विद्यमान है। यदि हम देश के लिए एक सुगठित शिक्षा योजना लाना चाहते हैं तथा देश में

एकता लाना चाहते हैं तो विधेयक को स्वीकार करना चाहिए।

आशा है सभा जन मत जानने के लिए विधेयक के परिचालन सम्बन्धी प्रस्ताव का समर्थन करेगी।

सभा पति महोदय : क्या सभा संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ।

श्री विश्वनाथ पांडे का संशोधन, सभा की अनुमति से वापस लिया गया

सभापति महोदय : अब प्रश्न है :

"कि भारत के संविधान का अग्रेतर संशोधन करने के लिये विधेयक पर 14 नवम्बर, 1966 तक मत जानने के लिये उसे परिचालित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION AMENDMENT BILL

श्री हरि विष्णु कामत : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 352 का संशोधन करने के सम्बन्ध में है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : आज जब कि हमारी सीमाओं पर क्रियात्मक आक्रमण नहीं है तथा जो खतरा अक्तूबर, 1962 में था वह भी अब पहले से कम है तो समझ में नहीं आता कि आपात की उद्घोषणा समाप्त क्यों नहीं की जाती। संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लेख है कि केवल जब बाहरी आक्रमण अथवा आन्तरिक गड़बड़ हो तो राष्ट्रपति को आपात की उद्घोषणा करने का अधिकार है। यह सरकार की आत्मा तथा समय की आवश्यकता के विरुद्ध है कि आपातकाल समाप्त नहीं किया गया। क्या यह न्याय संगत है कि कार्यपालिका इन असाधारण शक्तियों को लेकर, जैसा कि उनके पास हैं, संसद के सामने लाये बिना उन्हें अनिश्चित काल तक अपने पास रखे। यह संविधान की भावना तथा उसके शब्दों के बिल्कुल विरुद्ध है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार जब गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार किया जायेगा, जारी रख सकते हैं।

मन्त्री द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : तारांकित प्रश्न संख्या 420 के अनुपूरक प्रश्नों के दौरान श्री हेम बरुआ ने बयान दिया कि मैसर्ज अमीनचन्द प्यारेलाल ने श्री सुब्रह्मण्यम से पहले पदधारी इस्पात मन्त्री की चुनाव निधि में 7 लाख रुपये का अंशदान दिया था। यदि हां, तो क्या सरकार 1953 से अब तक सभी मामलों की छानबीन करेगा ? एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि इस आरोप को मेरे तक पहुँचाया जाये तथा खण्डन अथवा अस्वीकार करने के लिये

सभा में एक वक्तव्य दूं ।

यह गलत है कि उक्त फर्म द्वारा मेरी चुनाव निधि में कोई अंशदान किया गया था, वास्तव में मेरी कोई चुनाव निधि थी ही नहीं । वास्तव में उक्त फर्म द्वारा मेरे माध्यम से किसी भी चुनाव निधि कोई अंशदान नहीं किया गया ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 16 अगस्त, 1966 / 25 श्रावण, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August, 16, 1966/Sravana 25, 1888 (Saka).

Tirthraj Press, Allahabad.